मूल्य रु॰ ६/-

द्वितीय आश्विन - कार्तिक २०५८ नवम्बर २००१

स्वदेशी

राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका पत्रिका

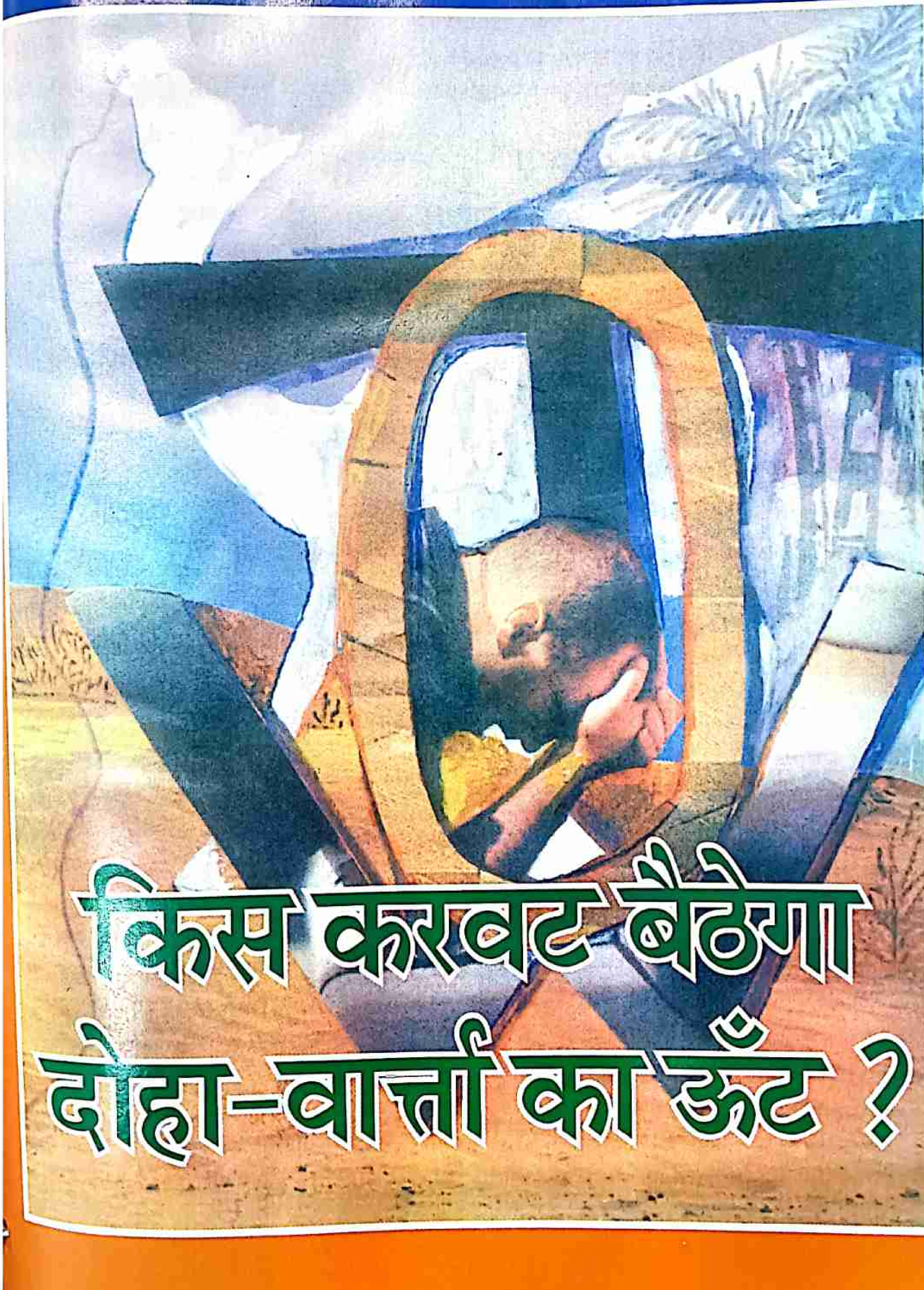

किस करवट बैठेगा दोहा-वार्त्ता का ऊँट ?

Scanned with OKEN Scanner

सिर्फ देख रहे हैं हम

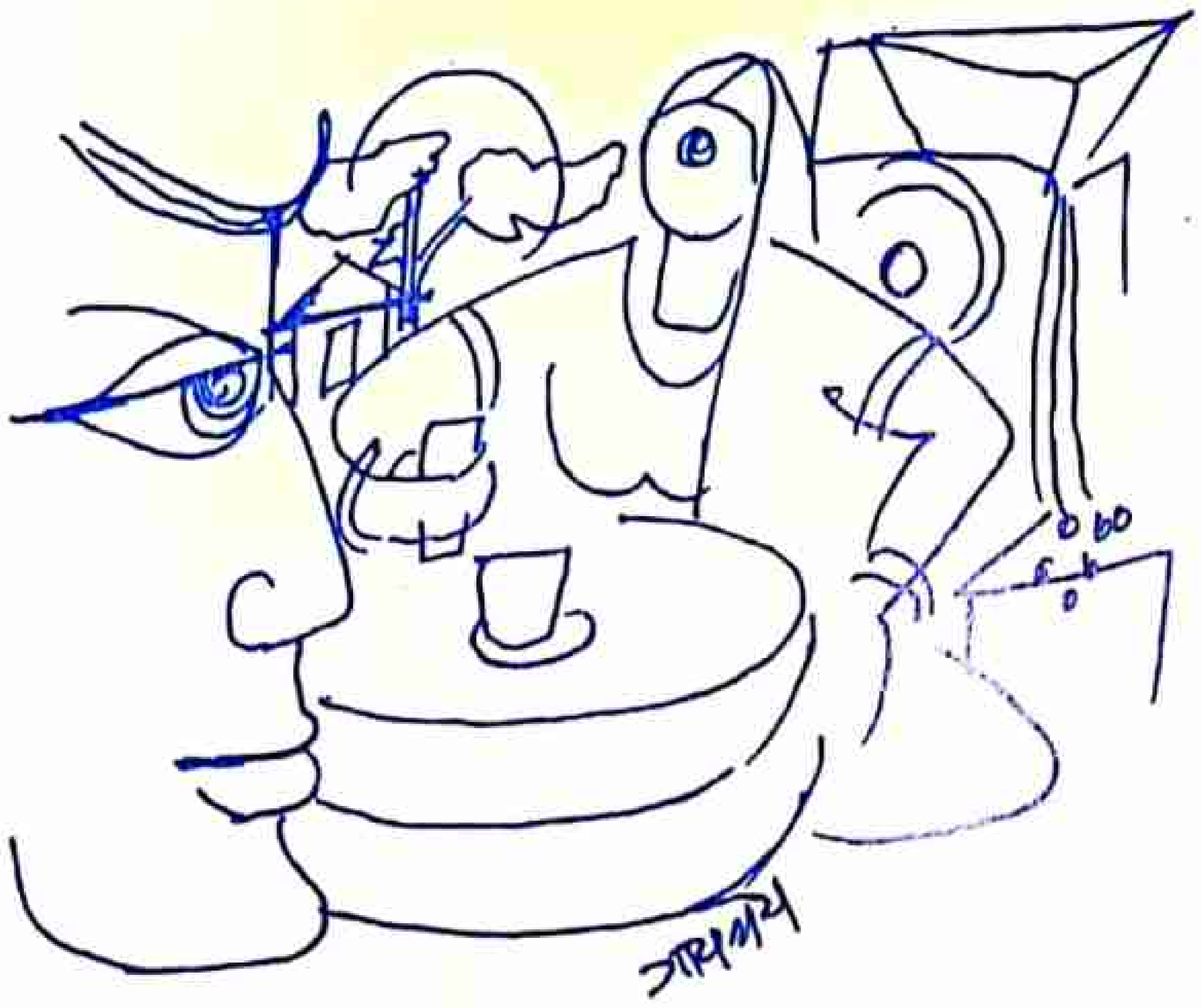

पहले घर-घर
घर घराती थी जाँत
गीतों के साथ,
तब गाँवों में
उगता था सूरज।
पिछड़े हुए थे हम।
हमें नहीं थी मशीनी चक्कियाँ
रसायनिक खाद-कीटनाशक दवाईयाँ
इनसे उपजी हुई फसलें,
रोग-व्याधियाँ,
खरचे नहीं थे -
डिजल-विजली के
हम निर्भर नहीं थे,
हर चीज के लिए बाजार पर।
प्रगति होने लगी
बंद हुई घर घर
घरघराती जाँतें
रुँध गए गीत गाते
सुरीले कण्ठ स्त्रियों के
धुँधला गई पसीनों से धुली
चेहरों की चमक
कुम्हलाने लगे यौवन असमय।
वॉल-बैरिंग वाली जाँत
बनवाई थी गाँधी बाबा ने
मगर उनकी अनसुनी कर
धोती छोड़ पतलून में
सरपट भाग रहे थे
उन्हीं के लडले छोरे।
आज गली गली की
बंद हो रही हैं आटा-चक्कियाँ
विदेशी कंपनियाँ बेंच रही है
आटे की थैलियाँ
टी.वी. छोड़ रहा है प्रचार
मैडम छोड़ रही है विचार
चाकू चमका रहे है बेरोजगार
कल बंद होगी
खेत-खेत की उपज भी,
तब क्यों नहीं छूएगी प्रगति आसमान।
बनिये, नेता-नौकरशाह के तीनों चेहरे
फिर क्यों नहीं घुले मिलेंगे एकमेक
क्यों नहीं हो जाएँगे ये एक बस एक
चेहरा दलाल का।
हर दिन हो रही है
प्रगति या दुर्गति?
देख रहे हैं हम

● सरदार सिंह 'बागी'

स्वदेशी

देश अपना, तंत्र अपना
कल कहाँ, अब आज है
पर, अभी तक देख ले
परदेशियों का राज है
चौ तरफ छाया वही
रग रग में समाया वही
लेकिन जमीं से आसमाँ तक
साज़ है, आवाज़ है
मैं किधर? ढूँढ़ो मुझे
पर ढूँढ़, अब न पाओगे
कितने भी ढूँढ़ो मुझे
बस! ढूँढ़ते रह जाओगे
नाम अपना है 'स्वदेशी'
रह रहा इस देश में ही;
निज देश में, निज गेह में;
रह रहा निज वेश में ही;
पर न कोई जानता अब,
न ही कोई पहचानता है।
वीरव्रतियों का व्रत बना था,
अब न कोई मानता है।
कह रहे हैं लोग सब,
बीते दिनों की बात हो।
सूखती सी, वृद्ध तरु की,
पीली पड़ी इक पात हो।
हूँ यदि मैं जीर्ण तो,
क्या तुम रहोगे वैभवी?
पराश्रिता अंतस्थ है,
कैसे बनोगे तुम जभी?
फिर, राष्ट्र के प्रति धर्म क्या?
स्वदेश का क्या अर्थ है?
रहे 'स्व' का अवलंब नहीं,
तो राष्ट्र जीवन व्यर्थ है।
तोड़ो तिमिर की डोर यह
निज देश को ज्योतित करो
मिटा संशय, अब हृदय से
तुम 'स्वदेशी' व्रत धरो।

● अमित कुमार
पंडारक, पटना

Scanned with OKEN Scanner

अपनी वार्ता

प्रिय पाठक वृन्द,

दोहा वार्त्ता के पहले ही इसके अंतर्द्वंद्व उभर का सामने आ रहे है कि विकसित देश नम नहीं होंगे। दूसरे दौर की वार्त्ता के लिए उनका दबाव विकासशील देशों को झेलना पड़ेगा। इनकी रणनीतियों को समझने के लिए दोहा वार्त्ता के घोषणा–पत्र की समीक्षा हमें भी अपनी दृष्टि से करनी चाहिए। इसी विषय को आपकी स्वदेशी पत्रिका ने अब की बार अग्रलेख का विषय बनाया है। वैश्विक स्तर पर चल रहे आर्थिक युद्ध के समानान्तर हम जागकर अँगड़ाई ले रहे हैं भविष्य के प्रति यह जागरुकता सुखद प्रसंग कही जा सकती है।

नमस्कार।

आपका

प्रमोदकुमार दुबे

अनुक्रम

अग्रलेख

किस करवट बैठेगा दोहा–वार्त्ता का ऊँट?
पी.डी. कार्त्तिकेय एवं धी. द्विवेदी..../६

दोहा वार्त्ता पर सरकार का सही रूख
डॉ. भरत झुनझुनवाला.................../१२

लेख

रोजगार–वृद्धि प्रोत्साहित करने के लिए विकल्प विकास–मॉडल
रुद्रदत्त................................../१४

रक्षा के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता
जसवंत सिंह................................/१९

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा कॉरपोरेट प्रशासन की चुनौतियाँ
प्रो. बी.बी. टण्डन/डॉ. ए.के. अवस्थी............../२१

बेरोजगारी और मंदी के बीच दसवीं पंचवर्षीय योजना की चुनौतियाँ
मुकुन्द कुमार................................../२५

सीखने की दरकार
डॉ. अश्विनी महाजन........................../२७

ज्योतिर्विज्ञान क्यों पढ़ाया जाना चाहिए?
डॉ. कामेश्वर उपाध्याय..................../२९

संस्कृति

ज्योतिष पर आधारित हैं हमारे आचार–विचार
डॉ० प्रमोद कुमार दूबे..................../३४

रपट

राष्ट्रऋषि के सान्निध्य में सम्पन्न हुई काशी की स्वदेशी पंचायत.../४२

स्तंभ

पाठकनामा/४, उन्होंने कहा/४, ऊर्जा/३१, घर–गृहस्थी/३७, माध्यम/३८, स्वदेशी व्यंग्य/४०, समाचार परिक्रमा/४५

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ • दूरभाष : ३०१८१७५

ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी
पत्रिका

वर्ष–७, अंक–२

द्वितीय आश्विन–कार्त्तिक २०५८, नवम्बर, २००१

:: अमर वाणी ::

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।।

हे दयालु परमात्मन! आप अपनी असीम कृपा से हमारी सदा रक्षा करते हैं। आप ही हमारे जीवनाधार हैं। अपने सेवकों के दुःखों को दूर करके उनको सुख देने वाले हैं। आप सर्वत्र सुप्रतिष्ठित और सुप्रसिद्धि हैं। आप सर्वोत्तम, शुद्ध, पवित्र और ज्ञानस्वरूप हैं। आपसे ही यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। आप ही सकल शुभ गुणों की खान हैं। आपका हम प्रतिदिन ध्यान करें और आप हमें विवेकशीलता, धारणावती मेधा और सद्बुद्धि प्रदान करें।

ओ३म् उदुत्यं जातवेदसं, देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्।।

जिस महान् शक्ति से सकल ज्ञान के देने वाले चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, जो सब पदार्थों में व्यापक है, जो प्रत्येक व्यवहार को जानता है, जो दिव्य गुणों की खान है, स्थावर और जंगम जगत् का सूत्रात्मा है, उस सर्वशक्तिमान् परमेश्वर को वेद की अद्भुत रचना के ज्ञापक गुण तथा अन्य पदार्थ लाल-पीली झण्डियों की भांति निश्चय से सभी प्रकार दिखाते हैं, जिससे कि सब जन देख सकें। (भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :
डॉ. महेश चंद्र शर्मा

कार्यकारी संपादक :
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक – 6 रुपए
वार्षिक सदस्यता शुल्क – 60 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क – 1000/–

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ–साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

Scanned with OKEN Scanner

पाठकनामा

लेखक का विचार हो सकता है स्वदेशी का नहीं

सम्पादक महोदय,

पुणे प्रवास में स्वदेशी का भाद्रपद-आश्विन २०५८ का अंक देखने को सौभाग्य मिला। पत्रिका की विषय सामग्री देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। विशेष रूप से ''अभी और छिनेंगे रोजगार के अवसर'' तथा ''रोजगार के अवसर उलझाएगा टास्क फोर्स'' लेख बहुत अच्छे लगे। मैंने माण्टेक सिंह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, किंतु लेख में उसके अंश पढ़कर लगा जैसे यह अध्ययन रोजगार के लिए नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षाओं का ही प्रतिनिधित्व करता है।

''इक्कीसवीं सदी का रावण'' लेख भी अच्छा लगा, किंतु इसमें लेखक की यह घोषणा ''रामायण और महाभारत प्रतीक शास्त्र हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं'' पढ़कर मन को खेद हुआ।

– **डॉ0 राम अवतार**, श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास,
गाँव–खजूरी खास, पोस्ट–गोकलपुरी, दिल्ली

आतंक की अर्थव्यवस्था

सम्पादक महोदय,

आतंक के आर्थिक प्रभाव को दिखाने वाली आपकी पत्रिका का अग्रलेख मुझे इस आतंक के एक परिमार्जित स्वरूप को दर्शाने वाला लगा। इस लेख के लेखक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले लेख भी हमें नए विषयों से इतने ही परिमार्जित रूप में परिचित करते रहेंगे। रुद्रदत्त जी का लेख विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास भी काफी जानकारी पूर्ण लगा और देवेन्द्र जी का लेख प्राकृतिक संपदा पर सेंधमारी क्यों और कब तक वर्त्तमान बासमती विवाद के परिप्रेक्ष्य में समयानुकूल है।

– **अमित कुमार**,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

पेटेंट और संस्कृति

सम्पादक जी,

विकसित देशों के, विकासशील देशों के प्राकृतिक संपदाओं तथा पारंपरिक ज्ञानों पर कब्जा करने वाली कुदृष्टि से अपने बचाव के लिए यह लेख हमें उचित लगा। जो चीजें हमारी पारंपरिक विरासत है उन्हें अपने कब्जें में लेने की कोशिश करने वाले को उसके सांस्कृतिक धर्म को भी अपनाना होगा। क्योंकि बिना सांस्कृतिक धर्म को अपनाए आप उस वस्तु पर काबिज नहीं हो सकते। अभी चल रही पेटेंट की विभिन्न लड़ाईयों में यह लेख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपकी पत्रिका के माध्यम से मैं स्वदेशी जागरण मंच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोटेंक सिंह आहलूवालिया रिपोर्ट की कमियों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया।

– **जे.एस. ठाकुर**, नावादा, बिहार

उन्होंने कहा

राष्ट्रीय हितों के सुरक्षा के लि[ए] देशवासियों के मन में स्वदेशी भाव[ना] होनी आवश्यक है।

राष्ट्रऋषि मान[नीय]
दत्तोपंत ठेंगड़ी

उदारीकरण की प्रक्रिया वांछि[त] परिणाम देने में विफल रही।

प्रसिद्ध न्यायवि[द]
लक्ष्मीमल सिंघवी

विश्व व्यापार संगठन एक आवश्य[क] दोष है और यह नियमों के अनु[रूप] नहीं बल्कि ताकत के अनुरूप चल[ता] है।

वाणिज्य म[ंत्री]
मुरासोली मार[न]

विश्व व्यापार संगठन में नए दौ[र] की वार्त्ताओं के पहले उरुग्वे दौर [के] समझौता को लागू किया जाए।

प्रसिद्ध उद्योगप[ति]
राहुल बजा[ज]

भारत में सबसे बड़ा चत्मकार ऐ[सी] सरकार के होते हुये भी विका[स] होना है। इस सरकार को ह[टा] दीजिए आप ८ से १० प्रतिशत [की] विकास दर आसानी से प्राप्त क[र] लेंगे।

डॉ0 डूम के नाम से विख्यात प्रसिद्ध अर्थशा[स्त्री]
मार्क फे[बर]

भारत को विकास का अपना मॉड[ल] विकसित करना होगा। अमेरि[की] और रूसी दोनों मॉडल असफल हैं।

उत्तर प्रदेश के राज्यपा[ल]
पं. विष्णुकांत शास्त्री

Scanned with OKEN Scanner

सम्पादकीय

लाभ के साथ शुभ का नियंत्रण नहीं होगा तो.....

लाभ के साथ शुभ का नियंत्रण नहीं होता तो ...... लाभ की आकांक्षा अतिवादी बनकर आतंक तक पहुँच जाती है। आज विश्व पर छायी हुई अर्थव्यवस्था ने शुभ का अतिक्रमण किया है। इसलिए इससे आक्रोश और आतंक के लावे भी उत्प्रेरित हो रहे है। यह सच्चाई है कि आतंक कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जिससे आगे बढ़कर ओसामा बिन लादेन अरब की जमीन से अमरीकी कंपनियों को भगा सके। आर्थिक लड़ाई के औजार बड़ी तकनीकी से बने होते हैं इसमें खून बहा देने के आसान तरीके नहीं होते, बल्कि इसमें मनुष्य के श्रम–कौशल और अर्जित सम्पत्ति के साथ–साथ देश की प्राकृतिक सम्पदा को शोषित कर लेने के गहरे गूर होते हैं। इसकी भाषा में विश्व शांति, विश्व कल्याण के डपोरशंखी पाठ होते हैं इस पाठ में लगे लोग अपनी आजीविका चलते हैं। भ्रम को सुखद चँदोवा ढाँक कर होती है यह कत्ल। प्रलोभनों में फँसे हुए अपने सगे इस काम को करते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गये विख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टिग्लिट्स ने बताया है कि मुक्त बाजारवादी सुधार कार्यक्रमों से किस प्रकार लातीनी अमेरिका और पूर्वी एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की तबाही हुई थी। स्टिग्लिट्स विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं वह अभी भी इसकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इनका कहना है कि विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों का एक ऐसा शस्त्र है जिससे ये देश पूरे विश्व में एक अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि यह अर्थव्यवस्था ही इनका आर्थिक साम्राज्य होगा जिसका उद्देश्य है – विकासशील देशों के शोषण। यह भी आतंकवाद है, इसमें भी हत्या है। इसमें भी परस्परावलम्बी एक–दूसरे के अस्तित्वों की स्वीकृति नहीं है। इसमें जीव–जगत को सींझाकर मारने की एक विधि है इस विधि को अपना कर विकासशील देश भी अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हैं। इसी अवसर के कारण इसमें बातचीत की गुंजाइश बनती है।

महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की विधि में दृढ़ता की कमी नहीं थी आत्मोत्सर्ग के भाव की कमी नहीं थी। उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब उन्होंने अंग्रेजों को निरुत्तर और हतप्रभ नहीं किया हो। फिर भी वह अहिंसा को समुचित मार्ग मानते थे। स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भी आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जन–जागरण को ही शस्त्र माना है। क्योंकि आर्थिक साम्राज्यवादी असंगठित और अपने हितों से अनजान जनजीवन को ही पराधीन करते हैं। कैलिफोर्निया के संतरे किसी हिंसक प्रयास से जापान में जाने से नहीं रोका गया, लेकिन जापान की जागरूक जनता ने विदेशी संतरे खरीदना पाप समझा। यह जन–जागरण का उदाहरण है। साथ ही देश में लगने वाले कई रोगों की यही एकमात्र स्वदेशी दवा भी है इसे हम राष्ट्र–भक्ति के नाम से भी जानते हैं। नित्य सिद्ध जागृत जनशक्ति के बिना देश नहीं रह सकता।

९ से १३ तक नवंबर माह में विश्व व्यापार संगठन की दोहा में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भी विकासशील देशों के हितों को उपेक्षित करने के प्रयास होंगे। अमेरिका की आर्थिक मंदी और आतंकवाद के वैश्विक दुष्प्रभावों से उद्धार के लिए विकासित देशों के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करने का तर्क दिया जाएगा। लेनिक आतंकवाद के क्षेत्र में इस भ्रम को टूटते हुए भारत ने साफ–साफ देखा, और तब हमारे नेताओं को अपनी भाषा बदलनी पड़ी, इन्हें स्पष्ट कहना पड़ा कि काश्मीर के आतंक से हम स्वयं निपट लेंगे यही आत्मनिर्भरता की भाषा आर्थिक मामले में भी दुहरानी पड़ेगी। इस दिशा में एक प्रशंसनीय कदम भी सरकार ने उठाया है। सरकार ने विकासशील देशों का एक सम्मेलन किया, जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मानव संसाधन मंत्री डॉ0 मुरली मनोहर जोशी और अन्य मंत्रियों, सचिवों ने भी बढ़ी दृढ़ता से देश के आर्थिक हितों की रक्षा की बात की। अभी वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन ने भी सी.सी. डब्ल्यू.टी.ओ. की कैबिनेट स्तरीय बैठक की है इसका मुख्य स्वर भी विकासशील देशों के साथ खड़ा होकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना रहा। यदि दोहा–बैठक में सचमुच भारत अपने हितों को रखने में सफल होता है और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता हुआ वैकल्पिक विश्व व्यापार संगठन का आभास भी उत्पादित कर पाता है तो विश्व व्यापार संगठन की एकांगी सोंच प्रभावित हो सकती है और इसे एक घनात्मक प्रयास मना जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका जब अपने आर्थिक हितों के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र तैयार करता है, उसमें बाधा बने क्यूबा को भयातुर भी करता है, इसी प्रकार जब यूरोपीय संघ अपने आर्थिक हितों के लिएं अमेरिका से खार खाता है, वह दूसरा विश्व व्यापार संगठन बनाने की बात भी करता है। वह भारत को साथ लेकर अपना पक्ष सबल करना चाहता है। पर जब विकसित देशों के हितों की बात होती है। यूरोप और अमेरिका एक साथ होते है। विकसित देश कभी नहीं चाहते कि विकासशील देश एकजुट हो जाए और भारत उनका प्रतिनिधित्व करे। इनका कोई व्यापारिक संगठन तैयार हो। इन रणनीतियों के बीच भारत के मनोबल और कौशल की अग्नि परीक्षा भी दोहा वार्ता में हो सकती है। वास्तव में नए दौर की वार्ता का भारत के लिए कोई औचित्य नहीं है, इसके लिए दृढ़ता से लड़ाई लड़नी होगी अन्यथा श्रम और पर्यावरण संबंधित शेष रहे मुद्दों पर आने के बदले विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित नए दौर की वार्त्ता में क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों की व्यूह से निकलना आसान नहीं होगा। अमेरिका के दबाव का उपयोग करके यूरोपीय संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकसित देश एक दूसरे के अधिक निकट है। ऐसे में भारत को अपनी पहल पर अडिंग रहना चाहिए, थोड़े समय में विकासशील देशों के समर्थन के लिए किए गए भारत के कार्य सराहनीय कहें जाएंगे। इससे यूरोपीय संघ और अमेरिका से अपेक्षा घटती है और विकासशील देशों की ओर एकजुटता के लिए झुकाव बढ़ता है तो भविष्य के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है। संभव है आने वाले समय में भारत को आतंकवाद से स्वयं निपटने की दृढ़ता दिखाने की तरह ही आर्थिक क्षेत्र में भी वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विदेशी पूँजी निवेश के बदले उस वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अधिक महसूस होने लगेगी जो इस देश की अपनी है। यह वैकल्पिक अर्थव्यवस्था अपने पूरे स्वरूप में विश्व को नई रोशनी दे सकती है। क्योंकि विश्व में छाया हुए वर्त्तमान आर्थिक युद्ध के अंधकार की जड़ों में आक्रामक मानसिकता है, आतंक, लूट और हिंसा है। इसके अंत से ही प्रतिपालक अर्थशक्ति का शुभागमन हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

किस करवट बैठेगा दोहा-वार्त्ता का ऊँट?

■ पी.डी कार्तिकेय एवं धी. द्विवेदी

इस समय अमेरिका की आर्थिक मंदी और आतंक दोनों के दुहरे प्रभाव में विश्व साँस ले रहा है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक माइक मूर को अमेरिका के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का उचित अवसर सामने है। यह अवसर माइक मूर चूकते हैं तो उनकी वफादरी कलंकित हो जाती है और विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्राकोष जैसी संस्थाओं के निर्माण का औचित्य समाप्त हो सकता है। ध्यान रहे कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण विकसित देशों में प्रधानत: अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य को सबल बनाने के लिए ही हुआ है। आर्थिक युद्ध को अंजाम देने वाली इन संस्थाओं का पहला कर्त्तव्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना ही है। इसलिए दोहा, कतर में ९ से १३ नंवम्बर तक होने वाली विश्व व्यापार संगठन की बैठक के लिए जिस घोषण पत्र को बैठक से छ: सप्ताह पहले जारी किया गया है उसमें विकासशील और अल्पविकसित देशों के हितों को केवल दिखावे के लिए बतौर लेबल उपयोग किया गया है उनके हितों में नीति का अभाव है। विश्व व्यापार संगठन के घोषणा पत्र के नए प्रारूप को देखने के लिए उसकी तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली यह कि इसके प्रत्येक अंश में यह झूठा आभास दिया गया है कि यह घोषणा-पत्र विकासशील और अल्पविकसित देशों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के रणनीतिकार विश्व हित के लिए बड़े तत्पर हैं दूसरा यह कि पूरे प्रारूप में नये दौर की चर्चा लिखित रूप में कहीं नहीं है यद्यपि पूरा प्रारूप ही नए दौर की वार्त्ता के लिए है तीसरा यह कि विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों की नीतियों के प्रबल विरोध के बावजूद उन्हें नीतियाँ बदलने के लिए नहीं कहा गया है।

अपने ढाँचे में यह प्रारूप विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को पूर्णत: निराश करता है। इसमें बारम्बार विकासशील देशों की चर्चा तो की गयी है पर यह कहीं भी विकासशील या अल्पविकसित देशों के विचारों या आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

विकासशील तथा अल्पविकसित देशों ने वर्त्तमान डब्ल्यू०टी०ओ० व्यवस्था एवं नियमों के कारण उत्पन्न असंतुलन तथा अन्य समस्याओं को उठाया तथा उनके समाधान की माँग की। लेकिन इनका पूरे घोषणा-पत्र

Scanned with OKEN Scanner

में कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही आवश्यक उपायों की चर्चा की गयी है।

विकासशील तथा अल्पविकसित देश नए दौर की वार्त्ताओं तथा नए मुद्दों को उठाने का विरोध कर रहे थे और उन्होंने यह भी कहा था कि अपनी सीमित क्षमता के कारण नयी जिम्मेवारियाँ उठाने या व्यापक एजेण्डा तैयार करने के पक्ष में नहीं है। फिर भी प्रारूप में एक व्यापक आधार वाले वार्ता का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है जिसमें पर्यावरण, श्रम, निवेश, प्रतियोगिता इत्यादि सभी नए मुद्दे शामिल किए गए हैं जिनसे इन देशों पर भारी जिम्मेवारियाँ पड़ेंगी। एक तरफ तो अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार २५% गैसों का उत्सर्जन करते हुए भी इन पर रोक लगने से इनकार करता है और पृथ्वी सम्मेलन का बहिष्कार करता है वहीं विकासशील देशों को अपने नियमों को पर्यावरण अनुकूल बनाना पड़ेगा। इस घोषणा-पत्र में स्पष्टतौर पर नए दौर के वार्त्ताओं के प्रारंभ के लिए है जिसमें विकासशील या अल्पविकसित देश भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ इसके अल्पविकसित देशों से संबंधित भाग (अनुच्छेद ३४) में भी कुछ भी काम लायक या नया नहीं है। अतः यह अपूर्ण एवं निराशाजनक है।

पुनः यह प्रारूप पूर्णतः असंतुलित तथा विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के हित के विरुद्ध है। देखने में यह प्रारूप साफ-सुथरा लगता है और कुछ मुद्दों पर ही विवाद हो सकता है। वास्तव में इस साफ-सुथरे दिखने वाले प्रारूप पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे बहुत से मुद्दे है जिन पर विवाद उठ सकता है। लगभग सभी क्षेत्रों में प्रारूप विकासशील या अल्पविकसित देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें दिए गए विचारों के साथ विकासशील देशों के विचारों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था।

इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आवश्यक है जैसे - पहला, विशेष एवं विभेदीय व्यवहार वाले प्रस्तावों को विस्तार से रखना चाहिए और उसमें विकासशील देशों में विकास को

ध्यान में रखना होगा। दूसरा, मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को हटाया जाना और यह कहा जाना कि इन पर आगे चर्चा होगी। विकासशील देशों के लिए तगड़ा झटका है, विकसित देश तो अपने उत्पादकों और निर्यातकों को भारी सब्सिडी देते है जैसे - कृषि उत्पादों पर अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया आदि सभी राष्ट्र ४०% और उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं और विकासशील देशों से यह उम्मीद करते हैं कि वे अपने गरीब किसानों को सब्सिडी न दें। सब्सिडी न देने से विकासशील देशों में फसलों का मूल्य बढ़ जाएगा और ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाएँगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकसित राष्ट्रों का ही वर्चस्व होगा। ठीक इसी तरह कस्टम या अन्य आयात रोधी उपायों की बात है। भारत ने तो डब्ल्यू०टी०ओ० के दबाव में अपने यहाँ से किसी भी वस्तु के आयात कोटे को खत्म कर दिया। वहीं अमेरिका और यूरोप में आयात कोटा अभी भी लागू है। वहाँ के बाजारों में कोई भी विकासशील देश नियत मात्रा से अधिक माल नहीं भेज सकता है। अभी इसकी ताजातरीन मिसाल अमेरिका में भारतीय स्टील एवं अल्यूमिनियम पर लगाया या प्रतिबंध तथा यूरोप में भारतीय अल्यूमिनियम पर लगा प्रतिबंध है। इन देशों के अनुसार भारतीय स्टील एवं अल्यूमिनियम के आयात से उनकी कंपनियाँ हानि उठा रही हैं अतः इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। डब्ल्यू०टी०ओ० की नजर में यह संगरक्षणात्मक या प्रतिरोधक कानून नहीं है लेकिन यदि कोई भी विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था संरक्षण की नीतियाँ शुरू करता है तो सभी इसका विरोध करने लगते है। अमेरिका को भारतीय सूती वस्त्र सबसे अधिक निर्यात होते हैं लेकिन वहाँ इसका भी कोटा निर्धारित है। ये प्रस्ताव सभी जिम्मेवारियाँ विकासशील देशों के नाम लेकर उन्हीं पर डालने की बात कर रहा है इसमें कहीं भी विकसित राष्ट्रों या उनकी संरक्षणवादी नीतियों तथा खुले व्यापार पर उसके कुप्रभावों की कोई चर्चा नहीं की गयी है।

ट्रिप्स से संबंधित प्रस्तावों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि इसमें बातें तो जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान इत्यादि के संरक्षण के लिए की गयी है लेकिन इनके लिए नयी

Scanned with OKEN Scanner

विश्व व्यापार संगठन के दोहा-वार्त्ता के लिए तैयार घोषणा-पत्र का सार संक्षेप

विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक माइक मूर के अनुसार यह प्रारूप, मंत्रियों के सम्मेलन में किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज़ है।

इस दस्तावेज़ में कुछ क्षेत्रों के तो विकल्प दिए गए हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों पर और विचार की आवश्यकता है। यह प्रारूप जेओबी (०१/१४०) के नाम से २६ सितम्बर, २००१ को जारी किया गया।

कार्यान्वयन संबंधी प्रस्तावों पर प्रारूप जेओबी (०१/१३९) के नाम से जारी किया गया।

मुख्य बिन्दुएँ :

१. हम वर्तमान वैश्विक मंदी को ध्यान में रखते हुए, इस बात के लिए कटिबद्ध है कि सुधारों एवं उदारीकरण की प्रक्रिया चलती रहे। इसके लिए हम किसी भी तरह के संरक्षणवादी कानूनों के उपयोग न होने देने की अपनी नीतियों एवं निष्ठा के साथ पूरी ताकत से जुड़े रहेंगे।

२. हम इस घोषणा-पत्र में विकासशील तथा कम विकसित देशों की अभिरुचि को केंद्र में रखेंगे।

३. हम विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक स्तर पर पर व्यापारिक नियम बनाने वाले तथा उदारीकरण के लिए एक मात्र मंच बनाए रखना चाहते हैं साथ ही यह स्वीकार करते है कि क्षेत्रीय आर्थिक समझौते उदारीकरण एवं व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

४. हमें यह ज्ञात है कि केवल व्यापार क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से ही तेजी से बदलती हुई वर्तमान परिस्थितियों का मुकाबलना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम अन्य अंतर शासकीय संस्थाओं के साथ सहयोग करेंगे।

५. हम यह सोचते है कि एक खुले तथा बिना भेदभाव वाले बहुपक्षीय व्यापार पद्धति और पर्यावरण रक्षा तथा स्थायी विकास इन सभी को निश्चित रूप से एक दूसरे के सहयोगी माना जाए। हम यह स्वीकार करते हैं कि सदस्य राष्ट्रों को अपने देश में स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण रक्षा हेतु कदम उठाने का अधिकार है लेकिन इन अधिकारों का उपयोग संरक्षण के लिए नहीं होना चाहिए।

६. हम सिंगापुर सम्मेलन में घोषित अंतरराष्ट्रीय श्रम (स्तर) को स्वीकार करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप हो।

७. हम अपने संगठन में नए साथियों का स्वागत करते है।

८. हम आम जनता को, उदारीकृत, नियमबद्ध बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के लाभों से परिचित कराएंगे।

९. ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं के आधार पर हम एक व्यापक तथा संतुलित कार्ययोजना लागू करेंगे। सभी महत्वपूर्ण निर्णय तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति के सामने आने वाली कठिनाईयों से इसी के माध्यम से निपटा जाएगा।

कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे तथा चिंताएँ

१०. हम कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के निपटारे के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। इसके लिए आगे बातचीत की जाएगी।

भविष्य की कार्ययोजनाएँ

कृषि

११. निम्नलिखित तत्वों पर आगे आपसी सलाह द्वारा इस प्रारूप को विकसित किया जाएगा।

- अभी होने वाली बैठक की बातचीत में विकासशील देशों को भी महत्व मिलेगा।
- कृषि में सुधारों के दीर्घकालिक लाभों के संबंध में।
- बाजार अभिगमन, घरेलू समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता के क्षेत्रों में सुधार को ध्यान में रखते हुए।
- विशेष एवं अलग व्यवहार के संबंध में।

वार्तायें शुरू करने तक ही प्रस्ताव को सीमित रखा गया है। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने इसके बदलाव की मांग की थी।

भारत तथा अन्य विकासशील देशों के विरोध तथा संख्यात्मक रूप से ज्यादा होने पर भी डब्ल्यू०टी०ओ० ने सभी व्यापार संबंधी कार्यकलापों को एक ही संगठन के अंतर्गत लाने की कोशिशें इस प्रस्ताव के माध्यम से तेज कर दी है। इसमें श्रम, निवेश, प्रतियोगिता और पर्यावरण जैसे मुद्दों को जोड़ा गया है जबकि विकासशील देश द्वारा उरुग्वे दौर की वार्ताओं तथा उसके बाद के अन्य वार्ताओं में लिए गए फैसलों को पहले लागू करने की बात कर रहे थे।

विकासशील देशों एवं विकसित देशों के लिए इस प्रारूप में अलग-अलग मानदंड रखे गए हैं साथ ही उरुग्वे दौर के समझौते को पूरी तरह से लागू किए बिना नए दौर की वार्तायें प्रारंभ करने की बात की गयी है। पूर्व में किए गए वादों के पूरा न करने के कारण विकासशील देशों में बढ़ते असंतोष को भी अनदेखा किया गया है जिससे दोहा बैठक के असफल होने की संभावनाएँ बढ़ गयी हैं। विकसित देशों द्वारा अपनी इच्छानुसार शुल्क थोपे जाने का विरोध भी हो रहा है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की इजाजत देने से नकरात्मक परिणाम सामने आएंगे। बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों को पूरी तरह खोल देने से विदेशी संस्थागत निवेशकों का हमारे बाजार पर एकाधिकार होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा हश्र भी मेक्सिको की तरह हो सकता है। जहां के बाजार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों के हावी होने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तो दर्ज की गयी लेकिन अचानक उन्होंने अपना सारा निवेश एक झटके में निकाल दिया जिससे अर्थव्यवस्था मुँह के बल गिर पड़ी और अभी भी संभालने की कोशिश में लगी है।

पेटेंट के नियमों के कारण औद्योगिक देशों का दवा के क्षेत्र में एकाधिकार हो गया है जिससे अब यह आशंका पैदा होने लगी है कि विकासशील देशों को जीवनरक्षक दवाएँ मिलेंगी या नहीं। यह आशंका संयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

क्ष और अंकटाड सबने व्यक्त की है। जैसे इस की दवायें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हार्ट उपचार। पेटेंट कानूनों के कारण इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। इस दवा संयोजन (हार्ट) की कीमत गभग १२,००० डॉलर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ते हैं। इस तरह इस पूरे प्रस्ताव में तो नवता और गरीबी की बात की गयी है किन एकाधिकार तोड़ सबको दवायें पलब्ध कराने पर चुप्पी है। इसके लिए ज़ील द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार योग में पेश प्रस्ताव पर ध्यान देना होगा समें एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात ी गयी है जिसका उपयोग जनस्वास्थ्य तियों के समर्थक के रूप में होगा। जिससे रक्षित प्रभावी, रोधात्मक, आरोग्यकर या पशासक भेषजीय तथा औषधिय तकनीक ी व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सके साथ ही पेटेंट प्रावधान प्रत्येक देश ी राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों के साथ मरस होना चाहिए। इसमें इतना लचीलापन ोना चाहिए कि यह प्रत्येक देश की व्यवस्था के साथ सामंजस्य बना सके। विकासशील देशों के बीच आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर इतनी भिन्नताएँ है कि एक तरह के मानदण्ड एवं आदर्श इनके लिए उपयुक्त नहीं है। पेटेंट के वैश्विक एकाधिकार जो विज्ञान एवं तकनीक के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं का एक छोटे से विकसित (औद्योगिक) राष्ट्रों के समूह के पास रहने से व्यापार एवं विनिमय के बहुपक्षीय व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ट्रिप्स में लचीलापन न आने की स्थिति में पूरी व्यवस्था ही अस्थाई बन जाएगी। मूलत: ट्रिप्स के प्रावधान विकासशील देशों के बाजार को विकसित राष्ट्रों द्वारा आरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। ट्रिप्स को लागू करने से स्वदेशी उत्पादन बंद हो जाएंगे। यह इन विकासशील राष्ट्रों में अग्रणी तकनीक के खोज एवं विकास कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। विकासशील राष्ट्रों के शिक्षण संस्थान विकसित देशों की प्रतिछाया बन कर रह जाएंगे। इससे ट्रिप्स प्रावधानों पर नए दौर की वार्त्ताओं में

- निर्देश चिन्ह तथा समयबद्ध व्यवस्था।
- बातचीत।

सेवा क्षेत्र

१२. सेवा क्षेत्र में व्यापार विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए चल रही बातचीत में बहुत से राष्ट्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए है। इसके लिए हम २८ मार्च २००१ को सेवा क्षेत्र में व्यापार के लिए गठित समिति द्वारा स्वीकृत बातचीत को ही आगे बढ़ाएंगे।

गैर-कृषि वस्तुओं का बाजार प्रवेश

१३. इसके लिए विकासशील एवं कम विकसित देशों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी तरह के आयात शुल्क का विरोध करते है।

ट्रिप्स

१४. शराब एवं स्प्रिट के भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित बहुपक्षीय पद्धति पर बातचीत पूरी करेंगे।

१५. भौगोलिक विशेषताओं को संरक्षित करने के मुद्दे की ट्रिप्स समिति समीक्षा करेगी।

१६. हम ट्रिप्स समिति को यह आदेश देते हैं कि अपने कार्ययोजना को जारी रखते हुए, ट्रिप्स समझौते, जैवविविधता व पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के बीच संबंधों के लिए एक समझौता तैयार करें जिसमें नए तकनीक तथा अन्य विकासों को ट्रिप्स के अंतर्गत रखा जाएगा।

१७. ट्रिप्स समिति इस कार्य की प्रगति रपट २००२ के अंत में सामान्य समिति तथा अपनी पूर्ण रपट अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगी।

निवेश एवं व्यापार के बीच संबंध

१८. हम विदेशी निवेश विशेषकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को ध्यान में रखते हुए एक बहुपर्वीय नियमों का ढाँचा तैयार करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे।

अथवा

१९. **व्यापार एवं निवेश के संबंध के लिए बनाया गया कार्य समूह इस मुद्दे पर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विश्लेषण कर अपनी रपट प्रस्तुत करेगा। यह रपट अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत।**

व्यापार एवं प्रतियोगिता के बीच के कार्य

२०. **हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं विकास में प्रतियोगी नीतियों के अवदान को बढ़ाने पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस बातचीत के द्वारा हम प्रतियोगी नीतियों के लिए एक बाह्य ढाँचा तैयार कर लेंगे जिसमें विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को भी स्थान मिलेगा।**

अथवा

२१. व्यापार एवं प्रतियोगिता नीतियों के भीतरी कार्यों पर कार्यदल, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों का विश्लेषण कर अपनी रपट पाँचवें में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा।

शासकीय प्रबंधन में पारदर्शिता

२२. हम शासकीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए एक बहुपक्षीय समझौते पर बातचीत करने को तैयार हैं।

व्यापार का सरलीकरण

२३. हम व्यापारिक बाधाओं विशेषकर कस्टम व्यवस्था तथा वस्तुओं के बेरोकटोक आवाजाही पर बात करने के लिए तैयार है।

विश्व व्यापार संगठन के नियम

२४. हम गैर १९९४ के अनुच्छेद छह के कार्यान्वयन समझौते, सब्सिडी तथा बराबरी के मानको पर बातचीत करने के लिए तैयार है।

२५. हम वर्त्तमान विश्व व्यापार संगठन के समझौते के क्षेत्रीय व्यापार समझौते से संबंधित अनुच्छेदों पर बात करने के लिए तैयार है।

विवाद निपटाने के समझौतों में संशोधन

२६. सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर विवाद-निपटारे की व्यवस्था में संशोधन करने पर बातचीत की जाएगी। यह संशोधन व्यवस्था मई २००३ तक तैयार कर ली जाएगी और तैयार होने के तुरंत बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

व्यापार एवं पर्यावरण

२७. हम व्यापार एवं पर्यावरण से संबंधित समिति को आदेश देते हैं कि यह अपने एजेण्डे पर काम जारी रखे और विशेषकर

Scanned with OKEN Scanner

निम्नलिखित बातों पर जोर दे –

- विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह उन स्थितियों को खोजे जिनमें व्यापार बाधाओं को दूर कर व्यापार, पर्यावरण तथा विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- बहुपक्षीय व्यापार समझौते तथा बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के बीच संबंध को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करे।

व्यापार एवं पर्यावरण की समिति अपनी रपट पाँचवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगी।

२८. व्यापार में तकनीकी बाधाओं की समिति व्यापार में विभिन्न तरह के बाधाओं को दूर करने के सुझाव पाँचवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में देगी।

इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य

२९. हम २० मई १९९८ के बाद के विभिन्न घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर कार्य योजना को जारी रखेंगे। इस कार्ययोजना की प्रगति रपट अगले (पाँचवें) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही पाँचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर किसी तरह की कस्टम शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

छोटी अर्थव्यवस्थाएँ

३०. हम सामान्य समिति की देखरेख में, छोटी अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार से संबंधित कार्य योजना तैयार की जाएगी जो इससे संबंधित मुद्दों की जाँच करेगी। सामान्य समिति इस कार्ययोजना के रपट का अध्ययन कर अपने प्रस्ताव पाँचवी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगी।

व्यापार, घाटा एवं वित्त

३१. वित्तीय तथा मौद्रिक अस्थिरिता से वहुपक्षीय व्यापार तंत्र को बचाने के लिए वित्त घाटा एवं व्यापार के बीच के संबंधों की जाँच-परख के लिए सामान्य समिति की देख-रेख में विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसकी रपट सामान्य समिति पाँचवी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगी।

व्यापार एवं तकनीक का आदान-प्रदान

३२. विकासशील देशों के लिए तकनीक के बेरोकटोक आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए सामान्य समिति की देख-रेख में व्यापार एवं तकनीक के आदान-प्रदान के बीच के संबंधों की जाँच की जाएगी। इसकी रपट भी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी।

तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण

३३. आर्थिक योजना तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाने के लिए सदस्यों द्वारा तकनीकी सहयोग माँगे जाने पर सचिवालय उनकी सहायता करेगा। विश्व व्यापार संगठन का तकनीकी सहयोग सदस्य देशों को विश्व व्यापार संगठन के नियमों को समझने, कार्यान्वित करने तथा सदस्य होने के अधिकारों का उपयोग करने के बारे में शिक्षा देने का रहेगा। जिसमें खुली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लाभों का वर्णन शामिल होगा। विभिन्न देशों को व्यापार संबंधी तकनीक सहयोग में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए क्षमता निर्माण प्राथमिकता में होगी। हम बजट, वित्त तथा प्रशासन से संबंधित समिति को एक योजना तैयार करने के लिए कहेंगे, जिसे दिसम्बर २००१ मे सामान्य समिति द्वारा स्वीकार किया, जो दीर्घावधि में विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिए जाने वाले तकनीकी सहयोग को सुनिश्चित करेगा।

अल्पविकसित देश (एलडीसी)

३४. हम यह मानते है कि अल्पविकसित देशों के वैश्विक व्यापार व्यवस्था में पूर्णतः मिल जाने के तीन स्तरों पर संयोजन तथा अंर्तसंबंध आवश्यक है। ये तीन स्तर है बाजार का खुलना, तकनीकी सहयोग तथा क्षमता निर्माण एवं इन देशों की घरेलू योजनाओं में सुधार। हम स्वीकार करते हैं कि एलडीसी के लिए कार्य योजना तैयार करते समय ब्रुसेल्स घोषणा-पत्र तथा मई २००१ में हुए एलडीसी पर तीसरे से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पारित व्यापार संबंधी प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही एलडीसी के लिए एक स्वीकृत ढाँचा बनाया जाएगा। हम प्रधान निदेशक से आग्रह करते हैं कि

विकसित राष्ट्रों का एकाधिकार तोड़ने की बात होनी चाहिए।

श्रम संबंधी प्रस्ताव भी पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है। जब पूँजी और तकनीक के मुक्त आवाजाही की बात की जा रही है जो पूर्णतः विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है क्योंकि पूँजी और तकनीक दोनों विकसित राष्ट्रों के पास प्रचुर मात्रा में हैं तो मानव श्रम की आदान-प्रदान पर रोक क्यों लगाया गया है। मानव श्रम विकासशील राष्ट्रों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जो सस्ता होने कारण विकसित राष्ट्रों के श्रमिकों से का ज्यादा उपयुक्त है। श्रम की आवाजाही रोक लगाकर तथा अब अंतरराष्ट्रीय श्र मानकों को लागू कर विकसित रा विकासशील राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षम को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। इस प्रारू में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान श्र कानूनों के लागू करने की बात की गयी विकसित देशों में प्रतिव्यक्ति आय औसत २५,००० डॉलर प्रति व्यक्ति से अधिक जबकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में लगभग २५० डॉलर प्रतिव्यक्ति है। इ परिस्थिति में एक समान श्रम मानक ल करने पर विकासशील देशों की अर्थव्यव का क्या हश्र होगा। यह आसानी से सो जा सकता है। इस प्रकार सभी राष्ट्रों पर प्रारूप के द्वारा एक समान श्रम मानक थो की कोशिश की जा रही है जिस विकासशील राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर हा उठानी पड़ेगी और उनके बहुत से उद्यो धंधे बंद हो जाएँगे। वास्तव में ये प्राव विकसित राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य फैलाने की कोशिशों के अंग हैं।

इस पूरे प्रारूप में एंटी डंपिंग प्रस्ता की सीधी चर्चा नहीं की गयी है। विक राष्ट्र एंटी डंपिंग समझौतों का खुला उल्लं करते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय इत्यादि डब्ल्यू०टी०ओ० प्रस्तावों को त तक मानते हैं जहाँ तक उन्हें फायदा डब्ल्यू०टी०ओ० की विवाद निपटारा इ भी विकसित राष्ट्रों की परिपोषक है। व की प्रक्रिया इतनी खर्चीली है कि वहाँ कम देश जाना पसंद ही नहीं करते। विकसि

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रों के कानून भी विकासशील राष्ट्रों के विरुद्ध है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। एंडी डंपिंग मामलों को वहाँ वर्षों तक लटकाया गया है। अमेरिका में ४२ प्रतिशत एंटी डंपिंग तथा ६३ प्रतिशत काउंटर वेलिंग शुल्क से संबंधित मामलों का निपटारा भी नहीं होता जिसका सीधा असर विकासशील राष्ट्रों के निर्यात पर ऋणात्मक रूप में पड़ता है। अमेरिका की तुलना भारत से की जाए तो हम पाते हैं कि १९९९ में अमेरिका ने केवल ११.६ प्रतिशत तथा १९९९ में केवल ५.४ प्रतिशत एंटी डंपिंग मामलों का निपटारा किया। जबकि भारत ने १९९८ में ७९ प्रतिशत तथा १९९९ में ७८ प्रतिशत मामले निपटा दिए। यही नहीं औसतन अमेरिका में प्रति मामला पाँच वर्ष का समय लगता है जबकि डब्ल्यू०टी०ओ० प्रावधानों में यह समय १२ से १८ माह दिया गया है। अमेरिका और

अमेरिका की तुलना भारत से की जाए तो हम पाते हैं कि १९९९ में अमेरिका ने केवल ११.६ प्रतिशत तथा १९९९ में केवल ५.४ प्रतिशत एंटी डंपिंग मामलों का निपटारा किया। जबकि भारत ने १९९८ में ७९ प्रतिशत तथा १९९९ में ७८ प्रतिशत मामले निपटा दिए।

कनाडा में कई मामले वर्षों से (क्रमशः १० तथा ३२ वर्षों से) लंबित पड़े हैं। इन विकसित देशों के ऐसे भी कानून बना रखे है कि एंटी डंपिंग का आरोप झेल रहे देशों को यह कई वर्षों तक प्रमाणित करना होगा कि वे डंपिंग नहीं कर रहे हैं। यह डब्ल्यू०टी०ओ० प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। लेकिन इन सभी मुद्दों को इस प्रारूप में छुआ भी नहीं गया है।

इस पूरे प्रारूप यह प्रमाणित करता है कि विश्व व्यापार के महानिदेशक श्री माइक मूर विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेण्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। महानिदेशक ने केवल विकसित देशों के इशारे पर एक तरफ नए वार्त्ताओं की पेशकश की है। जब नए दौर के वार्त्ताओं के लिए आम सहमति ही नहीं है तो फिर श्री मूर नए दौर की वार्त्ताओं के लिए क्यों जोर दे रहे है। विकासशील राष्ट्रों और उनकी जायज माँगों को उन्होंने उपेक्षित क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न डब्ल्यू०टी०ओ० के अस्तित्व के प्रश्न बन सकते है।

नए दौर की वार्त्ताओं के प्रति विकसित देशों की उत्सुकता केवल अपने लाभ के लिए है। नए दौर की वार्त्ताओं के इस प्रारूप में पाँच प्रमुख बिन्दु शामिल किए गए हैं – पहला है व्यापार में प्रतिस्पर्धा। इस प्रारूप में यह कहा गया है कि विकासशील देश अपने उद्योगों को संरक्षण देना बंद कर दें ताकि बड़ी कंपनियाँ आसानी से वहाँ का शोषण कर सकें। दूसरा मुद्दा सरकारी खरीद से संबंधित है। मौजूदा समय में सदस्य राष्ट्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप भंडारण करते हैं। सरकारें जिससे चाहें खरीद कर सकती हैं। इस नए प्रारूप में प्रस्ताव है कि खरीद अब खुले बाजार से होगी और कोटा तंत्र को बंद कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें मल्टी लेटेरल (बहुपक्षीय) निवेश' और औद्योगिक शुल्क समझौते पर भी वार्त्तायें शामिल है जिनका विरोध विकासशील राष्ट्र कर रहे है क्योंकि ये इनके हितों के विरुद्ध है। तीसरा मुद्दा पूँजी निवेश से संबंधित है। अभी वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पूँजी निवेश निवेशक राष्ट्र की मर्जी पर नहीं बल्कि निवेशित राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप होता है। इस प्रारूप में निवेशक राष्ट्र की मर्जी के अनुरूप निवेश पर वात्तायें करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इसमें निवेशकों पर किसी भी तरह के रोक-टोक का भी विरोध किया गया है। इस प्रकार यह प्रस्ताव भी विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे क्रम तथा पर्यावरण से संबंधित है।

इस पूरे प्रारूप की विवेचना करने के बाद इस संगठन की उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। विश्व व्यापार संगठन की इसी पश्चिम आधारित वैश्वीकरण की नीतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रऋषि माननीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कुछ दिन पहले एक नए वैश्विक आर्थिक संगठन के निर्माण की बात की थी। ■

पाँचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस पर रपट पेश की जाए।

विशेष एवं विभेदीय व्यवहार

३५. व्यापार एवं विकास की समिति द्वारा प्रस्तुत रपट पर विचार किया जाएगा।

कार्य योजना का संगठन एवं प्रबंधन

३६. इस घोषणा-पत्र के अनुसार नए दौर के प्रारंभ की बातचीत को बीच में बंद नहीं किया जाएगा और पाँचवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा इसकी सफलता के लिए हर व्यवस्था होगी। जब सभी क्षेत्रों से वार्त्ताओं के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे तो एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इन परिणामों के कार्यान्वयन के लिए निर्णय लिया जाएगा।

३७. सभी वार्त्ताओं का पर्यवेक्षण व्यापार वार्त्ता समिति, सामान्य समिति के अंतर्गत करेगी।

३८. विवाद निपटान व्यवस्था से संबंधित वार्त्ताओं के अतिरिक्त सभी वार्त्तायें एक ही कार्य के अंतर्गत आएंगी। जिन पर पहले निर्णय ले लिये जाएंगे उन्हें अस्थाई तौर पर लागू किया जाएगा। पहले लिए गए निर्णयों का भी सम्पूर्ण वार्त्ताओं को संतुलित करने में उपयोग होगा।

३९. वार्त्तायें खुली रहेंगी।
१. सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए,
२. राज्यों तथा अलग कस्टम परिक्षेत्रों के लिए भी।
निर्णय केवल विश्व व्यापार संगठन के केवल सदस्य राष्ट्रों द्वारा लिया जाएगा।

४०. वार्त्तायें पारदर्शक होगी और सभी सदस्यों को उनमें प्रतिनिधित्व मिलेगा।

४१. व्यापार एवं विकास समिति तथा व्यापार एवं पर्यावरण समिति एकीकृत मंच के रूप में कार्य करते हुए वार्त्ताओं के विकास तथा पर्यावरणीय पक्ष को ध्यान में रखा जाएगा।

४२. अपने संपूर्ण रूप में कार्य योजना एक संतुलित तथा भविष्यदर्शी होगी जिससे सदस्य राष्ट्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला किया जा सके। सभी वार्त्तायें सामान्य समिति के निरिक्षण में होगी जो इसकी प्रगति रपट को पाँचवीं मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

दोहा वार्ता पर सरकार का सही रुख

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

वाजपेई तथा मुरासोली मारन ने साफ कहा है कि विश्व व्यापार संगठन में नए मुद्दे तब तक नहीं लाए जाएँगे जब तक औद्योगिक देश पुराने समझौतों का सही

अनुपालन नहीं करते हैं। यदि वे अपने इस वक्तव्य पर टिके रहते हैं तो बधाई के पात्र होंगे। परंतु यह असली मुद्दा है ही नहीं। मुक्त व्यापार से होने वाले लाभ की सीमा है। असली लाभ तो वहाँ होता है जहाँ उत्पादक का एकाधिकार हो। चाय, काफी, जूट, हीरे आदि वस्तुओं में हमारी विश्व बाजार में पैठ है। इन वस्तुओं के कार्टेल बनाने चाहिए।

भारत का कहना है कि पहले पुराने मामलों को निबटाकर तब नए मुद्दे विचारार्थ स्वीकार होने चाहिए। इन मुद्दों में प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी का है।

इसमें कोई संशय नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन के बनने के बाद हमें लाभ हुआ है। १९९५ से १९९९ के बीच विश्व की आय में २३५५ अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। भारत की वृद्धि १३५ अरब डॉलर हुई है। विश्व की वृद्धि का ५ फीसदी हिस्सा हमें मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि डब्ल्यू.टी.ओ. हमारे लिए लाभकारी रहा है।

परंतु यह मूल विषय नहीं है। आर्थिक असमानता पूर्ववत है। यदि हमें लाभ हुआ भी है तो अनेक देशों को नुकसान भी हुआ है। देखना यह चाहिए कि हम विश्व अर्थव्यवस्था के मूल असंतुलन से कैसे निबेंटगे और दोहा की इसमें क्या भूमिका हो सकती है।

विश्व व्यापार को दो तरह की वस्तुओं में विभाजित करके समझना चाहिए। कुछ वस्तुएँ ऐसी है जिनका उत्पादन अनेक देशों में होता है जैसे कपड़े, कार अथवा गेहूँ। इन वस्तुओं में मुक्त व्यापार से लाभ होता है। यदि हम कपड़े सस्ते बना सकते है तो हम उनका निर्यात करते हैं। यदि जापान कार सस्ती बना सकता है तो हम वहाँ से कार का आयात करते हैं। भारत तथा जापान दोनों को ही लाभ होता है। कपड़े तथा कार के बाजार में प्रतिस्पर्धा से मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। यदि जापार कार का मूल्य अधिक बढ़ाता है तो हम स्वयं कार का उत्पादन करने लगते हैं। इस प्रकार के व्यापार में डब्ल्यू.टी.ओ. की सार्थक भूमिका रही है जिसको हमें लाभ मिला है।

परंतु असली लाभ उन वस्तुओं में होता है जिनका उत्पादन कुछ ही देशों में अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। बोईंग तथा एयरबस ये दो कंपनियाँ विश्व के जेट हवाई जहाजों के निर्माता हैं। ग्लैक्सो जैसी दवा कंपनियाँ विशेष दवाओं के पेटेंट धारक हैं और मात्र निर्माता है। इस प्रकार की वस्तुओं में मुक्त व्यापार की कोई भूमिका नहीं है। इनके दाम ये कंपनियाँ अथवा देश स्वेच्छा से निर्धारित करते हैं और दूसरों को मजबूर होकर उनके द्वारा मांगे गए मनमाने मूल्य देने पड़ते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें इस प्रकार के एकाधिकार के दुरुपयोग को रोका

Scanned with OKEN Scanner

जा सके।

विकासशील देश भी पीछे नहीं है। तेल उत्पादक देशों ने ओपेक का गठन किया। १९७१ में तेल के दाम रातों रात तीन डालर प्रति बैरेल से बढ़ाकर ११ डॉलर कर दिए गए। पिछले वर्ष भी इसी तरह तेल के मूल्य १० डॉलर से बढ़ाकर ३५ डॉलर कर दिए गए। जिस प्रकार बोईंग कंपनी हवाई जहाज के मूल्य मनमाने ढ़ग से निर्धारित करती है उसी तरह ओपेक मनमाने ढ़ग से तेल का मूल्य निर्धारित करता है। इसमें डब्ल्यू.टी.ओ. कुछ नहीं कर पाता है। हमारे सामने असली चुनौती यह है कि उन वस्तुओं के मूल्यों में भारी बढ़ोतरी करें जिनमें हमारी धाक है। जूट, चाय, काफी, रबड़, हीरे, मसाले आदि अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जिनमें हम दूसरे देशों से मिल कर मूल्यवृद्धि कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर ले जाते हैं तो हमारी आय में भारी सुधार होगा। दोहा वार्ता की इस मूल एजेण्डा में भूमिका मात्र यह दिखती है कि औद्योगिक देशों के एकाधिकार बढ़ाने की प्रवृति को रोका जा सके।

भारत का कहना है कि पहले पुराने मामलों को निबटाकर तब नए मुद्दे विचारार्थ स्वीकार होने चाहिए। इन मुद्दों में प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी का है। १९९४ में हुए समझौते में औद्योगिक देशों ने उनके द्वारा जी रही कुछ विशेष प्रकार की कृषि सब्सिडी में २० फीसदी कटौती करना स्वीकार किया था। आगे की कटौती पर कोई समझौता नहीं हुआ था। इसे आगे वाले समय में विचार के लिए छोड़ दिया गया था। औद्योगिक देशों का कहना है कि समझौते में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। अतः इसपर चर्चा उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उनकी इच्छा यह है कि नए मुद्दों जैसे श्रम तथा पर्यावरण मानक, सरकारी खरीद के नियम आदि पर चर्चा के साथ ही कृषि सब्सिडी पर चर्चा हो अन्यथा नहीं। इसी तरह के दूसरे मामले हैं। सेवाओं के समझौते के अंतर्गत औद्योगिक देश समयानुसार वीजा नहीं करते। बौद्धिक सम्पदा समझौते (ट्रिप्स) के अंतर्गत विकासशील देशों की मांग है कि जीवन रक्षक दवाओं को इस समझौते से बाहर लाना चाहिए। कपड़ों के निर्यात में औद्योगिक देशों पर गुणवत्ता संबंधी अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जा रहे है। औद्योगिक देशों का इन तमाम मामलों पर एक ही उत्तर है कि इन पर नए मुद्दों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

नए मुद्दे मुख्यतः हमारे हम में नहीं हैं। श्रम तथा पर्यावरण मानक के नाम पर हमारे निर्यातों पर गलत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा नीति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घुसने ने देने के हमारे अधिकार को छीना जा सकता है। सरकारी खरीद के नियमों में हमारे अपने उद्योगों की दी जाने वाली प्राथमिकता को समाप्त किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय निवेश समझौते के अंतर्गत भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हमारी सरकार का नियंत्रण समाप्त हो सकता हैं।

औद्योगिक देश इस बात को समझ रहे है कि खुले व्यापार से थोड़ा ही लाभ होता है। मुख्य लाभ एकाधिकार वाले व्यापार में है। उन्होंने उरुग्वे राउण्ड में पूरी ताकत पेटेंट कानून को व्यापार नियमों में शामिल करने में लगा दी थी और उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। वे इसी प्रकार के एकाधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं।

इस परिस्थिति में वाजपेयी तथा मारन ने सही रूख अपनाया है कि पहले पुराने मुद्दों को सुलझाया जाए तब नए मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि नए मुद्दों को रोके रखकर पुराने मुद्दों पर पहले प्रगति करें। इसके लिए हमें दूसरे देशों का समर्थन चाहिएगा। यह कठिन नहीं होना चाहिए। अनेक विकासशील देशों की हालत डब्ल्यू.टी.ओ. के लागू होने के बाद खस्ता हुई है। कुछ देशों की हालत कितनी गंभीर है यह आँकड़ों से पता चलता हैं। उक्रेन की आय १९९५ में ८० अरब डॉलर थी, १९९९ में यह मात्र ४२ अरब डॉलर रह गई थी। थाईलैंड की आय १९७ से घटकर १२३, मलेशिया की ८५ से घटकर ७४, दक्षिण अफ्रीका की १३६ से घटकर १३१ तथा कजाकिस्तान की २१ से घटकर १५ अरब डॉलर रह गई है। पाकिस्तान, पेरू, रोमानिया तथा अर्जेंटीना की आय पूर्ववत बनी हुई है। वर्तमान में विश्व मंदी के चलते अनेक देशों की हालत खस्ता हो चुकी है। उन्हें साथ में लेना होगा। अनेक सदस्य देशों पर डब्ल्यू.टी.ओ. का विपरीत प्रभाव पड़ा है। नए मुद्दों को शामिल करने से उनकी समस्याएँ और गहराएँगी। उन्हें इस बात को समझाने की आवश्यकता है।

फिर भी एक समस्या रह जाती है। नए मुद्दों का केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा। केवल नकारात्मक बात कम प्रभावशाली होती हैं। हमें ऐसे नए मुद्दे खोजने होंगे जिनसे औद्योगिक देशों को मात दी जा सके। ऐसा एक मुद्दा लोगों के स्वतंत्र पलायन का है। खुले व्यापार का आधार यह है कि विश्व के हर मनुष्य को लाभ मिले। यही लाभ हर मनुष्य को दूसरे देशों में जाने एवं बसने की स्वतंत्रता से भी होगा। सोमालिया के नागरिक को यदि प्रिंगल के अमरीकी आलू चिप्स चाहिएँ तो उसे वे आयात से भी मिल सकते है और उसके स्वयं के अमरीका पलायन करने से भी। विकासशील देशों को मांग करनी चाहिए कि दूसरे नए मुद्दों को लेने के पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी हो। इस पर प्रारंभिक वार्ता होने के बाद ही दूसरे मुद्दों को उठाया जाए।

विश्व व्यापार संगठन हमारे लिए नुकसान देह नहीं रहा है परंतु विश्व के तमामा देशों के लिए हानिकारक रहा है। इस समय हमें इन दुखी देशों का नेतृत्व करना चाहिए। इन्हें पश्चिमाभिमुखील मानसिक गुलामी से निकालना चाहिए। इन्हें बताने की जरूरत है कि जिस पूँजी के पीछे हमारे वित्तमंत्री विदेशियों के समक्ष भीख का कटोरा लिए घूमते है वही रकम हमें चाय, काफी तथा जूट के कार्टेल बनाकर मिल सकती है। अन्य देशों के साथ सहमति बनानी चाहिए। नए मुद्दों की सूची में मनुष्य के स्वतंत्र पलायन के अधिकार को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यह औद्योगिक देशों को मान्य नहीं होगा और इसी बिंदु पर अगला चक्र समाप्त हो जाएगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

इस बात की समीक्षा की जाए कि सकल देशीय उत्पाद के भिन्न-भिन्न अंग कौन-से हैं और वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इस पहलू की उपेक्षा की जाती रही है।

रोजगार-वृद्धि प्रोत्साहित करने के लिए विकल्प विकास-मॉडल

■ रुद्रदत्त

मूल प्रश्न जिसका उत्तर देना आवश्यक है, यह है : "विकास का वह विकल्प मॉडल कौन-सा है जिसमें सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि के साथ रोजगार को प्रोत्साहित किया जा सकता है? विकास के वर्तमान मॉडल की मूल समस्या यह है कि इसमें सकल देशीय उत्पाद को विकास का प्रधान सूचक समझा जाता है। अतः आर्थिक समीक्षा में विकास के प्रमाप के रूप में सकल देशीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद, विनियोग और बचत, निर्यात और आयात, थोक कीमत सूचकांक एवं उपभोक्ता कीमत सूचकांक आदि दिए गए हैं परन्तु कहीं भी इनके रोज़गार या इसकी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि और रोज़गार वृद्धि को उसी मॉडल में एक साथ पिरोया नहीं जाता। यह कल्पना की जाती है कि सकल देशीय उत्पाद में वृद्धि के परिणामस्वरूप, रोज़गार को एक आश्रित चल के रूप में विकसित होना है। परंतु अधिक महत्त्वपूर्ण है कि इस बात की समीक्षा की जाए कि सकल देशीय उत्पाद के भिन्न-भिन्न अंग कौन-से हैं और वे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इस पहलू की उपेक्षा की जाती रही है। अतः उन मुख्य क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो रोज़गार-वृद्धि में योगदान देते हैं और नीतियों का केन्द्र इन क्षेत्रों द्वारा अधिकतम सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर प्राप्त करना होना चाहिए।

१९९९-२००० में रोज़गार में मुख्य योगदान देने वाले क्षेत्र हैं: कृषि (६०%), विनिर्माण (१२%), व्यापार (९%) और सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ (८%)। ये चार क्षेत्र मिल कर कुल रोज़गार का ८९% जुटाते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में, ८६ प्रतिशत रोज़गार लघु उद्योगों द्वारा जुटाया जाता है और बड़ी एवं मध्यम इकाईयों का योगदान केवल १४ प्रतिशत है। इसी प्रकार व्यापार में अधिकतर व्यापार छोटे प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है।

कृषि, सिंचाई और वाटरशैड विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

यदि रोज़गार उद्देश्य का सकल देशीय वृद्धि दर के उद्देश्य से तालमेल बिठाना है, तो कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। रोज़गार अवसरों पर कार्यदल की रिपोर्ट का अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि जहाँ तक रोजगार का संबंध है, कृषि में अधिकतम सीमा प्राप्त कर ली गयी है। इस कारण कार्यदल सन २०००-२०१२ की अवधि के लिए ०.१० की रोज़गार-लोच प्रदान करता है। यह धारणा इस बात पर आधारित है कि कृषि-रोज़गार में विस्तार की संभावनाएँ समाप्त हो गयी हैं। यह बात वास्तविकता से कहीं दूर है। इसमें सन्देह

Scanned with OKEN Scanner

जहाँ कि हरी क्रांति के क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त की जा चुकी है। परंतु इनमें भी अभी उत्पादिता के अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तर प्राप्त करने हैं। परंतु बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे कृषि की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अभी रोजगार के विस्तार की काफी गुंजाइश है। सिंचाई का विस्तार और वाटरशैड विकास कृषि-उत्पादिता को बढ़ाने और इसके साथ-साथ रोजगार बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उदाहरणार्थ १९९४ में मध्य प्रदेश में राजीव गाँधी वाटरशैड प्रबंध मिशन के आधीन, देश में वाटरशैड विकास का सबसे बड़ा प्रोग्राम कार्यांवित किया जा रहा है। इस मिशन के आधीन १४.२५ लाख हैक्टेयर भूमि पर कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादिता में सराहनीय वृद्धि हुई और ३,२९४ गाँवों का जल-स्तर ऊँचा हो गया। वाटरशैड गाँवों ने उत्तरोत्तर सूखे के वर्षों का मुकाबला करने के लिए अपनी सामर्थ्य बढ़ा ली है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पानी रोको अभियान ने भारत में सबसे अधिक सामुदायिक भागीदारी प्राप्त करने में सफलता पायी है। यह प्रोग्राम ४३,००० प्रयोक्ता समूहों, १९,००० स्व-सहायता समूहों और ७,५०० स्त्री-बचत समूहों पर फैल गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंचाई आधीन क्षेत्रफल में पहले की अपेक्षा ५९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यर्थ भूमि में ३४ प्रतिशत की कमी हुई और चारे का उत्पादन ३७,००० टन से अधिक हो गया। इससे रोजगार विस्तार और अल्परोज़गार के उपचार में सहायता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश सरकार के वाटरशैड विकास का मिशन मॉडल १९९९ में आंध्र प्रदेश २००० में उड़ीसा और २००१ में राजस्थान में चालू किया गया है।

अनारक्षण की नीतियों ने लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है। इससे रोजगार वृद्धि पर भी मंद प्रभाव पड़ा है। सरकार को लघु क्षेत्र के उत्पादों के और अधिक अनारक्षण को एकदम बन्द कर देना चाहिए। गारमेंट क्षेत्र को पुनः आरक्षण की सूची में लाना चाहिए।

सुधार-उपरान्त काल में कृषि विकास कार्यक्रमों में काफी मंद गति अनुभव की गयी। सिंचाई मूल आदान है जिसकी सहायता से अधिक उपजाऊ बीजों के कार्यक्रम का विस्तार होता है और साथ-साथ उर्वरक उपभोग में भी वृद्धि होती है। आंकड़ों से पता चलता है कि सुधार-पूर्व दशक (१९८०-८१ से १९९०-९१) के दौरान सिंचाई आधीन क्षेत्र, १९८०-८१ में ५४१ लाख हैक्टेयर से बढ़ कर १९९०-९१ में ७०८ लाख हैक्टेयर हो गया अर्थात् इसमें ३०.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई, परंतु सुधार-उपरान्त काल में, सिंचाई आधीन क्षेत्रफल १९९०-९१ में ७०८ लाख हैक्टेयर से बढ़ कर १९९९-०० में ८३६ लाख हैक्टेयर हो गया अर्थात् इसमें केवल १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंचाई में इस मंद गति का अधिक उपजाऊ बीजों के विस्तार और उर्वरक उपभोग पर प्रभाव पड़ा। सुधार-पूर्व दशक में अधिक उपजाऊ बीजों के आधीन क्षेत्रफल में ५०.८ प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध, १९९०-९१ से १९९७-९८ की अवधि में, यह वृद्धि केवल १६.९ प्रतिशत थी। ज़ाहिर है इसकी गति काफी मंद हो गयी। इसी प्रकार, अस्सी के दशक में उर्वरक उपभोग में १२७.३ प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध, नब्बे के दशक में उर्वरक उपभोग में केवल ३४.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि विकास प्रोग्रामों की प्रगति की गति मंद हो जाने से १९९० के दशक में कृषि में रोजगार जनन पर दुष्प्रभाव पड़ा। अतः रोजगार जनन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कृषि विकास कार्यक्रमों को त्वरित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, पतित और व्यर्थ भूमियों के विकास के लिए कृषि कंपनियों का प्रयोग करने में बुद्धिमता नहीं जैसा कि कार्यदल ने सुझाव दिया है। इसकी अपेक्षा, इस कार्य में मध्य प्रदेश व्यर्थ भूमि प्रबंध मिशन मॉडल की भांति इन प्रोग्रामों में पंचायतों का इस्तेमाल करना लाभदायक होगा। इससे रोजगार जनन में सहायता मिलेगी और कृषि में अल्परोजगार भी कम होगा। आहलूवालिया कार्यदल की मुख्य समस्या यह है कि इसका निजी निगम क्षेत्र पर बहुत अधिक विश्वास है और वह इसकी सहायता से समन्वित कृषि कॉम्प्लैक्स विकसित करना चाहता है और इन्हीं के द्वारा पतित और व्यर्थभूमियों को काश्त आधीन लाना चाहता है। यह मॉडल बड़े व्यापारियों की जेबों में अधिक धन डालना चाहता है। यह मॉडल भारत जैसे देश के लिए अनुचित है क्योंकि यह पूँजी-प्रधान मॉडल है और इससे रोज़गार जनन में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं हो सकता। इसकी अपेक्षा जन-भागीदारी मॉडल का प्रयोग करना चाहिए।

कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि खाद्य-विद्यायन उद्योगों को बहुराष्ट्रीय निगमों को सौंप देना चाहिए। खाद्य-विद्यायन में अत्यधिक परिमार्जित तकनालाजी की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता ली जाए। इससे तो यह

नौवीं योजना में यह बात रेखांकित की गयी कि ११.२ करोड़ परिवार मुख्यतः एक-कमरे के मकानों में रहते हैं जिनमें छत के निर्माण के लिए घास, तिनकों और फूस का प्रयोग किया गया। हर वर्ष, बरसात के पश्चात् इन मकानों की मरम्मत की जरूरत पड़ती है।

Scanned with OKEN Scanner

सड़कों के विस्तार, ग्राम-क्षेत्र को शहरी केन्द्रों के साथ जोड़ने, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में तब्दील करने और चार लेन वाले राजमार्गों के रूप में आधार संरचना कायम करने के लिए श्रम-प्रधान प्रोजेक्टों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

कहीं बेहतर होगा कि कृषि-सहकारी समितियों को खाद्य विधायन में प्रेरित करने के लिए सहायता प्रदान की जाए। केवल विपणन के लिए, ताकि कुछ ब्रैंड विकसित किए जा सकें, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की सहायता लेनी चाहिए।

लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को रोजगार-जनन के लिए प्रोत्साहित करना

विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार वृद्धि में मुख्य अंशदाता लघु-स्तर और अनौपचारिक क्षेत्र है जिसे प्राय: असंगठित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अनारक्षण की नीतियों ने लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है। इससे रोजगार वृद्धि पर भी मंद प्रभाव पड़ा है। सरकार को लघु क्षेत्र के उत्पादों के और अधिक अनारक्षण को एकदम बन्द कर देना चाहिए। गारमेंट क्षेत्र को पुन: आरक्षण की सूची में लाना चाहिए। लघु-क्षेत्र की इकाईयों की मुख्य समस्या उधार और तकनालाजी का उन्नयन है। यदि सरकार इन्हें दिए जाने वाले उधार की राशि बढ़ा दे, जैसा कि नायक समिति ने सुझाव दिया और हाल ही में एस०पी० गुप्त अध्ययन दल ने भी इसकी पुष्टि की, तो इससे रोजगार का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हो सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि कार्यदल की सिफारिश के अनुसार अगले चार वर्षों में अनारक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो इससे रोजगार-लक्ष्य को और धक्का लगेगा। लघु स्तर उद्योगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्पर्द्धाशक्ति का प्रमाण दे दिया है, चूँकि इनके द्वारा ५४,००० करोड़ रुपए की निर्यात-आय प्राप्त हुई। १९९७-९८ के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बड़े निगम क्षेत्र द्वारा कुल ३६.३ लाख रोजगार क्षमता कायम की गयी जबकि लघु-क्षेत्र द्वारा १९९९-२००० में १७९ लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

गरीबों के लिए मकान

एक और क्षेत्र जो रोजगार बढ़ाने में मुख्य जनक बन सकता है, गृह-निर्माण क्षेत्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार नये मकानों की आवश्यकता का अनुमान ७७ लाख इकाइयाँ है और ११२ लाख इकाईयों के उन्नयन की आवश्यकता है। नौवीं योजना में यह बात रेखांकित की गयी कि ११.२ करोड़ परिवार मुख्यत: एक-कमरे के मकानों में रहते हैं जिनमें छत के निर्माण के लिए घास, तिनकों और फूस का प्रयोग किया गया। हर वर्ष, बरसात के पश्चात् इन मकानों की मरम्मत की जरूरत पड़ती है। यह बात सर्वविदित है कि गृह-निर्माण एक श्रम-प्रधान क्रिया है और यदि राज्य अपने लक्ष्य "सभी के लिए मकान" को पूरा करना चाहता है, तो यह निश्चय ही इसमें काफी सहायता प्रदान कर सकता है। यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजगार अवसरों पर कार्यदल ने इस संबंध में स्व-सहायता क्रिया का जिक्र तक नहीं किया जिसमें राज्य सरकार गरीबों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और बिना घरों के अभागे व्यक्तियों के लिए रात्रि-आश्रय बना सकती है। इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना के आधीन ग्राम-क्षेत्रों में गृह-निर्माण को प्रोत्साहित कर सकती है और इस प्रकार पायदार मकान-निर्माण में योगदान दे सकती है। सरकार द्वारा ऋणों के रूप में प्रावधान अत्यधिक प्रभावशाली कार्यभाग अदा कर सकता है।

शहरी क्षेत्रों में लगभग ३३-४० प्रतिशत जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती है। गंदी बस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोगों के पास पायदार मकान नहीं हैं और इनमें पीने का पानी, शौचालय, रोशनी आदि की बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। गंदी बस्तियों का पुनर्वासन रोजगार-जनन का एक और मुख्य स्रोत बन सकता है।

ग्राम आधार-संरचना का प्रावधान

आधार संरचना का प्रावधान और विशेषकर ग्राम-आधार संरचना का प्रावधान रोजगार-जनन का एक और स्रोत बन सकता है और इससे विकास-प्रक्रिया को भी साथ-साथ त्वरित किया जा सकता है। सड़कों के विस्तार, ग्राम-क्षेत्र को शहरी केन्द्रों के साथ जोड़ने, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में तब्दील करने और चार लेन वाले राजमार्गों के रूप में आधार संरचना कायम करने के लिए श्रम-प्रधान प्रोजेक्टों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसके आधीन प्रत्येक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, एक अत्यन्त श्रम-प्रधान परियोजना है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और इस प्रकार अधिक रोज़गार-जनन के साथ व्यापार और उद्योग को भी प्रोन्नत किया जा सकता है।

साक्षरता के सार्वजनीकरण और मध्यम स्कूल शिक्षा के विस्तार से जन-सामान्य का शिक्षा स्तर उन्नत हो सकता है। सूचना तकनालाजी क्रांति के युग में ऐसा करना जरूरी है ताकि रोजगार बढ़े। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को मजबूत बनाना इस दिशा में एक लाभदायक उपाय सिद्ध हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग के कार्यदल ने तोते की भांति उदारीकरण की नीतियों और रोजगार बढ़ाने के लिए निगम क्षेत्र पर बल दिया है। यह रणनीति तो विफल होनी स्वाभाविक है क्योंकि कार्यदल की अधिकतर सिफारिशें वस्तुतः रोजगार-समाप्ति की ओर प्रेरित करती है न कि रोजगार-जनन की ओर। इसकी यह सिफारिश कि अतिरिक्त रोजगार का ७० प्रतिशत तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होगा....

सामाजिक आधार संरचना का विस्तार

सामाजिक आधार संरचना के विकास की दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। साक्षरता के सार्वजनीकरण और मध्यम स्कूल शिक्षा के विस्तार से जन-सामान्य का शिक्षा स्तर उन्नत हो सकता है। सूचना तकनालाजी क्रांति के युग में ऐसा करना जरूरी है ताकि रोजगार बढ़े। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को मजबूत बनाना इस दिशा में एक लाभदायक उपाय सिद्ध हो सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं विशेषकर ग्राम क्षेत्रों में, के विस्तार की बहुत जरूरत है और इसके साथ-साथ इनकी गुणवत्ता को भी उन्नत करना होगा। चूँकि देश ने "सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है, इन सेवाओं के विस्तार से डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य सहायक क्रियाओं एवं स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इससे भी रोजगार का विस्तार होगा।

अनौपचारिक क्षेत्र के प्रति नयी एवं प्रगतिशील दृष्टि

डॉ. एस.आर. हाशिम, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग ने श्रम-अर्थशास्त्र की भारतीय संस्था के ४१वें सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिकों और स्व-नियुक्त श्रमिकों का बहुत बड़ा भाग कार्य करता है। मूल विचार यह नहीं है कि अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियाँ सदा के लिए कायम रखी जाएँ, परंतु संक्रांतिकाल में, जब तक देश का सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा एक अधिक संगठित प्रणाली में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक नौकरियाँ ढूँढने वालों को स्व-रोजगार के उत्पादक कार्यों में खपाना सापेक्षतः आसान है। डॉ. हाशिम ने इस संबंध में बहुत से अत्यंत उपयोगी और ज़मीनी सुझाव दिए हैं -

सबसे पहले तो ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें अनौपचारिक आर्थिक क्रिया गैर-कानूनी अवांछनीय या झंझट प्रतीत न हो, बल्कि इसे एक लाभदायक, उत्पादक एवं सम्मानजनक क्रिया माना जाए। इसके लिए सबसे पहले कानूनी एवं विनियामक रुकावटें दूर करनी होंगी। अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण एवं विपणन की कठिनाइयों से मुक्त करना होगा और इसके लिए दुर्लभ आदान उपलब्ध कराने के लिए रुकावटें दूर करनी होंगी।

शहरी क्षेत्र में, अधिकतर रुकावटें प्रायः क्रिया के स्थिति-निश्चयन से उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, रिहायशी इलाकों में वाणिज्यक क्रियाओं की इजाजत नहीं दी जाती। सब्जी बेचने तक की भी अनुमति नहीं दी जाती, चाहे नजदीकी के कारण यह उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक है। इसी प्रकार नगरपालिकाओं के प्राधिकारों की रेहड़ीवालों और रिहायशी इलाकों में लघु-उत्पादन इकाईयों के बारे में दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती, तो उसे ऐसे सामान एवं उपकरणों को तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो गरीबों की आजीविका का साधन है। इस संदर्भ में, आयोजन की समग्र अवधारणा में परिवर्तन होना चाहिए। रिहायशी क्षेत्रों में बहुत से खुले स्थान छोड़ने चाहिए जिनमें लोग अनौपचारिक क्रियाएँ कर सकें। धीरे-धीरे ये लोग जो आरंभ में अपने जीवन-यापन के लिए ही आजीविका प्राप्त कर सकते हैं, इन छोटी दुकानों या वर्कशापों के मालिक बन जाएँगे। अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में किए गए बहुत से अध्ययनों ने ऐसे चलती-फिरती एवं गृह-आधारित क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

सूचना तकनालाजी की रोजगार क्षमता को विकसित करना

सूचना तकनालाजी ने देश में शिक्षित युवकों के लिए बहुत से मार्ग खोल दिए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सूचना तकनालाजी के एक भाग अर्थात् कम्प्यूटरों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कम्प्यूटर इंजीनियरों एवं प्रणाली-विश्लेषकों के रूप में आज १० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सूचना तकनालाजी क्षेत्र २२ लाख कम्प्यूटर व्यवसायियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। नैसकाम-मैकिन्जे रिपोर्ट (१९९९) ने यह अनुमान लगाया है कि सन २००८ तक सूचना तकनालाजी का आकार ८७ अरब यू.एस. डॉलर से बढ़कर ५०० अरब डॉलर हो जाएगा। इस प्रकार सूचना तकनालाजी सेवाओं में ११० लाख रोजगार कायम किए जा सकेंगे जिनसे १७-१८ अरब राजस्व प्राप्त होगा। इस दृष्टि से सूचना तकनालाजी क्षेत्र का रोजगार अवसरों के विस्तार की दृष्टि से उज्ज्वल भविष्य है। परंतु वर्तमान स्थिति का एक निराशाजनक पहलू यह है कि सूचना तकनालाजी शिक्षा बहुत महंगी है और इस क्षेत्र की नौकरियाँ केवल उच्च वर्गों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। गरीब विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को साहाय्य के रूप में पर्याप्त प्रावधान करना होगा या विभेदक फीस लगानी होगी। सरकार को कम्प्यूटर

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा ग्रामों एवं देश के दूरदराज़ के इलाकों में पहुँचाने के लिए मुख्य भूमिका अदा करनी होगी।

विशेष रोजगार कार्यक्रम

विशेष रोजगार कार्यक्रम जो गरीबी निवारण के उपाय है से ३० से ४० लाख नौकरियाँ प्रति वर्ष कायम की जाती हैं। साल-दर-साल इसके लिए ७,००० करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य साहाय्य पर १२,००० करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और मिट्टी के तेल एवं एल.पी.जी. पर १३,००० करोड़ रुपए का साहाय्य दिया जाता है। जहाँ पर इस प्रकार गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर ३२,००० करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और इनसे ३० से ४० लाख नौकरियाँ कायम की जाती हैं, वहाँ सिंचाई के लिए १,७०० करोड़ रुपए की मामूली राशि उपलब्ध करायी जाती है और वनों के लिए केवल ४०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन से पता चलता है कि इन पर खर्च गए प्रत्येक १०० रुपए में से १० से १५ रुपए गरीब श्रमिक को पहुँचते हैं जबकि कार्यक्रम में ६० रुपए मजदूरी के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। शेष राशि सरकारी अफसरों, ठेकेदारों और राजनीतिज्ञों द्वारा हड़प ली जाती है। अत: यह कहीं वांछनीय होगा यदि इन साधनों का प्रयोग उच्चकोटि की आधार संरचना के निर्माण के लिए किया जाए, विशेषकर सिंचाई, वाटरशैड विकास और ग्रामीण सड़कों के रूप में। ग्राम आधार संरचना में उन्नति से कृषि उत्पादिकता में सुधार होगा।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग के कार्यदल ने तोते की भांति उदारीकरण की नीतियों और रोजगार बढ़ाने के लिए निगम क्षेत्र पर बल दिया है। यह रणनीति तो विफल होनी स्वाभाविक है क्योंकि कार्यदल की अधिकतर सिफारिशें वस्तुत: रोजगार-समाप्ति की ओर प्रेरित करती हैं न कि रोजगार-जनन की ओर। इसकी यह सिफारिश कि अतिरिक्त रोजगार का ७० प्रतिशत तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होगा, इस क्षेत्र पर अनावश्यक एवं निराधार विश्वास रखना है। सरकार को इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर देना चाहिए और एक नया कार्यदल नियुक्त करना चाहिए जिसमें जमीन से जुड़े समाजसेवी, युवकों के प्रतिनिधि और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए ताकि एक नयी रणनीति का विकास हो जिससे आगामी दस वर्षों में १० करोड़ रोजगार कायम किए जा सकें। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १५ अगस्त २००१ को अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में साफ शब्दों में उल्लेख किया : "उदारीकरण के फल गरीबों तथा ग्राम क्षेत्रों में रहने वालों तक पर्याप्त रूप में पहुँच नहीं पाए हैं। असमानताओं में वृद्धि हुई है।" अत: उदारीकरण की विफल रणनीति जो श्रमशक्ति के केवल ७ प्रतिशत तक सीमित है, का अनुसरन करना अनुचित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि श्रमशक्ति के ९३ प्रतिशत का जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है ध्यान किया जाए। उदारीकरण के कारण बार-बार श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र की ओर धकेला जा रहा है। इस प्रक्रिया को पलटना होगा ताकि असंगठित क्षेत्र की अधिकाधिक इकाईयाँ उन्नत होकर संगठित क्षेत्र में शामिल हो सकें। मोंटेक आहलूवालिया रिपोर्ट इसमें बुरी तरह विफल हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को अपने शासन के एजेण्डा पर वापिस जाना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सरकार सुधारों की पुन:समीक्षा और उन्हें मजबूत करने का प्रयास इस मूलधारणा के आधार पर करेगी कि इससे बेरोजगारी की परिसमाप्ति और 'काम के अधिकार' को एक बुनियादी हक के तौर पर स्वीकार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विकास का एक नया मॉडल तैयार करना होगा जिसमें सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि और रोजगार की वृद्धि में समन्वय स्थापित किया जाए। इस मॉडल में, सिंचाई एवं वाटरशैड विकास को जन-सहभागिता द्वारा विकसित करने पर बल दिया जाएगा। इसी प्रकार पतित एवं व्यर्थभूमियों को पंचायतों के सहयोग से विकसित करना होगा। कृषि सहकारी समितियों को खाद्य-विद्यायन क्रियाओं के लिए मजबूत बनाया जाएगा और इनके विपणन के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग को यह कार्य सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त लघु स्तर के उत्पादों का आगामी वर्षों में अनारक्षण बंद करना होगा और एस.पी. गुप्त अध्ययन दल के सुझावों के अनुसार इनकी सहायता की जाएगी। गरीबों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए गृह-निर्माण पर बल दिया जाएगा; ग्राम आधार संरचना में सड़कों पर अधिक जोर दिया जाएगा और सामाजिक आधार संरचना के विस्तार के कार्यक्रमों को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोन्नत करने की जरूरत है जोकि आकस्मिक श्रम और स्वरोजगार का मुख्य स्रोत है। नगर आयोजन की अवधारणा में ऐसा परिवर्तन करना होगा कि इससे अनौचारिक क्षेत्र के प्रति एक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण प्रोन्नत हो ताकि इसके विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। धीरे-धीरे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को उन्नति करके छोटी दुकानों या वर्कशापों के मालिक बनने में सहायता करनी होगी। सूचना तकनालाजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि यह ग्रामों एव दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुँच सके, परंतु राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना तकनालाजी की शिक्षा केवल समृद्ध वर्गों तक ही सीमित न हो जाए बल्कि साहाय्यों एवं विभेदक फीस की प्रणाली द्वारा सूचना तकनालाजी की शिक्षा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक पहुँचायी जाएगी। गरीबी निवारण कार्यक्रम पर भारी व्यय करने की अपेक्षा ग्राम-आधार संरचना अर्थात् छोटी सिंचाई, वाटरशैड विकास पर अधिक साधन खर्च किए जाएँगे जिससे कृषि उत्पादिता उन्नत होगी और रोजगार का विस्तार होगा। विकास का ऐसा मॉडल ही सकल देशीय उत्पाद में वृद्धि और रोजगार-वृद्धि के बीच तालमेल बिठा सकता है ताकि सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रोन्नत हो सके।

भारत को पहले 'सभी को रोजगार' उपलब्ध करना है और संक्रांति से गुजर रहे समाज के रूप में इसे अपने अंतिम लक्ष्य 'सभी के लिए रोजगार' की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। ■

Scanned with OKEN Scanner

रक्षा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता

■ जसवंत सिंह

दुनिया के नए उभरते माहौल में भारत ने आर्थिक मजबूती, आंतरिक सामंजस्य और तकनीकी प्रगति को शामिल करते हुए सुरक्षा के बारे में विस्तृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें देश की सीमाओं की रक्षा, न्यूनतम स्तर की विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता बनाए रखकर, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समझबूझ बढ़ाना और विश्व के शक्तिशाली देशों व महत्वपूर्ण सहयोगी देशों के साथ सामरिक मुद्दों पर विचार-विमर्श शामिल हैं इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्म-निर्भरता का कितना महत्व है यह बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, रक्षा तैयारी के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की उपलब्धियाँ सराहनीय हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन ने सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में व्यावहारिक स्वदेशी विकल्प उपलब्ध कराए हैं। तरह-तरह के सैन्य उपकरणों और यंत्र देश में ही बनाए जाने लगे हैं। विकासशील देशों में भारत प्रतिरक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और विकास संबंधी उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है।

इस साल के शुरू में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अग्नि-२ प्रक्षेपास्त्र का संचालनात्मक दृष्टि से सफलतापूर्वक परीक्षण करके देश का मस्तक ऊँचा किया है। इससे भारत को एक विश्वसनीय अस्त्र प्रक्षेपण प्रणाली उपलब्ध हो गयी है। इसी तरह सतह से सतह पर मार करने वाला पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र, हवा में मार करने वाला लक्ष्य और तरंग व टेम्पेस्ट जैसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ स्वदेशी क्षमता से विकसित की गयी हैं जिनसे देश का सम्मान बढ़ा है। इनके अलावा भी कई अन्य विकास कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अब इनके उत्पादन और सेनाओं को सौंपे जाने की दिशा में कार्य चल रहा है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का कार्य पूरा हो चुका है। चालक रहित विमान निशांत के निर्माण के लिए आदेश शीघ्र ही दिए जाने वाले हैं।

कई अन्य छोटी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सेना की प्रहार क्षमता में वृद्धि में योगदान करने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास संगठन सशस्त्र सेनाओं की प्रहार क्षमता बढ़ाने, कृषि, चिकित्सा, मनावैज्ञानिक और शरीर वैज्ञानिक अध्ययन, हिमस्खलन के पूर्वानुमान और रेडियो तरंगों से आंकड़ों के संप्रेषण के क्षेत्र में उपयोगी सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है। हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) का स्वदेशी क्षमता से विकास करके संगठन ने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी की है और इस तरह इस वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। इस साल ४ जनवरी को हल्के लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान एकदम सही-सही तरीके से पूरी की। इसके करीब एक महीने बाद एयरो इंडिया २००१ प्रदर्शनी के दौरान इसने एक और उड़ान भर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इस विमान की बाद की उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं और उड़ान परीक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी संबंधी तमाम चुनौतियों, आधारभूत ढांचे व श्रम शक्ति संबंधी अड़चनों तथा टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण और संतोषजनक उपलब्धि है।

हल्के लड़ाकू विमान में हुई देरी के बावजूद इस कार्यक्रम का भविष्य उज्ज्वल है।

हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) का स्वदेशी क्षमता से विकास करके संगठन ने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी की है और इस तरह इस वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है। इस साल ४ जनवरी को हल्क लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान एकदम सही-सही तरीके से पूरी की। इसके करीब एक महीने बाद एयरो इंडिया २००१ प्रदर्शनी के दौरान इसने एक और उड़ान भर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की

इस परियोजना से जुड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा अन्य एजेंसियों के सभी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों उनके भावी कार्यक्रमों के लिए पूरा सहयोग मिलना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और उत्कृष्टता दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारा सामूहिक प्रयास होगा कि इस प्रतिभा का उत्पादक कार्यों में उपयोग हो। विमान का उत्पादन कर रही एजेंसी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, विभिन्न कार्य केंद्र, प्रमाणन एजेंसी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले विमान के लिए वैधानिक उड़ान अवधि पूरी हो, कावेरी इंजन परीक्षण में खरा उतरे और निर्धारित कार्यक्रम के

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार तैयार होकर इस दशक के उत्तरार्ध तक समस्त प्रारंभिक संचालनात्मक औपचारिकताएँ पूरा कर भारतीय वायु सेना में शामिल हो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कार्यक्रमों में कई समस्याएँ भी हैं। इसके कुछ कार्यक्रमों में जरूरत से ज्यादा देरी हो रही है। हालाँकि शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों, आयुध कारखानों, अन्य अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा विशिष्ट क्षेत्रों में अपने बेहतरीन कौशल व आधारभूत ढांचे के लिए प्रसिद्ध संगठनों के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस ओर पहले ध्यान नहीं दिया गया था और अब इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे आपसी समन्वय से बेहतर नतीजे हासिल होंगे। विभिन्न परियोजनाओं के लिए समय सीमा तय करने के साथ-साथ उन पर बेहतर नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मुश्किलें आती हैं वह हैं बेमेल मानकों के अनुसार उत्पादों का निर्माण। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सशस्त्र सेनाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उत्पादन व गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां उत्पादों का प्रारूप तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की तरफ अधिक ध्यान दें। उपलब्ध संस्थागत ढांचे के जरिए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे व्यावहारिक नमूनों के अनुसार उत्पादों के विकास में मदद मिले।

एक अन्य उपाय जिससे देरी को कम किया जा सकता है वह यह है कि प्रारंभिक चरण में ही सब तरह से पूर्ण प्रणाली का इंतजार करने की बजाय लगातार और क्रमशः विकास करते रहने की अवधारणा अपनायी जानी चाहिए। दुनिया के सैन्य दृष्टि से अग्रणी कुछ देश यही तरीका अपना रहे हैं। प्रयोगशाला से उत्पादन तक के काम में कार्यकुशलता और रफ्तार बढ़ाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है।

आत्मनिर्भरता का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। कोई भी तकनीकी दृष्टि से अग्रणी रक्षा प्रणालियाँ तभी दूसरे देश को देगा जब तक वह इस बात का फैसला कर ले कि प्राप्त करने वाले देश को इस प्रणाली के इस्तेमाल की पूरी छूट होगी। ऐसे में होता यही है कि दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी के नाम पर आमतौर पर पुरानी टेक्नोलॉजी ही हासिल हो पाती है। इतना ही नहीं रक्षा प्रणालियों के आयात से कोई देश दूसरे देश पर कई तरह से निर्भर हो जाता है। आज की दुनिया में कोई देश अपनी विदेश नीति को रक्षा क्षमता तथा प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता से अलग करके नहीं रख सकता। इसलिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को हर समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके कार्यनिष्पादन, क्षमता और कमजोरियों का असर केवल सशस्त्र सेना के कुछ विशिष्ट दायरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

सेना के तीनों अंग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन ईकाईयाँ तथा अन्य सहयोगी एजेंसियाँ प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लगातार बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। यही हमारा लक्ष्य है और हम इसे प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

साभार : [illegible]

(लेखक भारत सरकार में रक्षा एवं विदेशी मंत्री हैं और अब लेखक सिर्फ विदेश मंत्री है।)

सीएमसी लिमिटेड एवं हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर का भी विनिवेश हुआ

भारत सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये सीएमसी लिमिटेड एवं हिन्दुस्तान टेली प्रिंटर के अपने शेयरों को विभिन्न कंपनियों को बेच दिया है। सीएमसी के ५१ प्रतिशत शेयरों को टाटा संस ने १२५ करोड़ रुपए में खरीदा वही हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर के ७४ प्रतिशत शेयरों को मात्र ५५ करोड़ रुपए में एचएफसीएल को बेचा गया। इस प्रकार सरकार ने इस वर्ष के अंत तक अपने विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले १३ सार्वजनिक निकायों में से २ का पूर्ण विनिवेश कर दिया है। बाकी कंपनियों की स्थिति नीचे सारणी में दी गयी है।

सार्वजनिक संस्थान	*सरकारी हिस्सा*	*मूल्य*	*स्थिति*
सीएमसी	५१	१५२	टाटा संस को बिका
हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर	७४	५५	एचएफसीएल को बिका
हिन्दुस्तान जिन्क	२६	३००-५००	अक्टूबर अंत में निविदायें आमंत्रित की जाएगी
होटल कारपोरेशन	१००	२००-३००	निविदायें सचिवों की कोर सीमित के पास
आईटीडीसी	१००	८००-१०००	"
आईबीपी	३३.५	२००-५००	शार्ट लिस्टेड कंपनियों की जाँच जारी
आईपीसीएल	२५	६५०-९००	पुर्नगठन के बाद बिक्री
मारुति	४९.७	२०००-३०००	मूल्यांकनकर्त्ता की नियुक्ति
वीएसएनएल	२०	१२००-१५००	निविदायें आमंत्रित
नेपा	५१	३०-५०	–
जेस्सोप इन कॉरपोरेशन	७२	१०-२०	–
भारत भारी प्लेट	७४	५०-६०	–
इंस्ट्रमेन्टेशन कंट्रोल वाल्व	५१	४०-५०	–

Scanned with OKEN Scanner

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा कॉरपोरेट प्रशासन की चुनौतियाँ

■ प्रो० बी०बी० टण्डन / डॉ० ए०के० अवस्थी

वर्ष १९९१ में उदारीकरण के प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश हेतु कानूनों में छूट दी गयी और फेरा जैसे कई नियमों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इन बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन से भारत में एक असमान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई – दानवाकार बहुराष्ट्रीय निगमों और बौने भारतीय निगमों के बीच। यहाँ तक कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ भी बहुराष्ट्रीय निगमों के आगे पिग्मी की तरह हैं और जहाँ कुछ भारतीय कंपनियों को वहुराष्ट्रीय निगम निगल चुके हैं बाकी अपने बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसा कि एक पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य ने कहा "भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण वैसा ही है जैसा एक चूहे को हाथियों के झुण्ड में छोड़ देना।" भारतीय निगमों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच असमान प्रतियोगिता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई है –

१. भारतीय उद्यम बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में बहुत छोटे हैं।
२. भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र १९९१ के पहले के चार दशक में संरक्षणवादी वातावरण में था जहाँ प्रतियोगिता नहीं के बराबर थी।
३. भारत में वास्तविक ब्याज दर के विकसित देशों के तुलना में ज्यादा होने के कारण भारतीय उद्यमियों को बहुराष्ट्रीय निगमों की अपेक्षा ज्यादा कीमत पर पूँजी उपलब्ध होती है।
४. इस विशाल वित्तीय शक्ति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय कंपनियों की अपेक्षा घाटा उठाने की क्षमता ज्यादा होती है और उनके वित्तीय संसाधन ज्यादा होने के कारण वे संयुक्त उपक्रमों से भारतीय कंपनियों को निकालने में सक्षम होते हैं।
५. भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विकास पूर्व के संरक्षणवादी नीतियों के कारण विकलांग रूप में हुआ है और अभी भी उसी तरह कार्य चल रहा है जैसे भारतीय कंपनियों के पुनर्गठन और अन्य सुधार श्रम कानूनों के कारण आसान नहीं है जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अत्याधुनिक तकनीक और श्रम कानूनों के साथ अपनी शुरूआत कर रही है।
६. कुछ क्षेत्रों में सरकारी नीतियों पूर्णतः बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति पक्षपात का रूख रखती हैं। उदाहरण के लिये ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काउण्टर गारंटी की सुविधा उपलब्ध है जबकि भारतीय कंपनियों को ऐसी कोई भी सुविधा निवेश के लिये नहीं दी जाती है।

इन्हीं कारणों से १९९१ में प्रारंभ किए गए उदारीकरण ने एक नये संसार को जन्म दिया है जिसमें संतोषजनक विदेशी पूँजी तो आ रही है, लेकिन साथ ही पहली बार घरेलू उत्पादक अपने आपको इस प्रक्रिया से लाभ लेने की जगह इसके निशाने पर है। जिस तत्परता, सशक्तता और आक्रमकता के साथ विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में प्रवेश कर उस पर कब्जा करते जा रहे हैं उससे भारतीय उद्यमियों के बीच उदारीकरण को लेकर अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

वर्ष १९९१ में उदारीकरण के प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश हेतु कानूनों में छूट दी गयी और फेरा जैसे कई नियमों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इन बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन से भारत में एक असमान प्रतियोगिता प्रारंभ हुई – दानवाकार बहुराष्ट्रीय निगमों और बौने भारतीय निगमों के बीच।

भारतीय निगमों की वर्त्तमान स्थिति एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की असमान प्रतिस्पर्धा ने यह आवश्यक बना दिया है कि भारतीय उद्यमियों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके लिए कंपनियों के कार्य से संबंधित सभी पक्षों, यथा, प्रोत्साहक, अंशधारी, निदेशक मंडल, प्रबंधन और सरकार सबको मिलकर भारतीय उद्योग जगत के नवजीवन के लिए कार्य करें। संयुक्त स्टॉक कंपनियों को सही रूप में सामाजिक इन्टीटी कहा जा सकता है : वे व्यापारिक उद्यमियों तथा प्रोत्साहित होते हैं : उनमें अंशधारकों, ऋणपत्र धारकों तथा वित्तीय संस्थाओं की पूँजी लगी होती है; उनका प्रबंधन अंशधारकों के प्रतिनिधि जिन्हें निदेशक कहते हैं के हाथों में होता है, उनका दिन प्रतिदिन का कार्यकलाप पेशेवर कार्यकारियों द्वारा देखा जाता है; वे समाज के लिए रोजगार पैदा करते हैं और समाज के उपभोग के लिए ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, राष्ट्रीय

Scanned with OKEN Scanner

अर्थव्यवस्था में कर और अन्य भुगतानों के द्वारा योगदान करते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनियों से होने वाले लाभों के कारण प्रत्येक देश इनके विकास की कोशिशें करते हैं ताकि वे इस तरह फूले-फलें कि उनसे रोजगार, धन एवं संतोष प्रदान करें एवं जीवनस्तर उठाने तथा सामाजिक समरसता बनाने में सहयोगी हों। यह तभी संभव है जब व्यावसायिक इन्टीटीज, इस उदारीकृत, निजीकृत तथा वैश्वीकृत व्यापारिक वातावरण में प्रतियोगी, सक्षम, पारदर्शी तथा न्याय संगत हो। संयुक्त स्टॉक कंपनियों के उपयुक्त कार्यकलापों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के कॉरपोरेट प्रशासन का प्रश्न वर्त्तमान में बहस का मुद्दा बना हुआ है। यह पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है कि समाज और पूँजी बाजार सुप्रबंधित कॉरपोरेट के साथ होते हैं जिनमें या तो स्वयं में नियंत्रण एवं संतुलन की तकनीक हो या फिर वे सरकार या विभिन्न स्वशासी निकायों द्वारा बनाए नियमों के दायरे में चलते हों। भारत एवं अन्य देशों में अच्छे कॉरपोरेट प्रशासन के लिए रूपरेखा तैयार करने के प्रयास में लगे हैं। भारत में अच्छे कॉरपोरेट प्रशासन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह लेख समर्पित है - (१) कॉरपोरेट प्रशासन के अर्थ के प्रति, (२) कॉरपोरेट प्रशासन के लिए वैधानिक ढाँचा प्रदान करने के प्रति, (३) कॉरपोरेट प्रशासन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी विनियमों के प्रति तथा (४) कॉरपोरेट प्रशासन के लिए रूपरेखा तैयार करते समय विभिन्न आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने के प्रति।

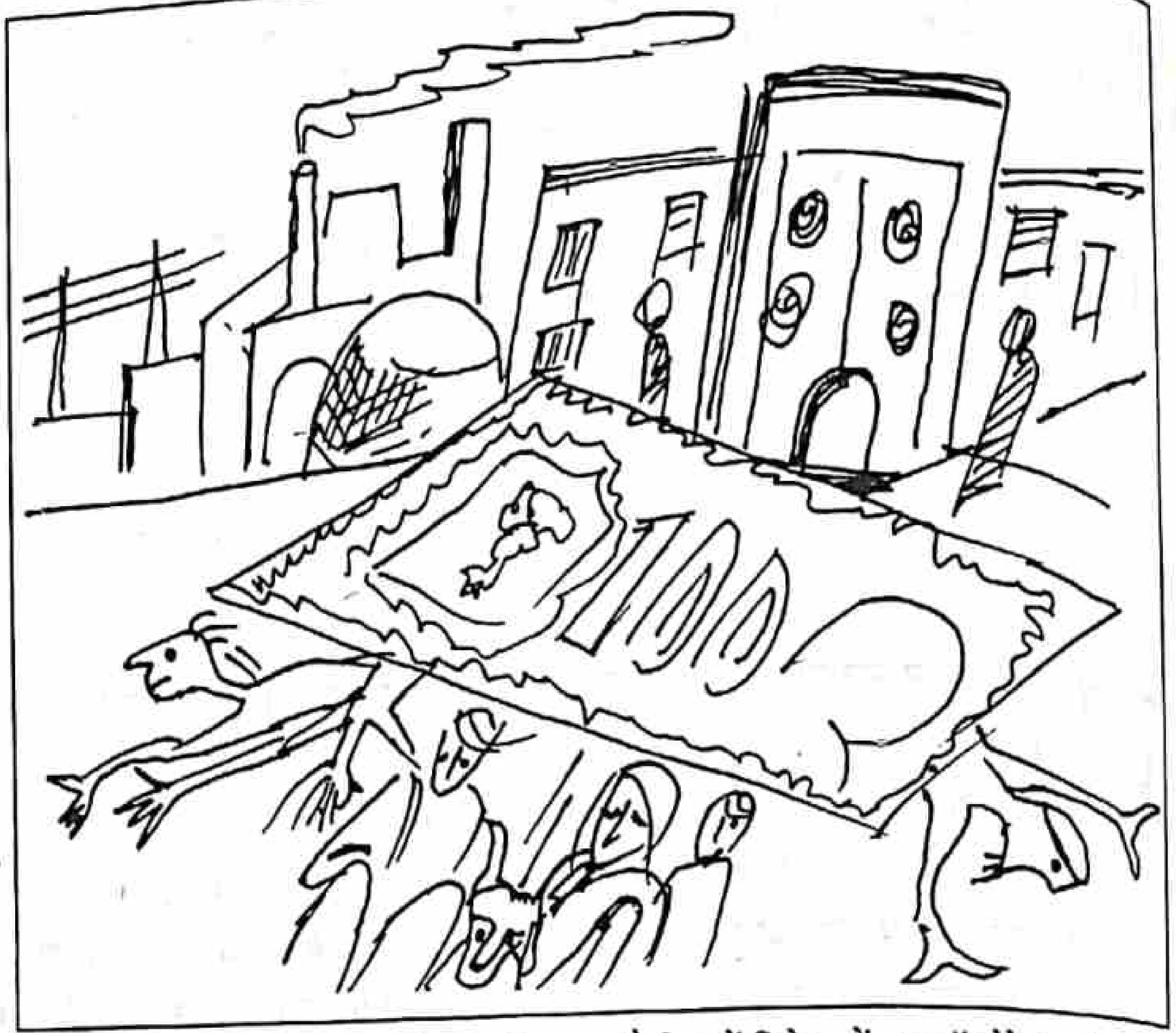

कॉरपोरेट प्रशासन की परिभाषा और अर्थ

कॉरपोरेट प्रशासन अपने संकल्पना की प्रकृति के कारण पूर्णरूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस संकल्पना के महत्वपूर्ण पहलूओं को समझने के लिए हम कैडबरी समिति के कॉरपोरेट प्रशासन के वित्तीय पहलू पर दिये गये परिभाषा को देख सकते हैं, ''कॉरपोरेट प्रशासन वह तंत्र है जिसके द्वारा कंपनियाँ निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। निदेशक मंडल कंपनियों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होता है। अंशधारकों का कॉरपोरेट प्रशासन में यह योगदान होता है कि वे निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षक चुनते हैं और समुचित प्रशासन देखकर संतुष्ट रहते हैं।''

भारत के इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के राष्ट्रीय रजत जयंती समारोह में कॉरपोरेट प्रशासन की व्याख्या करते हुये कहा गया कि कॉरपोरेट प्रशासन केवल कॉरपोरेट प्रबंधन नहीं है बल्कि इससे बढ़कर वह कुछ पूर्ण परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किया जानो वाला स्वच्छ, दक्ष और पारदर्शी प्रशासन है। यह किसी कंपनी के संगरचना, कार्यकलाप और नियंत्रण का एक तंत्र है जिसके द्वारा लम्बे समयावधि के रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है जिसमें कंपनी के अंशधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, प्रोत्साहकों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं को संतुष्टि प्रदान की जाती है तथा पर्यावरणीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जब इसका उपयोग एक बहुत अच्छे ढंग से तैयार तंत्र में किया जाता है तो इससे एक वैधानिक, व्यापारिक एवं संस्थानिक ढाँचा तैयार होता है और वे सीमाये तय हो जाती है जिनमें ये क्रियाएं की जाती हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कॉरपोरेट प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है जिसमें निदेशकों पर कॉरपोरेट कारोबार की जवाबदेही तथा फर्ज रहता है। यह उन लोगों का उत्तरदायित्व होता है जो अंशधारकों के तरफ से प्रबंधन करते हैं। यह कंपनी एवं प्रबंधन के आदर्श, नीति, मूल्यों, पैरामीटर, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। कॉरपोरेट प्रशासन के लिए कंपनी के प्रबंधन, अंशधारकों, ऋणदाताओं, पूँजीबाजार, वित्तीय क्षेत्र, संस्थाओं एवं कंपनी कानूनों के बीच समन्वय आवश्यक है।

यद्यपि कॉरपोरेट प्रशासन की बहुत सी विशेषताएँ हैं, फिर भी इसके महत्वपूर्ण नियम एवं प्रथाओं में शामिल हैं - स्वामित्व का संकेन्द्रण, निदेशक मंडलों का निर्माण एवं उनके भूमिका का नियंत्रण, अंशधारकों को सूचना देना, बड़े अंशधारकों एवं निवेशकों के प्रति प्रकटन का दायित्व, कंपनियों का अधिग्रहण तथा कंपनियों की पुर्नसंरचना इत्यादि।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कॉरपोरेट प्रशासन कॉरपोरेट क्षेत्र के दायित्वों से नहीं जुड़ा है। केवल कॉरपोरेट दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि इसके नियामक अभिकरणों के लिए भी एक आचरण संहिता बनाना आवश्यक है। अतः संपूर्ण सिनारियो एक व्यावहारिक स्तर तय करने की बात करता है, जो संरचनात्मक तंत्र से समर्थित एवं संरक्षित हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो।

Scanned with OKEN Scanner

वैधानिक एवं नियंत्रण ढाँचा

कॉरपोरेट प्रशासन देश के कॉरपोरेट व्यवस्था से संबंधित नियमों, विनियमों इत्यादि पर आधारित होता है। वर्तमान में इसके लिए निम्नलिखित नियम है – १९५६ का कंपनी कानून, १९६९ का एम०आ०टी०पी० (जिसे हटाया जा रहा है – संपादक) १९७३ का फेरा (जिसे फेमा में बदला गया है), १९८५ का सिल्क उद्योग कंपनी (विशेष प्रावधान) कानून, १९९२ का सेबी अधिनियम, १९५६ का एस०ए०सी०आर० शेयर बाजारों के लिखित सहमति पत्र, १९९६ का डिपोजिटरी अधिनियम, १९९६ का ए०सी० अधिनियम, उपभोक्ता अदालतें और महाजनी से संबंधित कानून।

१९५६ का कंपनी अधिनियम कॉरपोरेट प्रशासन के लिए वास्तविक ढाँचा उपलब्ध कराने वाला प्रमुख अधिनियम है। इसी के साथ, एम०आर०टी०पी०, फेमा, आई०आर०डी० एवं अन्य आर्थिक अधिनियम में कॉरपोरेट कार्यकलापों के नियंत्रण का कार्य करते हैं। इन सबके अतिरिक्त १९९१ के बाद के खुली अर्थव्यवस्था के माहौल में सेबी की भूमिका भी बहुत बढ़ गयी है।

नयी आर्थिक नीतियों के कारण नये वातावरण में कंपनियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत से कानूनों में बदलाव किया है या उन्हें निरस्त किया है। कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कई नये कानून भी बनाये गये हैं। कॉरपोरेट गतिविधियों के बढ़ने के साथ, बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन से कई नये मसले सामने आये हैं जिन पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूँजी बाजार की मंदता एवं तरलता में कमी ने, डाकमताधिकार प्रतिनिधि के बोलने के अधिकार, मताधिकार न रखने वाले अंशधारक और शेयरों की पुर्नखरीद जैसे मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया है। इसके साथ ही फेमा और सीका अधिनियम का भी आवश्यक रूप से पुर्नरिक्षण आवश्यक है। एक आदर्श कॉरपोरेट प्रशासन के लिए वैधानिक ढाँचा, प्रबंधन की इच्छा और कानूनों को लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कॉरपोरेट व्यवहार का उच्चतम स्तर आवश्यक है।

कॉरपोरेट प्रशासन एवं कॉरपोरेट प्रबंधन

कॉरपोरेट प्रशासन एवं कॉरपोरेट प्रबंधन के बीच का मूल अंतर मुख्यतः कार्य व्यवहार से संबंधित है। प्रशासन, बाहरी केंद्र एवं खुले तंत्र के साथ रणनीति आधारित होता है जबकि प्रबंध, भीतरी केंद्र के साथ कार्य आधारित बंद तंत्र होता है। अर्थात् कॉरपोरेट प्रशासन के द्वारा निदेशक कंपनी के कार्याधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते हैं जबकि कॉरपोरेट प्रबंधन के द्वारा कार्याधिकारी अपने उच्चाधिकारियों (निदेशकों) द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

आधुनिक व्यापार के मिश्रित विकास एवं बड़े निगमों के उद्भव ने प्रशासन एवं प्रबंधन में प्रेशेवरता अनिवार्य कर दिया है। इस बदलते हुये कॉरपोरेट सिनारियो ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि अच्छा प्रबंधन न केवल प्रभावी संगठन संस्कृति के लिये आवश्यक है बल्कि यह उच्चाधिकारियों (निदेशकों) के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

कॉरपोरेट प्रशासन के लिये आचार संहिता

कॉरपोरेट प्रशासन के लिये एक बहुत सुगठित ढाँचा आवश्यक है। इस ढाँचे में वैधानिक आवश्यकताओं एवं प्रबंधन के लिये आचार संहिता दोनों होनी चाहिये। ऐसी संहिताये विभिन्न संस्थाओं जैसे सी०आई०आई०, यू०टी०आई० एवं आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा बनायी गयी है। इनके महत्वपूर्ण अभिलक्षण की नीचे व्याख्या की गयी है।

सी०आई०आई० की संहिता और कॉरपोरेट प्रशासन

भारतीय उद्योग परिसंघ पहली व्यापारिक संस्था थी जिसने कॉरपोरेट प्रशासन के लिए आचार संहिता बनाया। इसमें निम्नलिखित मापदण्ड हैं –

१. २० करोड़ रुपए से ज्यादा पूँजी मूल्य वाले कंपनियों के लिए, प्रकटन का स्वरूप एवं संस्था जिसमें एक जी०डी०आर० इश्यू हो वह केवल घरेलू प्रकाशन का मानक हो क्योंकि यह एक साथ घरेलू एवं विदेशी दोनों तरह के निवेशकों को संतुष्ट नहीं कर सकता है।
२. सभी शेयर बाजार यह सुनिश्चित करें कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों के आज्ञापालन प्रमाणपत्र उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों। इसमें एक प्रमाण पत्र हो जिसमें लिखा हो कि वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए वित्तीय विवरण एवं अन्य सूचनाएँ के तैयारी, समाकलन एवं निष्पक्षता तथा लेखा सिद्धांतों एवं नीतियों में निर्धारित मानकों का उपयोग किया गया है तथा इसके लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। यह, सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के कार्यकलापों के लिए निदेशक मंडल जिम्मेवार है।
३. अंशधारकों को एक अतिरिक्त सूचना के रूप में सभी शेयर बाजारों में जहाँ भी कंपनी सूचीबद्ध है में शेयरों के अधिकतम एवं न्यूनतम औसत की सूचना दी जाए।
४. कंपनी वैल्यू एडिशन का भी विवरण दे अर्थात् कुल आमदनी जिसमें से कुल खर्च को निकाल दिया जाए तथा कुल टर्न ओवर के ५% तक के व्यापार प्रक्षेत्र/भाग का भी ब्यौरा दें।
५. समूह लेखा का समेकन इच्छित हो और वित्तीय संस्थाए कंपनियों को समूह के पूँजी पर समेकन करने की अनुमति दें तथा राजस्व विभाग, कॉरपोरेट कर लगाते समय समूह सिद्धांत का उपयोग करे।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के लिए संस्थानिक आर्थिक एवं वैधानिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निबाहेगा जो दीर्घकालीन रूप से अंशधारकों के मूल्य को बढ़ाएगा। बदलते सिनारियों में बहुत से विदेशी निवेशक भारत में वर्त्तमान कॉरपोरेट प्रशासन में बदलाव चाहते हैं। पूँजी समृद्ध लेकिन खराब निष्पत्ति वाले कंपनियों में निजी इक्विटी या अधिग्रहण के फण्ड का निर्माण हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट प्रशासन का हर पाँच वर्ष के अंदर

Scanned with OKEN Scanner

पुर्नपरीक्षण किया जाए। रिपोर्ट में वैधानिक ढाँचे के बाहर के निर्गमन मानकों की बात की गई है। इसके साथ-साथ यह अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अधिग्रहण कानूनों को बदलने की बात करता है। अच्छे प्रशासन के लिए रिपोर्ट कहता है कि प्रबंधन हमेशा कुछ विशेषज्ञ सूचनाओं को निदेशकों तक पहुँचाए। इसमें शामिल रहे वार्षिक कार्ययोजना और बजट, पूँजी बजट, कर्मचारियों की संख्या, ओवरहेड बजट, तिमाही परिणाम, आंतरिक लेखा परिणाम, शो कॉज, माँग एवं नोटिसें भुगतान में चूक, किसी भी संयुक्त उपक्रम या सहयोग समझौते के ब्यौरे, सौदे तथा कर्मचारियों के वेतन आदि, विदेशी मुद्रा खर्च के तिमाही ब्यौरे तथा प्रबंधन द्वारा जोखिम कम करने के लिए उठाए गए उपाय इत्यादि शामिल हो।

यूटीआई की प्रशासन संहिता

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अच्छे कॉरपोरेट प्रशासन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कंपनियों के निर्देशक मंडल में शामिल अपने नामित निदेशकों की सहायता लेता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अच्छे कारपोरेट प्रशासन के लिए पाँच बिंदुओं की एक संहिता तैयार की है –

(क) ज्यादा संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति केवल प्रमुख प्रमेटर न करे;

(ख) लेखा समितियों का पुनर्गठन। इसमें कार्यकारी निदेशकों को शामिल न किया जाए ताकि यह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करे;

(ग) निदेशक मंडल को ज्यादा प्रासंगिक बनाया जाए। सभी प्रमुख निर्णयों की समीक्षा निदेशक मंडल करे ताकि कॉरपोरेट प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े;

(घ) कार्यकारियों के वेतन पैकेज की संवीक्षा की जाये। पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति समिति द्वारा होना चाहिए।

(ङ) सहायक कंपनियों में निवेश के और अच्छी तरह से विश्लेषण होना चाहिए। (क्रमशः)

अनुवाद : धीप्रज्ञ द्विवेदी

अब देश में विशुद्ध शाकाहारी भोज्य पदार्थ उपलब्ध होंगे

■ स्वदेशी संवाद

देश में बिकने वाले प्रत्येक भोज्य पदार्थ जिसमें पशुओं से उत्पादित किसी भी पदार्थ का उपयोग हो को अब मांसाहार माना जाएगा। सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए यह आवश्यक कर दिया कि पशु उत्पादों के उपयोग से तैयार खाद्य उत्पादों पर निश्चित रूप से एक भूरा बिन्दु लगाकर ही उसे बेचा जाएं। सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए अमूल ब्रांड बनाने वाली जी०सी०एम०एम०एफ०केजीएम (दुग्ध उत्पाद) आर०एस० सोढ़ी ने कहा कि "इससे अमूल एवं स्वदेशी उत्पादकों को लाभ होगा क्योंकि वे अपने उत्पादों (आइसक्रीम, चीज इत्यादि) में केवल वनस्पतीय तत्वों का ही उपयोग करते हैं।"

देश के शाकाहारी लोगों को इससे निश्चित रूप से संतुष्टि मिली होगी। आटे, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स इत्यादि प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले भोज्य पदार्थों को पूर्णतः शाकाहारी बताकर उनके शुद्धता से खिलवाड़ करने वाले बहुराष्ट्रीय उत्पादक इस नए कानून से बहुत परेशान हैं। ज्ञातव्य है कि इन तमाम भोज्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले 'विटामिन ए', कैल्शियम से लेकर अण्डा कोई भी उत्पाद शाकाहारी मूल का नहीं है। फिर भी बहुत सी कंपनियाँ अपने उत्पादों में इनका उपयोग कर उन्हें पूर्ण शाकाहारी के रूप में बेच रहे थे। अब सरकार के नए आदेश से उन्हें परेशानी महसूस हो रही है। इस नए आदेश से जहाँ उपभोक्ताओं को यह सुविधा होगी कि वे मन पसंद शाकाहारी उत्पाद का ही उपभोग करें वहीं उत्पादक इससे बहुत परेशान है। क्योंकि सरकार के उपभोक्ताओं को जागरुक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं उत्पादकों पर डाल दी है। इस नयी व्यवस्था से जहाँ पारंपरिक भारतीय समाज की आस्था से हो रहे खिलवाड़ को दूर करने में मदद मिलेगी वहीं स्वदेशी उत्पादकों को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादातर विदेशी उत्पादक अपने उत्पादों में पशुओं से उत्पादित विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन्हें अब यह नियम लागू होने के बाद बहुत बड़े उपभोक्ता समूह से हाथ धोना पड़ सकता है जो आज भी अपने परंपराओं में मुख्यतः शाकाहारी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गैर-शाकाहारी तत्वों का उपयोग को दर्शाने वाले भूरे बिन्दु को वस्तु के पैकेट पर ब्रांड अथवा वस्तु के नाम के साथ ही लगाना होगा और यह नियम उन वस्तुओं के विज्ञापन और अन्य चीजों पर भी लागू होगी।

देश में उदारीकरण के बाद से बड़े पैमाने पर विदेशी खाद्य वस्तु उत्पादकों का आगमन हुआ है जो विदेशों में निर्मित पदार्थों को यहाँ के बाजार में बेच रहे हैं। ये कंपनियाँ प्रतिदिन उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री कर रही हैं। ये अपने उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करती है जो पारंपरिक भारतीय व्यवस्था से बहुत हटकर हैं। जैसे विदेशों में मुर्गी के अण्डे को शाकाहारी माना जाता है जबकि हमारे देश में यह मांसाहार है। इस प्रकार अण्डे से उत्पादित कैल्शियम या विटामिन ए का विभिन्न भोज्य पदार्थों जैसे आटे या बिस्कुट में करने पर उस पर भूरा बिंदु लगाना अनिवार्य हो जाएगा जिससे उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा वर्ग इससे दूर हो जाएगा। उपभोक्ताओं के मान्यताओं से हो रहे इस खेल के विरुद्ध वॉयस नामक उपभोक्ता अधिकार संरक्षण संगठन ने आवाज उठायी। इस विरोध और उपभोक्ताओं के पारंपरिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अंततः सरकार को १९५५ के खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून में संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन के बाद यह व्यवस्था कर दी गयी है कि खाने-पीने की वस्तुओं में किसी भी गैर-शाकाहारी उत्पाद के उपयोग पर उस वस्तु के पैकेट पर ही एक बड़ा भूरा बिंदु लगाकर उपभोक्ताओं को जागरुक बनाना उत्पादक की जिम्मेवारी है। ■

Scanned with OKEN Scanner

बेरोजगारी और मंदी के बीच दसवीं पंचवर्षीय योजना की चुनौतियाँ

■ मुकुन्द कुमार

विश्व व्यापार संगठन के समझौते के कारण किसानों पर पड़ने वाले कुप्रभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर और देश की अर्थव्यवस्था पर छायी मंदी का परिदृश्य सामने है, इसके बावजूद एक

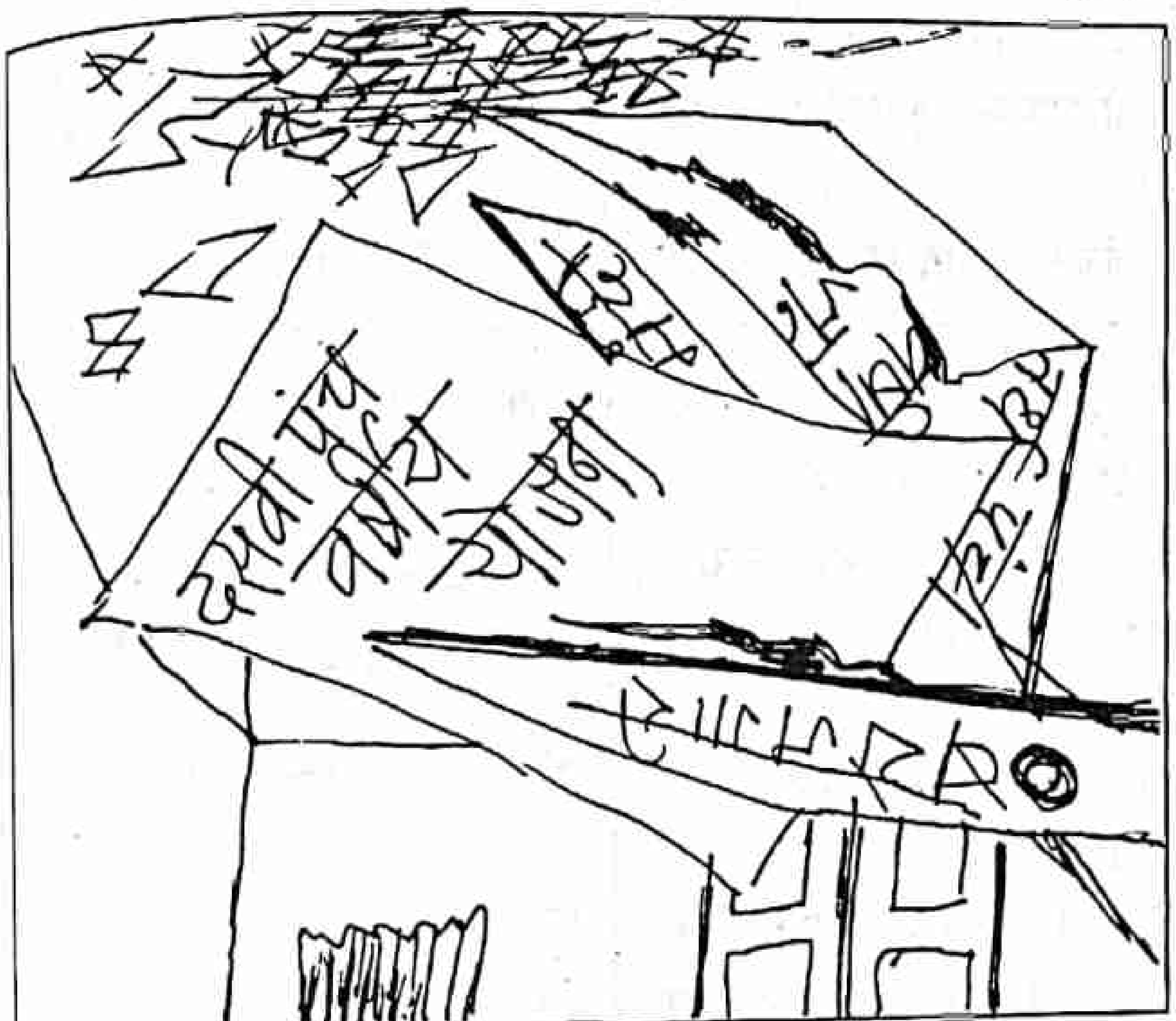

सितम्बर, २००१ को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसमें ८ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करना अपरिहार्य बताया गया है। पिछली नौ पंचवर्षीय योजनाओं के सारगर्भित मूल्यांकन के आधार पर हम पाते हैं कि लक्ष्य की तुलना में सफलताएँ बहुत कम रही है। ऐसे मूल्यांकन के परिपेक्ष्य में जब हम दसवीं पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि को देखते है तो एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य नजर आता है।

एक तरफ आर्थिक सुधारीकरण की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक निवेश का ग्राफ घटता जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि पहली तिमाही में कुल वित्तीय घाटा विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले ६८.३ प्रतिशत की बढ़ोतरी से ४२ हजार १९८ करोड़ रुपए पर पहुँच गया है और राजस्व घाटा दोगुना हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के ४.६ प्रतिशत के बराबर बचत और संयुक्त राजकोषीय घाटा कम करके ३.३ प्रतिशत तक लाना दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य है। केन्द्र तथा राज्यों ने वर्ष २००१-०२ के लिए घोषित राजकोषीय स्थिति मजबूत करने का संकल्प दोहराया है जिसके लिए राजकोषीय नीतियों में व्यय प्रबंधन राजस्व वसूली में वृद्धि और सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्सरचना को अपनाना जरूरी है। योजना अवधि के अंतिम वर्ष में सकल बजट सहायता को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के पाँच प्रतिशत तक लाना होगा। रिजर्व बैंक का मानना है कि मध्यम अवधि में एक मुख्य चुनौती कर तथा सकल घरेलू उत्पाद के घटते अनुपात को थामना है। यह अनुपात १९८० के दशक के अंत में १६ प्रतिशत था, जो १९९९-२००० में घटकर १४ प्रतिशत रह गया है।

इसी नयी शताब्दी की पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में सामने आयी दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और असामाजिक असंतुलन को दूर करना और गरीब, दलित आदिवासी एवं पिछडे वर्ग के विकास के लिए नयी ब्यूह रचना तैयार करना है। वास्तव में दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत घरेलू विकास दर को आठ-प्रतिशत तक पहुँचाने का ऊँचा लक्ष्य तो रखा गया है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा उनसे जुड़े संवदेनशील मुद्दों को नहीं नकारा जा सकता है। सरकार के नियोजन पक्ष की खामियों की वजह से आज देश की घरेलू विकास दर घट रही है। एक तरफ आर्थिक सुधारीकरण की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक निवेश का ग्राफ घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश कम होने से सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में गिरावट आयी है। इस परिदृश्य के आधार पर योजना आयोग ने बताया है कि जितना निवेश विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, उसमें अभी अतिरिक्त रूप से विदेशी निवेश में १.५ प्रतिशत और घरेलू निवेश में लगभग ३.५ प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

की वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा होने पर घरेलू उत्पाद की विकास दर को ६ प्रतिशत तक लाया जा सकता है। आज आर्थिक नीतियों में सुधार लाकर ही पूंजीगत संसाधनों की उत्पादकता और नए निवेशों की उत्पादकता बढ़ायी जा सकेगी। चालू वर्ष में अच्छे मानसून से कृषि उत्पादन के सुधरने की आशा की जा रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र व सेवा क्षेत्र की विकास दर में तीव्रता लाने के लिए १०वीं पंचवर्षीय योजना में ठोस उपायों को अपनाने की जरूरत है।

दसवीं योजना में आम जनता की जरूरतों को पूरा करने तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुधारात्मक उपायों को तीव्रता से लागू करने की बात के साथ मानव संसाधन विकास को अहमियत दी गई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता को संतुलित भोजन और रोजगार उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की दर वर्ष २००७ तक २० प्रतिशत तक लाने एवं ११वीं पंचवर्षीय योजना तक १० प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने तथा साक्षरता की दर बढ़ाकर ७२ प्रतिशत तक रखा गया है। वर्ष २०१२ तक यह आँकड़ा ८० प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की दर को घटाने, प्राथमिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने, रोजगार में वृद्धि इत्यादि मुद्दों को पर्याप्त अहमियत दी गई है। दसवीं योजना में आर्थिक विकास की दर ८ प्रतिशत रखी गई है। आयोग के अनुसार आगामी दशक में विकास दर ९ प्रतिशत रहने पर ४९ करोड़ ५१ लाख ८० हजार लोगों तथा विकास दर ८ प्रतिशत रहने पर ४८ करोड़ २२ लाख ६० हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे।

यह सोचने वाली बात है कि जी०डी०पी० की विकास दर एवं रोजगार के अवसरो की बढ़ोत्तरी को आयोग ने जिस तरह से जोड़ा है ऐसा वर्तमान माहौल में संभव नहीं है। आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दौर के कारण दसवीं पंचवर्षीय योजना के समक्ष कई अन्य चुनौतियाँ भी खड़ी है। अर्थव्यवस्था पर आतंकवाद की काली छाया के कारण अर्थतंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विकसित और विदेशी तकनीक के कारण मानव श्रम का महत्व दिन-प्रति दिन कम हो रहा है। विनिवेश और छंटनी की सतत प्रक्रिया चल रही है। इस अवस्था में रोजगार के नये अवसर सृजित करने की बात चुनौतीपूर्ण है। वित्तीय वर्ष २००० के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों की उपलब्धता के दावे भी झूठे साबित हुए है। योजना आयोग के टॉस्क फोर्स ने श्रम कानून में सुधार करके नियोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सिफारिश की है। ऐसी परिस्थिति में जब मुनाफा और उपभोक्तावाद की प्राथमिकता हो जाती है तो रोजगार की भूमिका भी बाजार तय करता है।

अत: योजना आयोग द्वारा रोजगार के लिए किये गये आकलन में संशय है। योजना आयोग के अनुसार वर्ष २००७ तक सर्वाधिक रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे। कृषि क्षेत्र में २४ करोड़ ४७ लाख ७० हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसी तरह उत्पादन क्षेत्र में ५ करोड़ ६६ लाख विद्युत गैस व जल आपूर्ति क्षेत्र में १२ लाख, निर्माण क्षेत्र में २ करोड़ ५२ लाख, व्यापार क्षेत्र में एक करोड़ ९५ लाख सेवा क्षेत्र में ३ करोड़ ९२ लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

इस प्रकार आयोग द्वारा रोजगार सृजन के जो सपने दिखाये जा रहे है, उनका सच हो पाना एक कठिन लक्ष्य है, वह भी उस दौर में जब विश्व व्यापी मंदी ने रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

प्राकृतिक आपदाओं, विदेशों में नित्य घट रही घटनाओं एवं सीमित संसाधनों की कमी के कारण दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पाना कठिन है। बाधाएँ एवं चुनौतियों को उचित रणनीति के आधार पर पार किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को अपने देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही लक्ष्य को पाने का उपाय सोचना चाहिए। ■

इस वित्त वर्ष के पहले तिमाही में विकास दर में डेढ़ प्रतिशत की गिरावट

तमाम दावों एवं योजनाओं के बावजूद देश के विकास दर में वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही में डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आयी है। पिछले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल से अगस्त) के बीच विकास दर ६.१ प्रतिशत थी जो इस वित्त वर्ष में घटकर ४.४ प्रतिशत रह गयी। इसी आलोच्च अवधि में निर्यात में भी डॉलर के परिपेक्ष्य में २.३% की गिरावट दर्ज की गयी। इस अवधि के दौरान १७१३३८.५० लाख डॉलर का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में १७५३७५.७० लाख डॉलर का निर्यात किया गया था।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार देश के विकास दर में कमी आयी है। इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की विकास दर निम्नलिखित है।

क्षेत्र	विकास दर (पहली तिमाही) प्रतिशत में	
	२०००-०१	२००१-०२
सम्पूर्ण	६.१	४.४
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य	०.६	२.३
खनन	५.०	०
निर्माण	७.०	२.३
बिजली, गैस तथा जलव्यस्था	५.७	३.३
विनिर्माण	८.४	२.५
व्यापार, होटल, संचार तथा परिवहन	९.७	५.२
वित्त, बीमा, अचल संपत्ति इत्यादि	९.५	९.९
सामाजिक, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सेवा	६.०	६.२
निर्यात	१८.२	८.०

(रुपए के आधार पर)

जापानी आर्थिक प्रतिबंध हटे

अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद अमेरिका की जबावी कार्यवाही के आलोक में जापान ने १९९८ के मई में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों को हटा लिया। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध अनावश्यक थे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था।

Scanned with OKEN Scanner

सीखने की दरकार

■ डॉ० अश्विनी महाजन

सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि 'गैट' कार्यसूची में कृषि का विषय विकासशील राष्ट्रों के दबाव में शामिल किया गया ताकि विकसित देशों को अपनी आर्थिक सहायता

में कमी के लिये बाध्य किया जा सके, और विकसित देशों पर दबाव बना कर उन्हें इस समझौते को मानने के लिये बाध्य कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि अमरीका और यूरोपीय समुदाय ने ही विकासशील देशों के हितों के लिए प्रतिकूल कृषि पदार्थों की बाजार पहुँच और आर्थिक सहायता को सीमित करने संबंधी एजेंडा के लिये दबाव बनाया। अब जबकि विकासशील देश कृषि समझौते को लागू करने में भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और किसी न किसी बहाने से अमरीका और यूरोपीय समुदाय सहित विकसित देशों द्वारा कृषि में भारी आर्थिक सहायता देते चले आने से विकासशील देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, विकसित देशों द्वारा भारी आर्थिक सहायता के कारण मुक्त व्यापार के नाम पर अत्यंत कम कीमत पर कृषि पदार्थ विकासशील देशों के बाजारों में प्रवेश कर रहे है। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय समुदाय का कहना है कि –

१. कृषि को विशेष व्यवहार दिया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर होती है क्योंकि हर व्यक्ति को निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि इन पदार्थों की पूर्ति व्यवधान पूर्ण होती है। इसलिये कृषि को विशेष व्यवहार प्राप्त होना चाहिए।

२. यूरोप में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से कृषि पदार्थों में लागत अत्याधिक है। उनका तर्क है कि किसान समाज को जीवन्त ग्राम उपलब्ध कराकर, पर्यावरण की सुरक्षा कर और बेहतर जीवन स्तर देकर बहुमूल्य सेवा प्रदान करते है। इस सब कारणों से भी कृषि की लागत में वृद्धि होती है।

इन तर्कों के आधार पर यूरोप एवं अमरीका कृषि में भारी आर्थिक सहायता को औचित्य पूर्ण ठहराते है। आज जब हम विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को लागू करने में अनावश्यक जल्दबाजी दिखा रहे है, हमें यूरोप से कुछ सीखना चाहिए। यदि कृषि उनके लिये महत्वपूर्ण है और उनके अनुसार कृषि को विशेष व्यवहार मिलना चाहिए तो भारत में कृषि उनसे कही अधिक महत्वपूर्ण कही जाएगी। केवल यही नहीं कि भारत में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय है जिसमें ७० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या संलग्न है, हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यही नहीं हमारे यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। यही नहीं हमारा देश खाद्यान्नों की उपलब्धता में सबसे नीचे के देशों की श्रेणी में आता है।

जब कृषि कार्य में व्यवधान आता है तो हमारी

यूरोप में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से कृषि पदार्थों में लागत अत्याधिक है। उनका तर्क है कि किसान समाज को जीवन्त ग्राम उपलब्ध कराकर, पर्यावरण की सुरक्षा कर और बेहतर जीवन स्तर देकर बहुमूल्य सेवा प्रदान करते है। इस सब कारणों से भी कृषि की लागत में वृद्धि होती है।

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इस संदर्भ में तिलहनों में संलग्न कृषि भूमि क्षेत्र में लगातार भारी कमी आना हमारी कृषि में व्यवधान प्रदर्शित कर रहा है। विदेशों में खाद्यान्नों की भारी आवक के कारण आज जब किसान अपनी फसल को नहीं बेच पा रहा, तो ऐसी आशंका है कि खाद्यान्न में संलग्न कृषि भूमि क्षेत्र में भी भारी कमी आ जाएगी। यह भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है।

महत्वपूर्ण यह है कि कृषि कार्य में व्यवधान मानसून में व्यवधान अथवा किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हो रहा है, बल्कि यह सब विकसित देशों से मुक्त व्यापार के नाम पर कम कीमत वाले कृषि पदार्थ की भारी आवक के कारण हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि पदार्थों की घटती कीमतें परिस्थिति को और भी अधिक भयंकर बना रही है। दूसरी और यूरोपीय समुदाय और अमरीका आर्थिक सहायता में कमी करने की बजाय उनमें लगातार वृद्धि कर रहे है और वे भी हरा बक्सा और नीला बक्सा उपायों की आड़ में वे इस कृत्य को औचित्यपूर्ण ठहराते है क्योंकि उनका कहना है कि खाद्यान्नों की उपलब्धता एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये यह जरूरी है। विडंबना यह है कि हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते।

भारत ही नहीं अधिकतर विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन में घुटन महसूस कर रहे है और इसी प्रकार की समस्याओं की विश्वभर में चर्चा चल रही है।

दूसरी ओर ऐसे लोग जिनका यह मानना है कि शायद फसल पद्धति को बदलकर हम नयी उत्पाद पैदा कर विकसित देशों को भेज सकते है और लाभ उठा सकते है, शायद वे विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सैनिटरी तथा फैटो सेनीटरी उपायों की पूरी जानकारी नहीं रखते। यह उपाय भारतीय कृषि उत्पादों के विकसित देशों में प्रवेश के लिए एक बड़ी बाधा बन चुके हैं।

दूसरी ओर आम जनता की जानकारी के अभाव तथा सरकारी ढील के कारण जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न सोयाबीन भारत में भारी मात्रा में प्रवेश कर चुका है जो न केवल किसानों के हितों के प्रतिकूल है बल्कि हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। भारत सरकार द्वारा सोयातेल के लिए मात्र ४५ प्रतिशत के आयात शुल्क की वचनबद्धता विदेशियों को विशेष सुविधा प्रदान करती है। दूसरी ओर सेनीटरी और फैटो सेनीटरी उपायों को अपना कर विकसित देश भारतीय कृषि उत्पादों को उनके देशों में प्रवेश को रोक रहे हैं। जबकि हमारा किसान विदेशों से आर्थिक सहायता के फलस्वरूप कम कीमत वाले कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में पिस रहा है, भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन की तर्ज पर कार्यरत है। भारत ही नहीं अधिकतर विकासशील देश विश्व व्यापार संगठन में घुटन महसूस कर रहे है और इसी प्रकार की समस्याओं की विश्वभर में चर्चा चल रही है। आज जब विकसित देश वार्ताओं के नए दौर को शुरू करने के लिए दबाव बना रहे हैं, यही मौका है कि भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए उनकी आवाज दोहा कतर में प्रस्तावित विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बुलंद करे। यदि विकसित देश विकासशील देशों की सही चिंताओं को न समझ सके तो विश्व व्यापार संगठन को भीतर से तोड़ना और विकासशील देशों के लिए अलग मंच बनाना ही एकमात्र उत्तर होगा जो विश्व कल्याण और विशेष तौर पर विकासशील देशों के भले के लिए होगा। ■

पर्यटन उद्योग के विकास के लिए धर्म एवं संस्कृति का उपयोग होगा

प्रधानमंत्री के १५ अगस्त के संबोधन में घोषित नयी पर्यटन नीति में धर्म और संस्कृति को आधार बनाया गया है। इस नयी नीति पर विचार करने के लिए ३० अक्टूबर को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों तथा शासनाध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें हमारे प्राचीन धर्म एवं संस्कृति को आधार माना गया है।

पर्यटन मंत्रालय काफी समय में पर्यटन संवर्धन की विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि पर्यटन को अब सीमित नजरिये से नहीं देखा जा सकता है। इसे एक वृहद उद्योग के रूप में विकसित करना होगा। इसलिये नई पर्यटन नीति के प्रारूप में सूचना, सुविधा और सुरक्षा को मूलमंत्र बनाया गया है।

इसके साथ ही हमारे प्राचीन गौरव को झलकाने वाले धर्म एवं संस्कृति को भी विस्तार से शामिल किया जाना होगा। भारत में पर्यटकों के बड़ी संख्या में न आने के कारण यहाँ ठीक से विज्ञापन न होना है। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता तथा संस्कृति वाले देश में ऐसी तमाम विशेषताएँ हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं लेकिन अभी तक उन विशेषताओं को उभारा नहीं गया है। बहुत से प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थल ऐसे है जिनका पर्यटन की दृष्टि से कोई विकास नहीं किया गया है।

जबकि वे न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के भी आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बन सकते है। श्रीलंका में आने वाले ज्यादातर विदेशी पर्यटक वहाँ के धार्मिक स्थलों (बौद्धमठों तथा मंदिरों) को देखने आते है और थाईलैण्ड में पैगोडा (मंदिर)।

भारत भी अगर अपने विभिन्न धार्मिक केंद्रों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित को तो विदेशी पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ आएंगे। पर्यटन विदेशी मुद्रा कमाने का एक अच्छा साधन है। ■

Scanned with OKEN Scanner

ज्योतिर्विज्ञान क्यों पढ़ाया जाना चाहिए?

■ डॉ० कामेश्वर उपाध्याय

कुछ तथाकथित वैज्ञानिक फलित ज्योतिष (एस्ट्रोलाजी) का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गणित ज्योतिष (एस्ट्रोनामी) ठीक है; फलित (एस्ट्रोलाजी) अंधविश्वास है। अतः इसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।

ज्योतिर्विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन

संपूर्ण देश में ज्योतिर्विज्ञान पाठयक्रम को लेकर पक्ष एवं विपक्ष में चर्चा चल रही है। एक तरफ ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ पक्ष में खड़े हैं तो दूसरी तरफ वे लोग तर्क के बाणों का संधान कर रहे हैं जो ज्योतिष जानते नहीं या जानना नहीं चाहते। मैं व्यक्तिगत रूप से दुःखी हूँ; क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने ज्योतिष को जितना बढ़ाना चाहिए था उस रूप में नहीं बढ़ाया। संपूर्ण देश में ज्योतिष का कहीं भी एक शोध संस्थान नहीं है। यदि शोध संस्थान रहते और उन संस्थानों में ज्योतिष और भूगोल, ज्योतिष और मैटलर्जी, ज्योतिष और कृषि (एग्रीकल्चर) ज्योतिष और चिकित्सा विज्ञान (मेडिकल साइंस), ज्योतिष और अंतरिक्ष विज्ञान (स्पेस साइंस), ज्योतिष और भौतिकी आदि विषयों का तुलनात्मक अध्ययन होता तो विरोधियों का दादुरनाद आज दम तोड़ चुका होता। पाठयक्रम में ज्योतिष का जितना अंश लगाया जाएगा उसकी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। ज्योतिर्विज्ञान के तीन प्रविभाग हैं। ये हैं -

१. सिद्धांत (एस्ट्रोनामी)
२. होरा (एस्ट्रोलाजी)
३. संहिता (विविध विषय)

इन तीनों प्रविभागों के भारत एवं भारत से बाहर रक्षित लगभग पाँच हजार से अधिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन किए बिना भारत के काले अंग्रेजों के विरोध के भय से अध्ययन बंद कराना राष्ट्र के चिंतन पक्ष को बेड़ियों में जकड़ देना होगा। कुछ तथाकथित वैज्ञानिक फलित ज्योतिष (एस्ट्रोलाजी) का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गणित ज्योतिष (एस्ट्रोनामी) ठीक है; फलित (एस्ट्रोलाजी) अंधविश्वास है। अतः इसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इन्हीं महानुभावों के कथनानुसार देश के समस्त विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्योतिष गणित की पढ़ाई तत्काल शुरू करा देनी चाहिए। हमारा आग्रह है प्रांतीय सरकारें तथा कम्युनिस्ट सरकारें तत्काल गणित ज्योतिष की पढ़ाई अपने प्रांतों में शुरू कराएँ; अन्यथा यह भारतीयता का द्रोह माना जाएगा।

ज्योतिष क्यों नहीं?

यदि इण्डोलॉजी की पढ़ाई हो सकती है तो फलित ज्योतिष की क्यों नहीं? (क्योंकि इण्डोलॉजी में कम्युनिस्ट चिंतकों की भरमार है।) यदि अरबी विभाग हो सकता है तो फलित ज्योतिष क्यों नहीं? यदि विदेशी भाषा विभाग हो सकते हैं तो ज्योतिष क्यों नहीं? (जिन भाषाओं का उपयोग पूरे देश में दशलव एक प्रतिशत भी नहीं है वे पढ़ायी जा रही हैं।) यदि समाज विज्ञान विभाग हो सकता है तो ज्योतिर्विज्ञान क्यों नहीं? यदि राजनीति विज्ञान विभाग खोल कर राजनीति को विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है तो सदियों प्रचलित ज्योतिष विज्ञान को क्यों नहीं? यदि साइकोलॉजी की पढ़ाई हो सकती है तो सुपर साइकोलॉजी के अध्याय जो फलित ज्योतिष में हैं उन्हें पढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? यदि ड्रीम की पढ़ाई हो सकती है तो स्वप्नविद्या की क्यों नहीं? यदि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई हो सकती है तो सांख्यदर्शन पर आश्रित सृष्टिरहस्य को बतलाने वाला ज्योतिर्विज्ञान की क्यों नहीं? ऐसे सैकड़ों विभाग हैं जो भारत के विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। ज्योतिर्विज्ञान को रोकने से पूर्व इन विभागों के दरवाजों पर ताले लटकाने पड़ेंगे।

प्राचीन चीनी ज्योतिष

क्या आप जानते हैं चीन अपनी प्राचीन ज्योतिष विद्या को बचाए रखा है? चीन की ज्योतिष विद्या पर पश्चिमी विद्वानों-जीन माइकेल, एन.डी. पालसन, जॉन ब्लूफील्ड आदि ने कार्य किया है। चीन के ज्योतिषीय अभिलेखों की प्रशंसा तो डॉ. नार्लिकर करते हैं; परंतु भारतीय ज्योतिर्विदों के दस्तावेजों का उल्लेख आज के वैज्ञानिक नहीं करते। ईस्वी पूर्व लोमश संहिता, वसिष्ठ संहिता से लेकर आज तक ज्योतिष के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है यदि यह व्यर्थ है तो भारत में कौन सा सार्थक कार्य हो रहा है?

ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है

ज्योतिर्विज्ञान को अंधविश्वास मानने वाले लोग क्या आयुर्वेद को भी हेय और त्याज्य मानेंगे। यदि आयुर्वेद विज्ञान की मान्यता को रखता है तो उसका एक अध्याय जो 'ग्रह व्यापाश्रयचिकित्सा' का है उसका क्या होगा? नक्षत्रों के आधार पर चिकित्सा की पद्धति का क्या होगा? आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों एवं उनकी टीकाओं में निहित ज्योतिष विज्ञान के तत्त्वों को वैज्ञानिक नजरिए से देखने

Scanned with OKEN Scanner

की आवश्यकता है। दुर्दान्त प्रगतिशीलता अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक होती है।

ज्योतिष विज्ञान है – फलित ज्योतिष निश्चित ही विज्ञान है। फलित ज्योतिष की प्रयोजनमूलकता के ही कारण गणित ज्योतिष की उत्पत्ति हुयी।

- फलित ज्योतिष के आधार बारह राशियों, ग्रह और सत्ताइस नक्षत्र है। ये आधार गणित (एस्ट्रोनामी) द्वारा सत्यापित हैं। यदि आधार सत्य है तो परिणाम असत्य कैसे होगा?
- वृष राशि के सूर्य में दोपहर में खड़े व्यक्ति की चमड़ी जल सकती है तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी अवश्य होगा। चंद्रमा के कारण समुद्र में उठने वाले ज्वार-भाटे को तथाकथित विरोधी कैसे रोक पाएंगे?
- सूर्य के उदय से कमल खिल सकते हैं, सूरजमुखी चतुर्दिक् घूम सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं प्रभावित हो सकता है?
- विश्व में भविष्य बतलाने का कोई भी अन्य ज्ञान या विद्या इतनी समृद्ध नहीं है जितनी ज्योतिर्विद्या हैं; तो फिर इसकी हत्या क्यों? क्या भविष्य को देखने की दृष्टि विज्ञान की किसी शाखा के पास है? यदि नहीं तो ज्योतिर्विज्ञान अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। यह एक विद्या के संरक्षण और संवर्धन का प्रश्न है। भविष्य जानने में अक्षम लोग एक भविष्य बतलाने वाले विज्ञान की हत्या करना चाहते हैं। अथवा वे स्वीकार करें कि भविष्य नहीं जाना जा सकता है।
- ग्रहों के विसंवाद से, परस्पर संबंध से अन्य ग्रह कक्षाएँ और पिण्ड प्रभावित होते हैं। यदि इसे नहीं माना जाएगा तो केप्लर' का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। उसी परस्पर संबंध का अध्ययन परिणामरूप में ज्योतिर्विज्ञान प्रस्तुत करता है। ग्रहों के उच्च और नीच की परिकल्पना उनकी खगोलीय स्थिति के अनुसार है तो क्या इनका अध्ययन अवैज्ञानिक माना जाएगा?
- प्रसूति और संतानोत्पत्ति के सिद्धांत ज्योतिष में आयुर्वेद के सिद्धांतों से मेल खाते हैं तो क्या यह ज्योतिर्विज्ञान के विरुद्ध जाएगा?
- जिस गणितज्ञ ज्योतिषियों ने गणित ग्रंथों की रचना की उनमें से अनेक ने फलित ग्रंथों की भी रचना की है। एक काल में एक ही व्यक्ति वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक नहीं हो सकता।
- मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी फलित ज्योतिष का एक अध्याय है। इस विषय को लेकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग एवं भू-भौतिकी ने सेमिनार किए हैं। वृष्टि विज्ञान पर विज्ञान संकाय तथा कृषि विज्ञान संस्थान ने शोधकार्य किए हैं। ज्योतिर्विज्ञान द्वारा प्रदत्त मौसम की भविष्यवाणियों को अस्सी प्रतिशत सही पाया जाता है।
- 'कृषिपाराशर', 'वनमाला', कादम्बिनी आदि ग्रंथ ज्योतिर्विज्ञान की वैज्ञानिकता के मानदण्ड हैं। यदि इन्हें नकारा जाएगा तो विज्ञान की अनेक शाखाएँ भी नकारी जा सकती हैं।
- ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा सद्यः जन्म लिए शिशु के भविष्यत् रोगों की भविष्यवाणी की जा सकती है; जिसका सत्यापन शीघ्र हो सकेगा।

एक सत्य की हत्या का प्रयास

स्वतंत्र भारत में भारतीय विद्याओं के हत्यारे शत्रुओं के द्वारा निरंतर यह प्रयास जारी रखा गया कि शास्त्रीय संगीत, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, कला, साहित्य, नाटक, शिल्प, नृत्य, गोवंश, नदी समृद्धि, पर्वतमालायें, श्रेष्ठ कारिगरी, कृषि पद्धति आदि विनष्ट हो जाएं। इस प्रतिकूल कार्यों के लिए लोगों को पुरस्कार चेयर की स्थापना तथा जीविका के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। यह एक मेण्टल कनवर्जन का प्रयास था। आज जब सत्ता स्तर पर इन विषयों का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है तो उस वर्ग की तेज धड़कनें हृदय आघात का रूप ले रही हैं। क्या यह संभव है कि सौ करोड़ वाले हिन्दू समाज के संस्कार, धर्म, जीवन शैली को वामपंथी विचार धारा रोक दे? यदि नहीं तो संस्कार हेतु पंचांग चाहिए। पर्वो हेतु पंचांग चाहिए। ऋतुचर्या हेतु पंचांग चाहिए। ये भारतीय पंचांग जब मुगलकाल और अंग्रेजों की सत्ता के काल में बंद नहीं हुए तो अब इन्हें कौन बंद कर सकेगा? 'धर्मसिन्धु' और 'निर्णयसिन्धु' के धार्मिक आदेशों को समाज में लागू करने वाला माध्यम पंचांग ही है। अब तो यूरोप और अमरीका भी पंचांग बना रहे हैं। ज्योतिर्विज्ञान, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, योग और दर्शन भारत की सीमाओं को पार कर अपने बृहद् आकार को प्राप्त कर चुके हैं। सूर्य को कम्बल से नहीं ढंका जा सकता तो फिर सूर्य को आधार मानकर प्रयुक्त ज्योतिर्विज्ञान को कौन रोक सकता है? अभी तो यह पूर्व पीठिका है। प्रमाणों, तर्कों, ग्रंथों और भविष्य के निकष पर चढ़ने के लिए हम सतत् तैयार है। ज्योतिर्विज्ञान था, है और रहेगा। विज्ञान शब्द ही वैदिक ज्योतिष की पेट से उत्पन्न हुआ है।

वैश्विक क्षितिज पर ज्योतिष का उदय

आज अमेरीका में हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। वहाँ ज्योतिष की पढ़ाई आरंभ हो चुकी है। ब्रूनो डेजीन ने वास्तुशास्त्र पर दो दशक तक कार्य कर विश्व को चमत्कृत कर दिया है। डॉ. डेनिस हार्नेस (यू.एस.ए.), डॉ. डेविड फ्रावले (यू.एस.ए.), डॉ. ब्रेनडेन फीले (यू.एस.ए.), कोमिला सटन (इंग्लैण्ड), डॉ. एण्ड्रू फॉस (कनाडा), डेनिस फ्लेहर्टी (यू.एस.ए.), विलियम लिवेंसी (यू.एस.ए.), मैडम जोसफीन 'हिमबिंदु' (फ्रांस) आदि अपने अपने देश में ज्योतिष की पहचान बन रहे हैं। इन्हें कम्युनिस्ट कैसे रोक सकेंगे। क्या संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, लाल बहादुर केन्द्रीय संस्कृत विद्या पीठ, तिब्बतीयन शोध संस्थान आदि संस्थाओं में से ज्योतिष की पढ़ाई बंद करा दी जाएगी अथवा काँग्रेस के जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गाँधी आदि को दंडित किया जाएगा जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया था। ज्योतिष विज्ञान जीवित रहेगा और विरोधियों का षड्यंत्र विफल होगा। यही भविष्यत् सत्य है। ■

Scanned with OKEN Scanner

वैज्ञानिकों का मानना है कि सन् २०१० तक ऊर्जा के जीवाश्म-स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस तथा तेल इत्यादि के भंडारों का इतना दोहन हो चुका रहेगा कि वे उस समय की माँग को पूरा नहीं कर पाएँगे।

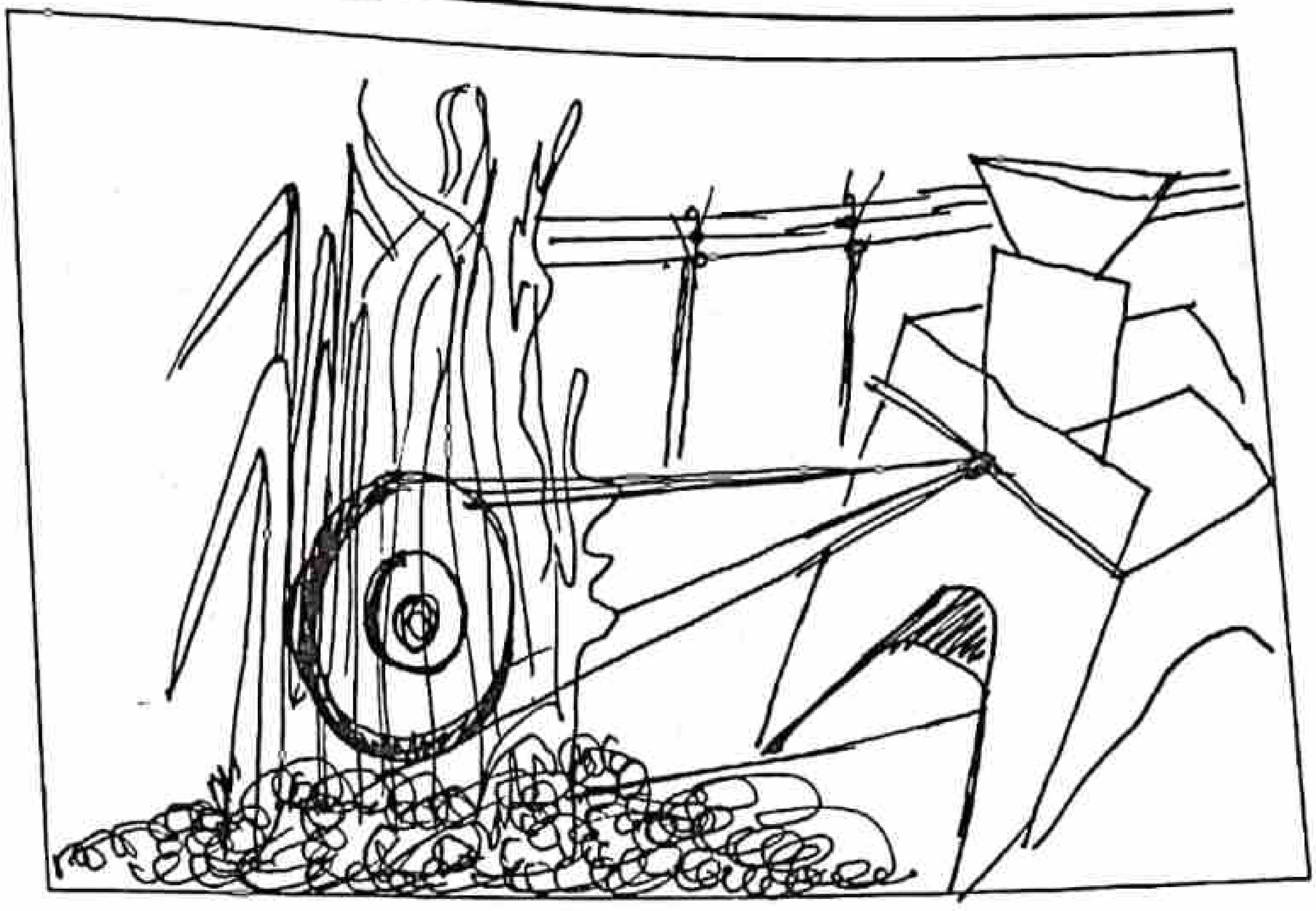

ऊर्जा की खेती : बायोमास

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे है; यह आवश्यक है कि ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों का मोह छोड़ कर नए क्षेत्रों का विकास किया जाए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि आधारित उद्योग तथा घरेलू उद्योग बिजली की कमी के कारण बन्द होने के रास्ते पर हैं जिसका प्रमुख कारण बिजली की कमी एवं उसका महँगा होना है। समस्या केवल विद्युत की कमी की ही नहीं है बल्कि उसके वितरण एवं रख-रखाव की भी है। कुछ राज्यों में लागत मूल्य वसूल न होने के कारण कई दूरस्थ ग्रामों के विद्युतीकरण कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए गए हैं या फिर वे गाँव विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते ही नहीं है। इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक है कि इनके स्थानीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही की जाए। वैसे भी वैज्ञानिकों का मानना है कि सन् २०१० तक ऊर्जा के जीवाश्म-स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस तथा तेल इत्यादि के भंडारों का इतना दोहन हो चुका रहेगा कि वे उस समय की माँग को पूरा नहीं कर पाएँगे। इस भयावह स्थिति से निबटने की तैयारी अभी से आवश्यक है। इसके लिए ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का विकास करना होगा। वैज्ञानिक आजकल 'ऊर्जा की खेती' की बात करने लगे हैं। ऊर्जा की खेती से उनका तात्पर्य बायोमास से ऊर्जा-उत्पादन है।

बायोमास अर्थात् जैव पदार्थों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। वास्तव में लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और पशुओं के गोबर से हमारे गाँवों की लगभग ७५% ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। लकड़ी और अन्य कृषिजन्य अपशिष्टों का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है – गन्ने की खोई, जिसे बॉयलर में जलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है।

बायोमास का सीधे दोहन कर कार्बनीकरण/तरलीकरण, गैसीकरण तथा अन्य रूपांतरण प्रणालियों द्वारा ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बायोमास से संबंधित कई कार्यक्रम पूरे देश में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे है।

बायोमास ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक आसान तरीका है। इसके उपयोग से गाँवों का अपनी ऊर्जा आवश्यक हेतु बाहरी क्षेत्रों (शहरों एवं ग्रिडों) पर निर्भरता खत्म होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। बायोमास का सीधे दोहन कर कार्बनीकरण/तरलीकरण, गैसीकरण तथा अन्य रूपांतरण प्रणालियों द्वारा ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बायोमास से संबंधित कई कार्यक्रम पूरे देश में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे है। इसमें ऊर्जा उत्पादन के काम में आने वाले पेड़ों-पौधों का लगाना, लोगों को अपने घर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक पौधा एक ऊर्जा संयंत्र होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। इनका उपयोग जंतु जगत अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष केवल जलीय पौधों में ३००० अरब गीगा जूल ऊर्जा अंतर्निहित होती है। सूर्य की किरणें जल एवं कार्बन डाई आक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देती हैं इन्हें बायोमास कहते हैं।

के लिए बायो गैस संयंत्र लगाने के लिए उत्साहित करना जैसे कार्य शामिल है।

बायोमास का उपयोग देश के विभिन्न भागों में काष्ठ ऊर्जा, पेट्रो स्थानापन्न, एल्कोहल, ईंधन बिक्रेट्स, जलपम्पन तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है।

पूरे देश में पशुओं के गोबर का उपयोग सूखे केक के रूप में जलाकर ऊर्जा उत्पादन में होता है। गोबर में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। जो भूमि की उपज क्षमता बढ़ाते है। चूँकि गोबर के जलने से वायु प्रदूषण होता है तथा इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी निम्न होती है अत: ऊर्जा उत्पादन के लिए गोबर जलाना हानिकारक है। इसके स्थान पर पशुओं के गोबर तथा मनुष्यों के मलमूत्र को बायोगैस में बदला जा सकता है जो एक स्वच्छ ईंधन है। यह प्रदूषण मुक्त होता है।

जंतुओं एवं पौधों के अपशिष्ट एनएक्रोबिक माइक्रो आर्गनिज्म द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से विघटित हो जाते है। इस प्रक्रिया में मिथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाई आक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पादित होती हैं। इन सभी गैसों के सम्मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें ६५ प्रतिशत मिथेन होता है जो एक लाजवाब ईंधन है। इस बायोगैस का उपयोग विद्युत उत्पादन में हो सकता है जैसा पटना के गाँधी मैदान क्षेत्र के स्ट्रीट लाईटिंग या अन्य जगहों पर किया गया है।

हमारे देश में मुख्यत: दो तरह के बायोगैस संयंत्रों का उपयोग किया जाता है; स्थिर गुम्बद वाला तथा तैरते गुम्बद वाला इसमें (बायो गैस संयंत्र में) पशुओं के उत्सर्जित पदार्थों और जल का गाढ़ा मिश्रण डालते हैं। इससे उत्पादित बायोगैस को पाइपों के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते है। कई स्थानों पर बड़े बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं जो न केवल ऊर्जा उत्पादन में सहयोगी हैं वरन् जल तथा वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित रखते है। इस संयंत्र में बचा गारा (मिश्रण) एक अच्छे खाद का काम करता है जिसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं। इसके विकास के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। हमारे देश में दुनिया में सबसे बड़ा पशुधन है। यह अनुमान किया गया है कि हमारे देश की ग्रामीण आवश्यकताओं का ७५% बायोमास से उत्पादित ऊर्जा से पूरा हो सकता है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी।

प्रत्येक पौधा एक ऊर्जा संयंत्र होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। इनका उपयोग जंतु जगत अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष केवल जलीय पौधों में ३००० अरब गीगा जूल ऊर्जा अंतर्निहित होती है। सूर्य की किरणें जल एवं कार्बन डाई आक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देती हैं इन्हें बायोमास कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा केवल जलीय पौधों में ही प्रतिवर्ष २०० अरब टन कार्बन स्थिर होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के प्रमुख उत्पाद, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज, हाइड्रोकार्बन आदि के रूप में भी ऊर्जा एकत्र होती है। सभी प्रकार के पादप बायोमास निर्मित करते हैं। बायोमास उपयोग से जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी। सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि प्रासंगिक होने के कारण बायोमास हमारे जल, वायु और धरती को स्वच्छ रखने के अतिरिक्त हमारी जीवन आधार प्रणालियों का भी संरक्षण करेगा।

हमारे देश में बायोमास से ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देखता है। इसके अनुमानों के अनुसार देश में १९,५०० मेगावाट बिजली प्रतिवर्ष बायोमास से बनायी जा सकती है। आमतौर पर बायोमास के रूप में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ या तो बेकार फेंक दी जाती हैं या उनका ताप ऊर्जा साधन के रूप में आधा अधूरा उपयोग होता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की ओर से दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में इन संसाधनों से १००० मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए लगाए गए सभी संयंत्रों का कुल उत्पादन अभी तक २९२ मेगावाट ही है। बायोमास आधारित बिजली उत्पादन में ४०० मेगावाट की और वृद्धि के लिए परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। लेकिन बायोमास आधारित इस बिजली में प्रमुख हिस्सा चीनी मिलों में हो रहे सहउत्पादन का होगा। बायोमास से बिजली उत्पादन को-जेनरेशन (सह-उत्पादन) के द्वारा सर्वाधिक होता है जिसकी संभावना सबसे अधिक चीनी मिलों में है। पुराने तकनीक वाले चीनी मिलों में गन्ने के रस को उबालने के लिए गन्ने के खोई जलायी जाती है। इस खोई का अधिक ताप एवं दाब वाले बॉयलरों में उपयोग कर बिजली उत्पादन किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार वार्षिक ५००० टन क्रशिंग क्षमता वाले चीनी मिलों से मिल की समस्त जरूरतों को पूरा करने के बाद लगभग ८ मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार सह-परियोजनाएँ स्थापित कर चीनी मिलें अतिरिक्त लाभ कमा सकती है साथ ही पूरे क्षेत्र को ज्योतिर्मय भी बना सकती हैं। हमारे देश में चीनी मिलों की स्थापना ईख उत्पादक क्षेत्रों में ही हुई है जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्र हैं। इस प्रकार इन चीनी मिलों के अतिरिक्त

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उत्पादन का प्रभाव उस पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। क्षेत्रीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे कृषि एवं अन्य स्थानीय संसाधनों का पर्याप्त विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही शहरों की ओर पलायन रुकेगा और शहरों में दिनों-दिन बढ़ते झोपड़पट्टी और जन-जमाव से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ ही क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ेगा। आत्मनिर्भर गाँव ही हमारी राष्ट्र की आजादी को इसके व्यापक स्वरूप में प्रकट करेंगे जिससे राष्ट्रपिता गाँधी के रामराज्य या ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा होगा। बायोमास इस स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस स्तर तक बायोमास का उत्पादन पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि बायोमास के अन्य स्रोतों का भी विकास किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बायोमास की खेती अर्थात् ऊर्जा की खेती की बात की है। इसके लिए अधिक ऊर्जा देने वाले पौधे जैसे गन्ना, ज्वार सोयाबीन, सूरजमुखी, ईंधन की लकड़ी वाले पौधे, नोपियर घास इत्यादि लगाए जाएँ। शीघ्र बढ़ने वाले पौधों से भूमि की निश्चित क्षेत्रफल से अधिक मात्रा में बायोमास मिल सकता है। इन पौधों में यूकेलिप्ट्स, सबबूल (मिरेकल या वण्डर ट्री) पापलस, सर्दनबीच एल्डर विलो आदि प्रमुख हैं। जलीय बायोमास के रूप में जलकुम्भी तथा शैवाल के नाम उल्लेखनीय हैं। जलकुम्भी के १ किलोग्राम शुष्क भार से ३५०-४०० लीटर बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। समुद्रों में उगने वाले शैवालों से भी गैस बनायी जा सकती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल महाराष्ट्र के समुद्री तट में लगभग ३००० टन शुष्क भार की घासें एकत्र की जाती है।

बायोगैस के अन्य प्रमुख स्रोतों में वनो तथा कृषि जन्य अपशिष्टों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके कारण पूरे देश में कृषि अपशिष्ट और बायोमास की प्रचुरता है। आँकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष कृषि जन्य अपशिष्ट तथा वन अपशिष्टो की कुल मात्रा लगभग ५३.४ करोड़ टन होती है जिससे ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में लगभग ६०० करोड़ टन नारियल का उत्पादन होता है। नारियल से विभिन्न अपशिष्ट प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही सभी ऊर्जा प्रदायक फसलों, शैवालों की खेती एवं उनका विकास आवश्यक है। वर्त्तमान में इनकी उत्पादन क्षमता कम है जिसके बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही बायोमास के विकास के लिए क्षेत्र विशेष की विशिष्टताओं पर भी ध्यान देना होगा कि किस स्थान की जलवायु या प्राकृतिक व्यवस्था किस तरह के बायोमास उत्पादित करती है। वही बायोमास उस क्षेत्र विशेष के विकास में योगदान देगा। इससे पर्यावरणीय असंतुलन दूर करने में सहायता मिलेगी। वर्त्तमान समय में इसके विकास के लिए दूसरे देशों में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख है ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा लोव में कोयला एवं एक विशेष प्रकार की घास के मिश्रण का ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग। इसमें उत्तरी अमेरिका में उगने वाले स्विच घास का उपयोग किया जा रहा है। इसमें कई रोगाणुओं से भी लड़ने की क्षमता होती है। इसका उपयोग खाद एवं कृषि रसायन के रूप में भी किया जा सकता है। इससे ऊर्जा उत्पादन के लिए इसमें कोयला मिलाकर इसे जलाया जाता है जिसके जरिये घरों में ऊर्जा उपलब्ध करायी जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ईंधन पर्यावरण मित्र और सस्ता है। इसमें घास को काटकर उसे सुखाया जाता है फिर उसे पीस कर घूल में बदला जाता है। इस घूल को एक फर्नेस में स्विच घास के घूल के कोयला मिलाकर इसे जलाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है। इसका उपयोग तापीय बिजली घरों में कोयले की खपत कम करने के लिए किया जा सकता है। इससे घास की खेती की जा सकती है। इस प्रकार बायोमास विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा लोव में कोयला एवं एक विशेष प्रकार की घास के मिश्रण का ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है। इसमें उत्तरी अमेरिका में उगने वाले स्विच घास का उपयोग किया जा रहा है। इसमें कई रोगाणुओं से भी लड़ने की क्षमता होती है। इसका उपयोग खाद एवं कृषि रसायन के रूप में भी किया जा सकता है।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में कमी किए जाने का असर ऊर्जा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। जिसके कारण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत प्राप्त करने के लिए तय लक्ष्य को प्राप्त करना भी काफी जटिल कार्य साबित हो रहा है। केन्द्रीय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के तैयार किए गए कार्ययोजना को लागू करने के लिए ७० हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना होने के बावजूद आजादी के बाद के पिछले ५४ वर्षों में इस क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अभी यह देश में उत्पादित कुल बिजली उत्पादन में केवल ३% का ही योगदान करता है। अभी जहाँ हमारा विद्युत उत्पादन १ लाख मेगावाट की क्षमता तक पिछले ५४ वर्षों में बड़े-बड़े वादों के बावजूद नहीं पहुँचा है, चीन में अपना विद्युत उत्पादन पिछले दस वर्षों में ही ३.२० लाख मेगावाट पहुँचा दिया है। इनके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सही योजना होनी चाहिए। इससे सीख लेते हुए भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा-मंत्रालय ने अपनी कछुआ गति के हिसाब से ही ११वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के कुल विद्युत उत्पादन में अपना हिस्सा १०% करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रस्ताव विचार के लिए केन्द्र सरकार के पास है। इस प्रस्ताव में २०१२ तक अपारंपरिक ऊर्जा में सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणाली, सड़क रोशनी प्रणाली (बायोमास) ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र इत्यादि ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है। ■

Scanned with OKEN Scanner

संस्कृति

ज्योतिष पर आधारित हैं हमारे आचार-विचार

■ डॉ० प्रमोद कुमार दूबे

काल का आदि-ज्ञान प्राग्वैदिक काल में यज्ञ-संस्था के विकास के साथ हुआ था। यज्ञ का आयोजन एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक किया जाता था। इस काल को एक अहोरात्रि कहा गया। एक अहोरात्रि में तीन बराबर अंतरालों पर देवताओं को सोम रस अर्पित किये जाते थे। यह अंतराल आठ-आठ घंटों का होता था।

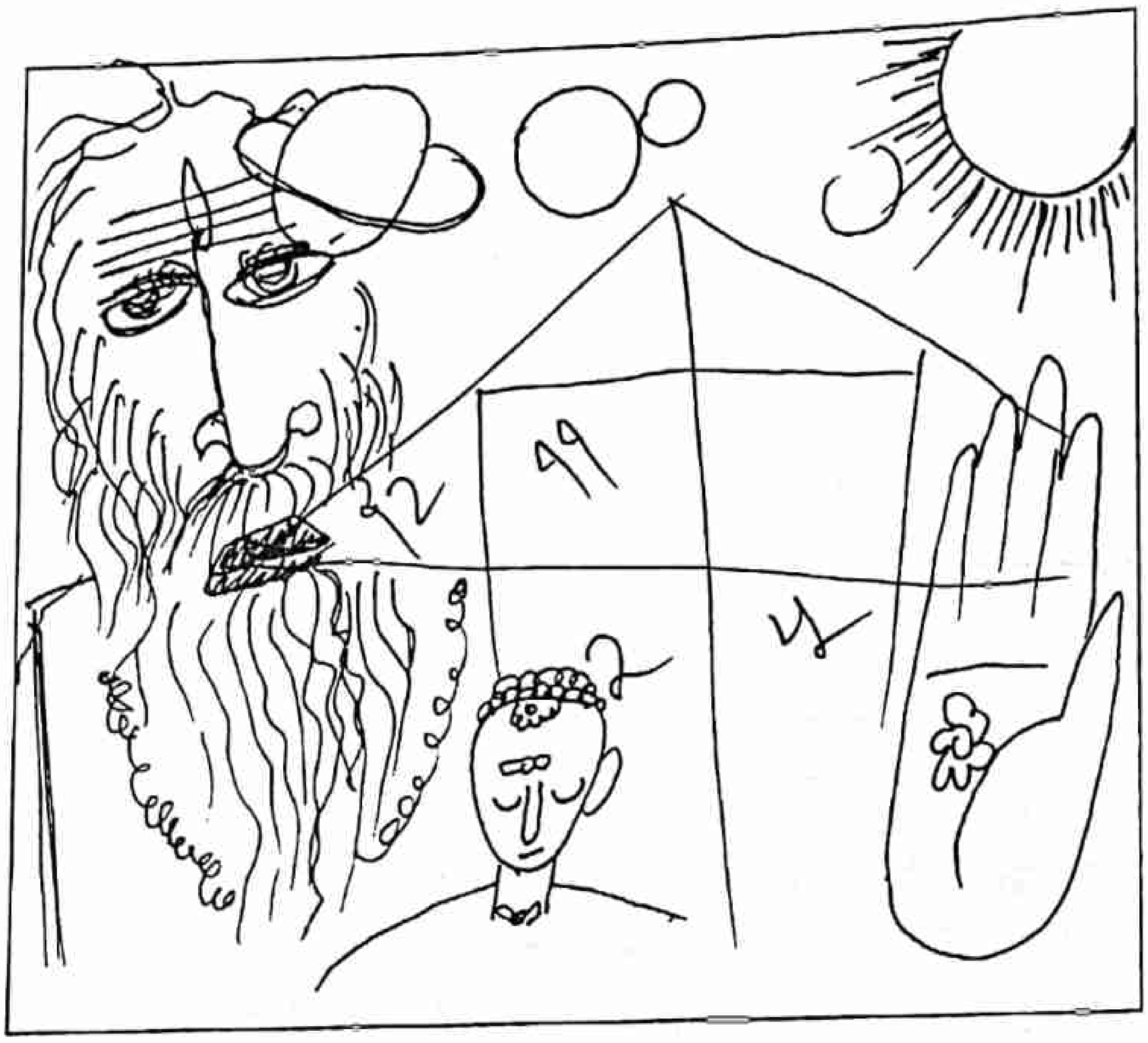

काल को जानने की विधि कैसे विकसित हुई? इस प्रश्न के उत्तर में छिपा है अध्यात्म और ज्योतिष के आपसी संबंधों का रहस्य। अध्यात्म का भीतरी रास्ता हो या बाहरी दुनिया के विभिन्न कार्यकलाप, दिक् और काल से कोई भी अछूता नहीं है। अध्यात्म की योगभूमि में इनकी भूमिका सूक्ष्म होती है, बाह्य जगत में स्थूल। इन दोनों की अविराम क्रीड़ा का नाम सृष्टि है। इन्हें बारीकी से देखने के बाद संत कबीर ने गाया –

आठ हाथ की बनी चुनरिया,
पांच रंग पटिया पारी
चांद सूरज जामें आचर लागे
जगमग जोत उजारी।
चुनरिया हमरी पिया ने संवारी।

सृष्टि रूपी चुनर में आठ पहर हैं, पंच तत्व के पांच रंगों की धारियाँ हैं। इस आंचल में चांद और सूरज जगमगा रहे हैं। पंच तत्वों की धारियाँ दिक् हैं, आठ पहर में भासमान सत्ता काल है। काल का सापेक्ष अनुभव पंच तत्वों से निर्मित ब्रह्माण्डीय पिंडों द्वारा होता है। पंचतत्व प्रकृति है और काल है पुरुष। प्रकृति और काल की संक्रांति से सृष्टि उत्पन्न होती है। संक्राति का अर्थ है – मिलना। पिंड अथवा ब्रह्मांड में जो भी रचना दिखाई दे रही है ये सभी संक्रांतियों से निर्मित हुई है। काल की गिनती संक्रांति से ही की जा सकती है।

काल का आदि-ज्ञान प्राग्वैदिक काल में यज्ञ-संस्था के विकास के साथ हुआ था। यज्ञ का आयोजन एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक किया जाता था। इस काल को एक अहोरात्रि कहा गया। एक अहोरात्रि में तीन बराबर अंतरालों पर देवताओं को सोम रस अर्पित किये जाते थे। यह अंतराल आठ-आठ घंटों का होता था। इस प्रकार एक अहोरात्रि चौबीस घंटे की हो गई। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने में यही काल व्यय करती है। आज भी लोक व्यवहार में यही काल-गणना प्रचलित है।

काल का ज्ञान ज्यों-ज्यों विकसित होता चला गया, सनातन जीवन की आचार संहिता भी विकसित होती चली गई। अध्यात्म का बोध उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। पिंड और ब्रह्माण्ड के अंतर्संबंध भी खुलते चले गये। इन दोनों के संबंधों की स्थापना पर विशेष आग्रह बढ़ता चला गया। यह प्रयास आंतरिक स्तर पर योग साधना कहा गया और बाह्य स्तर पर व्रत-नियम पूजा-त्योहार उत्सव आदि आस्थाओं के रूप में माना-मनाया जाने लगा।

आस्था और विश्वास से जुड़े लोकोत्सव दो श्रेणियों के दिखाई देते हैं – १. जो प्रकृति के साथ एकाकार होने के लिए मनाए जाते हैं और २. जो व्यक्ति या राज्य व्यवस्था द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

चलित किया गया हो। पहली श्रेणी के त्सवों के आधार तथ्य-विहीन नहीं । उनके गहरे अभिप्राय ज्योतिष और ज्ञान के राजमार्ग की भूलीबिसरी कड़ियाँ हो सकती हैं, जिनका उद्देश्य लोक जीवन को उच्चतम सत्य की ओर ले जाना हो सकता है। अरुणाचल की अपनोपोलो वन जाति में सूर्य और चंद्रमा की पूजा प्रचलित है। वैदिक स्थापना है कि सूर्य जगत की आत्मा है और चंद्रमा जगत का मन। सूर्य अग्नि है, चंद्रमा सोम। अग्नि और सोम के मिलन से जगत बना हुआ है। इस आधार पर इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि अत्यंत प्राचीन और विकसित मानी जा सकती है। इसी प्रकार असम के जन-जीवन में प्रचलित बीहू उत्सव ज्योतिष के गहरे ज्ञान की उपज है। यह उत्सव लोक जीवन और ब्रह्माण्ड के एकीकरण का प्रयास है। इसे प्रत्यक्ष योग की प्रक्रिया भी माना जा सकता है। बीहू शब्द विषुव शब्द का असमिया उच्चारण है। असमिया भाषा में 'व' का 'ब' और 'श' या 'ष' का 'ह' उच्चारण होता है। विषुव वृत सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण का पथ है। यह उत्सव वर्ष की तीन ऋतु संधियों पर मनाया जाता है। चैत्र, कार्तिक और पौष मासों में होने वाली ये ऋतु-संक्रांतियाँ भारत वर्ष के लोक जीवन में विभिन्न रूपों में मनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य लोक जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ देना है। कहना उपयुक्त होगा कि ये अनुष्ठान प्राग्वैदिक काल में विकसित यज्ञ-संस्था और ज्योतिषिक ज्ञान पर आधारित है।

काल की जिज्ञासा खगोल के ज्ञान की ओर ले गई। इस विषय का व्यवस्थित ज्ञान ज्योतिष-शास्त्र कहलाया। इस शास्त्र ने इतिहास के अच्छे दिन देखे और बुरे दिन भी। पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्संबंधों के ज्ञान से इस शास्त्र ने इन दोनों के बीच अनुकूलता लाकर विश्व में उच्चतम जीवन आदर्शों का मार्ग प्रशस्त किया। भाग्य तथा भविष्य-कथन के लिए भी इसका उपयोग हुआ। जो कुछ भी पिंड रूपी देह में है, वह ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएँ पिंड रूपी देह को प्रभावित करती हैं। इस सूत्र के प्रमाण वैज्ञानिकों की खोज के विषय रहे हैं। वर्षा होने के पहले चिटियाँ बिल से बाहर निकल कर ऊँचे स्थानों पर क्यों चढ़ जाती हैं। भूकम्प से पहले पहाड़ों में बिल बनाकर रहने वाले जानवर क्यों भागने लगते हैं। मोर को क्या हो जाता है कि वह सावन की घटा घिरते ही पंख फैलाकर नाचने लगता है। सूर्योदय के समय पूरी प्रकृति में चहल-पहल मच जाती है। यह निर्विवाद है कि प्रकृति की हलचलों से प्राणियों का जीवन प्रभावित होता है। प्रकृति से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है। जहाँ की जलवायु जैसी है अपने मूलरूप में वहाँ के मनुष्यों और उनकी जीवन शैली का रूपरंग भी वैसा ही है। पिंड और ब्रह्माण्ड के संबंध को ज्योतिष-शास्त्र तथ्यपरक ढंग से सिद्ध करता है। यह परोक्ष और प्रत्यक्ष के बीच की भाषा है।

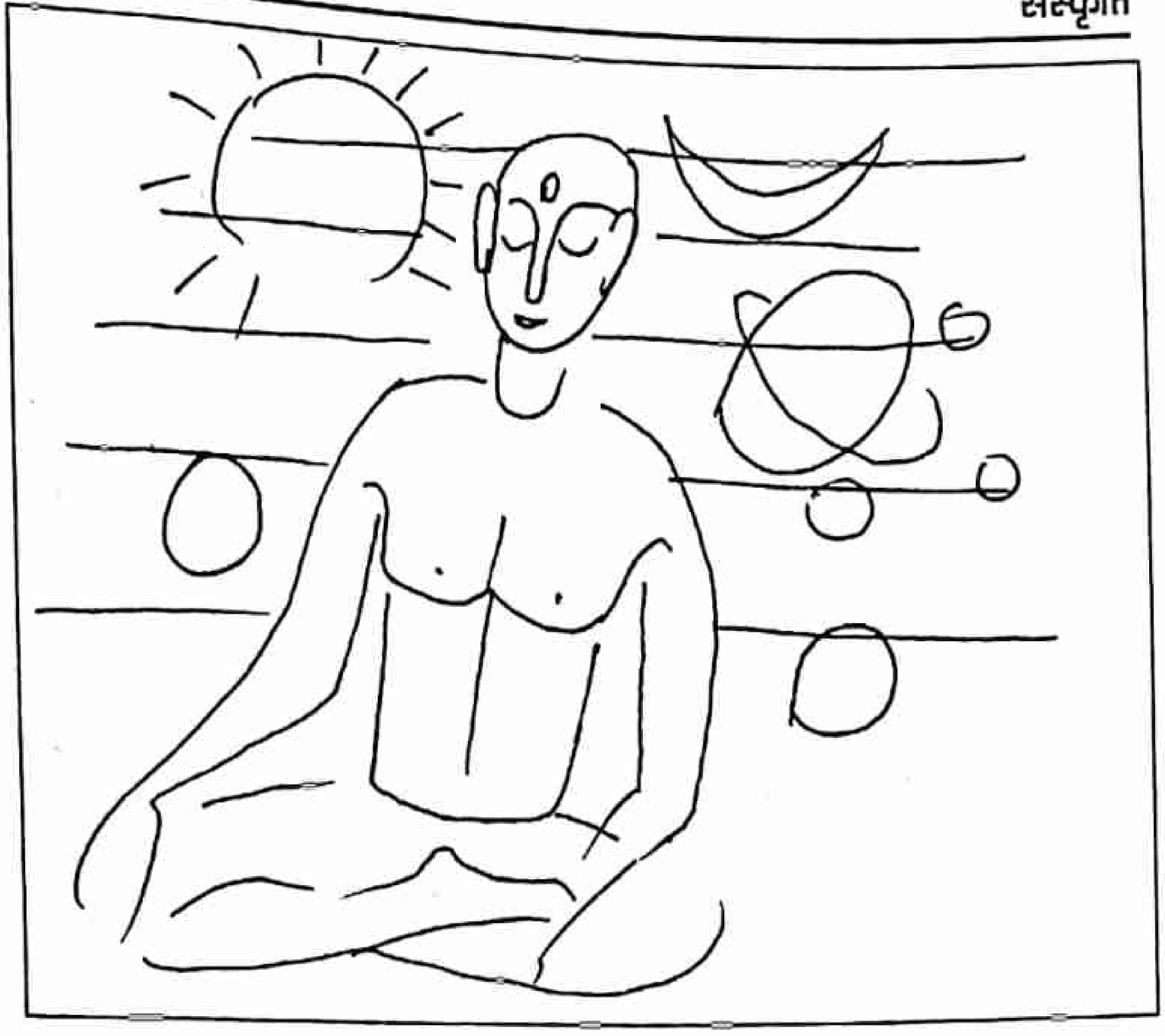

मनुष्य देह में मेष से लेकर मीन तक बारह राशियों के स्थान माने जाते हैं। मेष सिर पर है तो मीन पैर और अन्य राशियाँ क्रमशः शरीर के अन्य भागों में स्थित हैं। इन राशियों के स्वामी-ग्रहों के प्रभाव से देह की प्रकृति का निर्माण होता है। सूर्य से नेत्र और हृदय का संबंध है। यह आत्मा का अधिष्ठाता है। चंद्रमा मन और मन की वृत्तियों को प्रतिनिधित्व देता है। भले ही चंद्रमा उपग्रह की भूमि बदसूरत और बंजर हो लेकिन ज्योतिष के ग्रह योगों में मुख की सुन्दरता को यह अवश्य सूचित करता है। पातंजलि का सूत्र है कि चंद्रमा अर्थात् मन के वशीभूत होते ही नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा नक्षत्रों के विविध रंगों में घूमते रहने वाला ब्रह्माण्ड का चंचल मन है। यह नक्षत्रों का ज्ञान दे देता है।

काल की जिज्ञासा खगोल के ज्ञान की ओर ले गई। इस विषय का व्यवस्थित ज्ञान ज्योतिष-शास्त्र कहलाया। इस शास्त्र ने इतिहास के अच्छे दिन देखे और बुरे दिन भी। पिंड और ब्रह्मांड के अंतर्संबंधों के ज्ञान से इस शास्त्र ने इन दोनों के बीच अनुकूलता लाकर विश्व में उच्चतम जीवन आदर्शों का मार्ग प्रशस्त किया।

Scanned with OKEN Scanner

सूर्य से निकलने वाली रश्मियाँ ग्रहों से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। इन संक्रांत-रश्मियों की बुनावट से जगत गर्म बनता है। इस जगत गर्म के रश्मि-पाश में जड़ और चेतन एक साथ बंधकर जीवन की रचना करते हैं।

पिंड और ब्रह्मांड के अभिन्न संबंधों की व्याख्या इन दिनों विदेशों में लिखी जाने वाले अध्यात्म विषयक पुस्तकों में वैज्ञानिक शब्दावलियों से की जा रही है। मेगा और माइक्रो सूर्य और चंद्रमा के संयोग के रोचक विवरण उनमें पढ़े जा सकते हैं। गणित और ज्यामिति के आधार पर लिखी गई अध्यात्म की पुस्तकें भी आइंस्टाइन के ऊर्जा-सूत्र से कालातीत ब्रह्म सत्ता का सत्यापन कर रही हैं। यह वह कड़ी है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक साथ खड़े दिखाई देते हैं।

पिंड और ब्रह्मांड की अभिन्नता को प्राणायाम और जप से सिद्ध कर लेने वाले साधुओं में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। देखा यह जाता है कि भक्त दर्शनार्थी अपनी कामना को लेकर किसी सिद्ध के पास पहुँचता है। यदि भक्त के ग्रह योग भले चंगे हैं तो सिद्ध भी आशीर्वाद दे देता है। पर भक्त किसी गाढ़े वक्त में फंसा है, उसकी ग्रह दशा बुरी है तो सिद्ध महात्मा भी आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। ब्रह्मांड की ज्योतिषीय व्यवस्था के तदरूप हुआ सिद्ध महात्मा का मन चमत्कारी हो जाता है। बहुत से योगी इस चमत्कार के बदौलत ईश्वर और जगत के बीच हिरण्य-कश्यप बनकर बैठ जाते हैं। अधिक नहीं, सिर्फ पृथ्वी की व्यवस्था का अनुसरण कर लिया जाए तो मनुष्य की उत्तम अचार संहिता का निर्माण हो सकता है। मनुष्य की आध्यात्मिक और जागतिक उन्नति हो सकती है। पृथ्वी देह है, चंद्रमा मन है और सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा। शेष ग्रहों के योग से विभिन्न गुण उत्पनन होते हैं। पृथ्वी की ज्योतिष-व्यवस्था अद्‌भुत है। सूर्य से निकलने वाली रश्मियाँ ग्रहों से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। इन संक्रांत-रश्मियों की बुनावट से जगत गर्म बनता है। इस जगत गर्म के रश्मि-पाश में जड़ और चेतन एक साथ बंधकर जीवन की रचना करते हैं।

आइए, अब पृथ्वी की निजी आचार संहिता देखें – पृथ्वी अपनी धुरी पर शून्य में टिकी रहने के लिए, निजत्व की रक्षा के लिए चौबीस घंटे के चक्कर लगाया करती है। यह पृथ्वी की पहली गति है इसमें बारह-बारह घंटे की दिन और रात होती है। पृथ्वी को इस एक गति से संतुष्टि नहीं मिलती। वह दूसरी गति सूर्य के चारों ओर लगभग तीन सौ पैंसठ दिन में पूरी करती है। इस दूसरी गति में भी छह-छह मासों के दिन और रात होती है। इस रात-दिन को दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। पृथ्वी की पहली गति व्यष्टिपरक है, दूसरी समष्टिपरक। पहली गति स्वार्थ है, दूसरी गति परमार्थ। पहली देह के लिए है, दूसरी आत्मा के लिए है। देह तक स्थित होकर कर्म करना पशुवत है, आत्मा में स्थित होकर कर्म करना देव तुल्य। देह-कर्म क्षणिक है, आत्म-कर्म शाश्वत। पृथ्वी की पहली गति निजत्व है, दूसरी गति द्विजत्व। इसलिए पृथ्वी को द्विजा कहा जाता है। केवल निजत्व स्वार्थ में रहने से जीवन की पूर्णता नहीं मिलती, इसके लिए द्विजत्व का परमार्थ आवश्यक है।

उत्तरायण और दक्षिणायन की दिन-रात देवताओं की दिन-रात कही जाती है। दक्षिणायन में देवता सोये रहते हैं। इन दिनों शुभकर्म नहीं होते। उत्तरायण में देवता जाग जाते हैं। इन दिनों शुभ कर्म संपन्न किए जाते हैं। ये देवता कोई छोटी चीज नहीं हैं – अग्नि, वायु, जल इत्यादि पंचतत्व ही ये देवता हैं जो दक्षिणायन में सूर्य के तापक्रम के गिर जाने से शिथिल हो जाते हैं। मकर राशि में सूर्य के आगमन से उत्तरायण आरंभ होता है, सूर्य की पृथ्वी से निकटता बढ़ने लगती है, प्रकृति में नया रस उतरने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी के स्वाभाव में दो काल प्रक्रिया घटित होती दिखाई देती हैं। एक चौबीस घंटे की, दूसरी तीन सौ पैंसठ दिनों की, एक दैनिक है, दूसरी वार्षिक। एक काल में देह की स्थिति है, दूसरे में देवत्व है। देवत्व का सामान्य अभिप्राय उत्तम विचार और कर्म से लिया जाना चाहिए, जिसके लिए शास्त्रों द्वारा-द्विजत्व के संस्कारों का विधान बनाया गया है। द्विजत्व या देवत्व तभी प्राप्त होता है जब विश्वात्मा सूर्य के ओर उन्मुख हुआ जाए। तम से ज्योति की ओर बढ़ा जाए। मनुष्य देवता और असुर दोनों के बीच का जीवन है। वह सूर्य की ओर जाकर अध्यात्म में प्रवृत्त होकर, आत्माभिमुख बनकर देवत्व को प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी ऐसा ही करती है। इसीलिए उस पर छह ऋतुओं का आकर्षण छाया हुआ है। पृथ्वी की आचार-संहिता को नहीं मानने पर मनुष्य असुर हो जाता है। असुर जीवन में अशांति है, अपराध और कष्ट है। आसुरी प्रवृत्ति बल प्रयोग पर जाती है और दंड भोगने पर विवश होती है। भारतवर्ष का जनमानस देवत्व को धारणा करता है, दैनिक के साथ-साथ वार्षिक दिन-रात भी जीता है।

पृथ्वी की तीसरी स्थिति भी है। यह स्थिति है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा-सा झुककर गति करना। पृथ्वी विनम्र है। इसलिए कि उसकी सारी विभुता केवल उसी की नहीं है। वह तो सिर्फ धारण करती है, वह केवल देह है उसके मन और आत्मा तो चंद्रमा और सूर्य है, जिनसे देह में गति है, ऊर्जा और क्रिया है। पिंड और ब्रह्मांड का यह प्रत्यक्ष योग, मनुष्य के शरीर में घटित करने का मार्ग अध्यात्म बतलाता है और ज्योतिष इन दोनों की व्याख्या में तत्पर है। ∎

Scanned with OKEN Scanner

वे लोग खंडित सोच से साँचते हैं स्त्री को

■ सुषमा शर्मा

स्त्री मुक्ति के आंदोलनों को चलाने वाली संस्थाएँ हों या लेखिकाएँ बिना सोचे-समझे चीखते हुए यह बतलाती हैं स्त्रियों को हजारों वर्ष के इतिहास में दमन का शिकार होना पड़ा है। इस कथन के में उदाहरण खड़ा करते हुए उन सभी संदर्भों जानबूझ कर अवहेलना कर दी जाती है में स्त्री की गौरवशाली भूमिकाओं से उनका सबल दिखता है।

भारत के संदर्भ में स्त्री-पुरुष से कभी नहीं रही है। यह जानने के लिए या तो सामाजिक व्यवस्था का ठीक से अध्ययन करना चाहिए अथवा शास्त्रों-ग्रंथों का अध्ययन। सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की 'कफन' नामकी कहानी में बुधिया की मौत को घीसू-माधो के सिर का कलंक बना देने से का पक्ष मजबूत नहीं हो जाता। वास्तविकता यह है कि प्रेमचंद की इस कहानी में यह भुला दिया गया कि बुधिया की गर्भावस्था की जानकारी पास-पड़ोस की महिलाओं को जरूर ही होगी उसकी प्रसव-पीड़ा के समय महिलाएँ उसके निकट अवश्य आएँगी ही। बुधिया जिस वर्ग की है उस वर्ग का कार्य प्रसव-कार्य से संबंधित है। इस नाते भी बुधिया अकेले रहकर नहीं मर सकती। एक बारगी पूरे वातावरण को कहानी से गायब कर देने से कहानी दोषग्रस्त हो जाती है। एकदम किसी मरुस्थल के एकान्त में किसी घीसू-माधों के परिवार में बुधिया की मौत होती है तो कफन के लिए चंदा की वसूली समाज में कैसे की जा सकती है। इस काम के लिए इस परिवार का समाज के साथ होना जरूरी है। इसी तरह की एकांगी मानसिकता लेकर स्त्री के हक में लड़ाई लड़ने की बात करने वाली लेखिकाएँ अथवा संस्थाएँ कई बार व्यर्थ प्रलाप करती-सी लगती है। इस प्रलाप का सबसे बढ़िया नमूना कम्युनिस्ट संस्थाएँ या लेखिकाएँ पेश करती हैं। भारतीय समाज के

इतिहास और परंपरा में आरंभ से ही स्त्री का स्थान पुरुष के समानान्तर और बराबर रहा है। हमारे समाज में मातृ सत्तात्मक परिवार-व्यवस्था के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। हमारी आस्था और स्मृति के रूप में भगवान शिव का परिवार स्थापित रहा है। जिससे संबंधित किसी भी कथा में माता पार्वती अपने पति शिव की दासी नहीं दिखती। वह अपने कर्त्तव्य, अधिकार और दृढ़ इच्छा के लिए जानी जाती हैं। उनके हठ के आगे शिव झुकते हैं। नोक-झोंक के भी संदर्भ आते है फिर भी संबंध की गहराई के आगे उन संदर्भों का कोई मतलब नहीं रहता। शिव-पार्वती की कथा समाज को निष्ठा कर्त्तव्य और अधिकार का पाठ पढ़ाती रही है।

स्त्री मुक्ति आंदोलन के नारे लगाने वाले तथाकथित क्रांतिकर्मी सीता के निर्वासन को श्रीराम के पुरुष व्यक्तित्व की अलोचना के लिए बार-बार उपयोग करते है। लेकिन ये लोग यह भूल जाते है कि भारतीय जीवन की मानक स्थापना श्रीराम और श्रीकृष्ण के चरित्र से नहीं हुई है। इसकी स्थापना शिव कथा से हुई है। शिव ही हमारे मूलाधार हैं। अवतारों का प्रयोजन विशेष होता है। यह सबके जीवन का आधार कैसे हो सकता है। इसके लिए शिव की कथा ही सर्वस्वीकृत है। सनातन पुरुष और सनातन स्त्री के रूप में यही दोनों माने गए हैं। इनके आख्यान के आधार पर देखने से यह ज्ञात होता है कि भारत में स्त्री-पुरुष का वैवाहिक संबंध कितना बराबरी का रहा है। इसी आधार पर हमारा समाज हजारों वर्ष से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं।

यदि स्त्री का वास्तविक पक्ष रखना है तो एक ही तरह की घेराबंदी में सभी स्त्रियों को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करना होगा। अलग-अलग स्तर, परिवेश और मानसिकता की स्त्रियाँ रही है और हैं। विदुषी, मंत्री, रानी, योद्धा, नर्तकी, व्यवसायी, दासी, सहायिका, गुप्तचरी इत्यादि अनेक रूपों में आदि से स्त्रियों की भूमिकाएँ दिखाई देती है ये भूमिकाएँ प्रत्येक काल में रही है। और आज भी है। इस तथ्य का अनुभव करना हो तो बची-खुची। भीण व्यवस्था को देखना चाहिए। वहाँ स्त्रियों का वर्चस्व देखकर कम से कम यह कहने का रास्ता नहीं बचेगा कि भारतीय समाज में स्त्रियाँ दमित-दलित रही हैं। सबसे सबल पक्ष तो वनों-पहाड़ों में रहने वाले परिवारों में देखा जा सकता है। आर्थिक शोषण के ब्रितानी दौर और फिर स्वतंत्र भारत के दौर में बुरी दशा में पहुँचे समाज में आई विकृति को दूर करने के हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही बाहरी विचारों से समाज को विघटित करने वाले पेशेवर पक्षपातियों का भी अलग रखने की जरूरत है जिन्हें हमारे समाज का कल्याण नहीं करना है बल्कि समाज के आधे अंग में विद्रोह की ज्वाला भड़का कर सामाजिक जीवन में उत्पात खड़ा कर देना है। ■

Scanned with OKEN Scanner

सूचना या संदेश के वास्तविक रूप को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक विश्वसनीय माध्यम उसे नहीं बताते और घटनाओं की पृष्ठभूमि के साथ उसका खुला विश्लेषण नहीं करते।

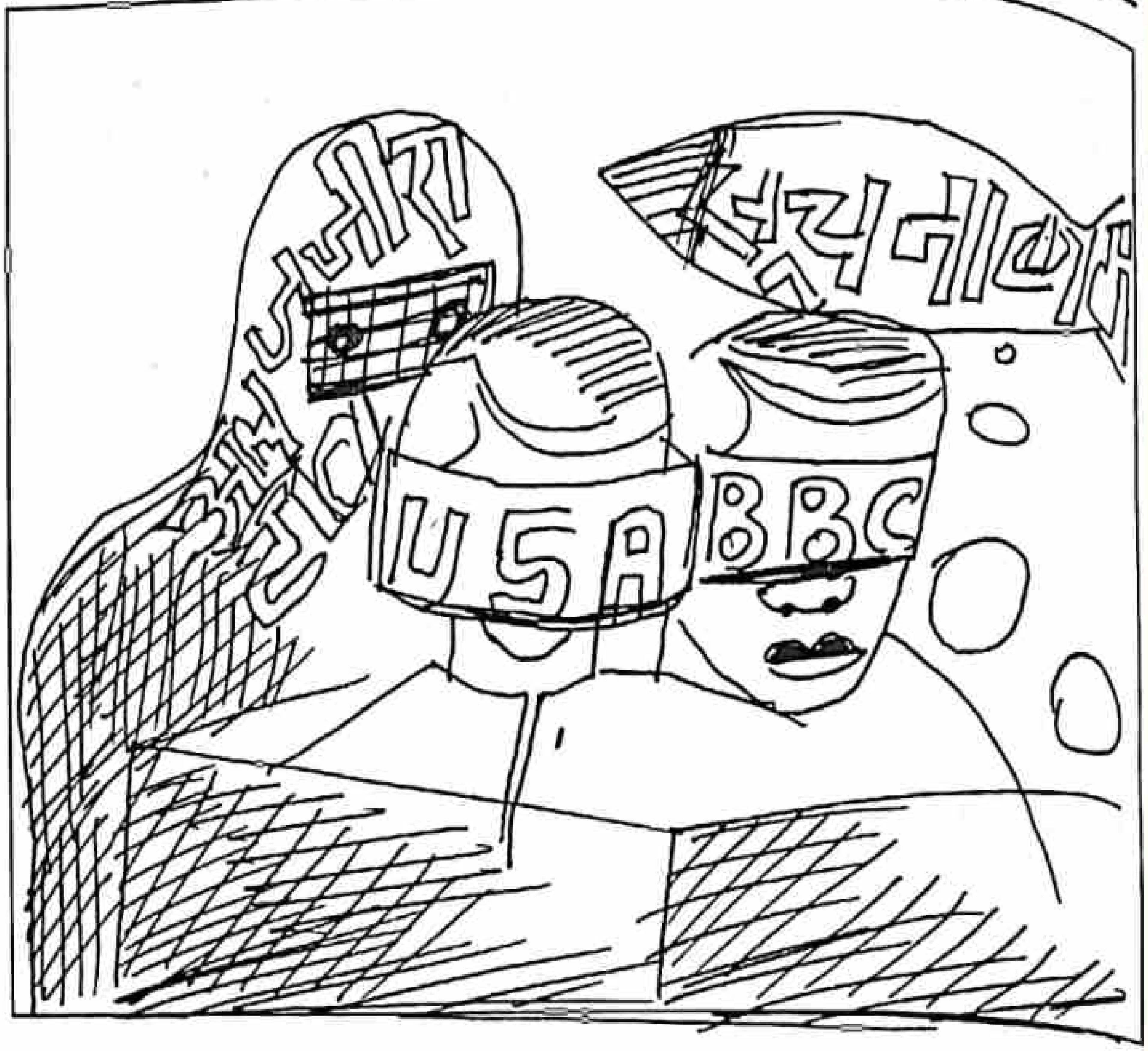

भ्रम फैलाकर मतलब साधती है सूचनाएँ भी

■ रघु शास्त्री

कुछ माह पहले भारत के लोगों में यह संदेश भेजने के लिए भारत-चीन मैत्री को अंजाम देने वाले चार मार्क्सवादी संगठनों तिब्बत की 'शांतिपूर्ण मुक्ति' की स्वर्ण जयन्ती आयोजित की थी कि चीन ने तिब्बत पर कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि चीन यह चाहता था कि मजबूर तिब्बितियों को गुलामी से मुक्ति मिले। जब से तिब्बत चीन की देखरेख में है तिब्बत की जनता बहुत खुश है उनका हर तरह से विकास हो रहा है इसके लिए चीन धन्यवाद का पात्र है। चीन के दूतावास ने यह जयंती समारोह फ्रेंड्स ऑफ चाइना सोसाइटी, इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन, इंडिया चाइना सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप विद चाइना के उन भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के माध्यम से आयोजित किया जो चीन के भक्त माने जाते हैं। इन चीन भक्तों के मनोविश्लेषण के लिए इस प्रसंग में स्थान नहीं है यहाँ केवल यह रेखांकित करने के लिए इस प्रसंग को उदाहरण के लिए रखा गया है कि हमें जिस सूचना या संदेश की जानकारी दी जाती है वह कितने संदेहास्पद और झूठ होते हैं उनका उद्देश्य कितना मारक होती है। यह सभी जानते हैं कि तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया है उसका सांस्कृतिक स्वरूप नष्ट कर रहा है वहाँ से वह नेपाल और भारतीय क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप बनाए हुए है यह उसके विस्तारवादी दुर्मति का उदाहरण है फिर भी वह संदेश क्या देना चाहता है? यह कि वह बहुत बड़ा परोपकारी है मुँह में राम बगल में छूरी का यह चमत्कार ऐसा नहीं है कि भारतीय जनमानस के लिए नई बात हो पर, सूचना या संदेश के वास्तविक रूप को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक विश्वसनीय माध्यम उसे नहीं बताते और घटनाओं की पृष्ठभूमि के साथ उसका खुला विश्लेषण नहीं करते। साथ ही जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी पूर्व घटनाओं से परिचित नहीं होता, उसे सूचना या संदेश देने वाले माध्यम चरित्र के विषय में जानकारी नहीं होती। अर्थात् सूचना पाने वाले की योग्यता भी आवश्यक है अन्यथा उसे कहीं से भी छला जा सकता है।

भ्रम फैला कर अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेना सूचना-युद्ध का एक सर्वविदित हथियार है। यह हथियार कोई नया नहीं है। उल्लेख मिलता है बेल्जियम के बादशाह लीपोल्ड द्वितीय ने अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य क्षेत्र पर जब कब्जा कर लिया, उसने कपट की भाषा में कहा था – सभ्यता के प्रकाश से वंचित अधंकार में रह रहे लोगों तक उसने परोपकार के उद्देश्य से जिहाद किया है। प्रगति के इस युग की भावनाओं के अनुरूप उसने कार्य किया है। सबको पता है कि गुलाम लोगों को क्या-क्या झेलना पड़ता है आर्थिक शोषण और मौत ही उनकी नियति बन जाती है। फिर भी इस

...ध को करने के लिए लीपोल्ड और ...जैसे आक्रांता क्या कहते हैं – उन्होंने ...ता के कल्याण का काम किया है, ...दुनिया के लोग सम्मानित करें।

अभी अमेरिका अफगानिस्तान में ...लिबान के खिलाफ बमबारी करने में लगा ...सूचनाओं की तूफानी हवा बह रही है। ...अल जजीरा टीवी भी इसमें मोर्चा खोलकर ...डा है। अन्य प्रसारण में अपनी-अपनी ...भूमिकाओं में लगे हैं। एक दिन अखबारों में ...यह छपा कि शुक्रवार को जुमा का दिन होने के कारण अमेरिकी बमबारी बंद रही फिर खबर आई कि मुस्लिम देशों ने अमेरिका से रमजान के दिनों में हमला रोकने का आग्रह किए लेकिन अमेरिका ने इस पर कान नहीं दिया। अमेरिका की बमबारी जुमा के निमाज के लिए सचमुच रुकी होती तो रमजान के दिनों में भी कोई छुट जरूर मिलती। निश्चित रूप से मामला कुछ और होता है सूचना कुछ और जाती है यह सोचकर दी जा रही सूचना की प्रतिक्रिया क्या होगी।

ठीक इसी तरह की योजना विश्व व्यापार संगठन के संचालक प्रसारित करते हैं जिसे देख-सुनकर कोई देश अपनी गर्दन आसानी से उनकी मुठ्ठी में पकड़ा दे। भ्रम शब्द जाल परोसते हुए आर्थिक पराधीनता फैलाने वाले ये संगठन बताते है कि रोजगार के अवसर, विकास की रोशनी क्या नहीं मिलेगा आपके देश को। इस भ्रम-भाषा को संभव है विकासशील देश के नेता और नौकरशाह अच्छी तरह समझते होगें क्योंकि ये लोग भी देश की जनता के सामने उसी भ्रम भाषा को दुहराते नहीं थकते।

अर्थशास्त्र संबंधी नोबेल पुरस्कार के लिए मनोनीत हुए एक अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टिग्लिट्स के साक्षात्कार का हवाला देते हुए जनसत्ता (१७ अक्तूबर, २००१, दिल्ली) ने लिखा है कि विभिन्न देशों में निजीकरण के नाम पर नेताओं और अधिकारियों ने १०% कमीशन की लालच में अरबों की राष्ट्रीय परिसम्पति निजी हाथों में सौंप दी। पूँजी बाजार को खोलने पर जब सट्टेबाजी के लिए धन देश में आ रहा हो तो शेयर बाजार उछाल पर होते हैं लेकिन जैसे निवेश तेजी से निकलने शुरु हुए कि आई०एम०एफ० (विश्व मुद्रा कोश) उस देश को ब्याज बढ़ाने की सलाह देता है ताकि सट्टेबाजी उसी देश की पूँजी उसी देश में बनाए रखने के लिए आकर्षित हो। बाजार निर्धारित कीमतों की नीति के चलते इंडोनेशिया, इक्वाडोर और बोलीविया में दंगे हो चुके है मुक्त व्यापार के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दवा जैसे उत्पादों और अन्य सेवाओं की कीमत ऊँची रखकर गरीब देशों की आबादी को लूटने का मौका मिलता है। यह अर्थशास्त्री व्यापार में सूचनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का विश्लेषक माना जाता है। सूचना और संदेश का महत्व न केवल युद्ध में बल्कि व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत अर्थवान होता है। ११ सितंबर को जब अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ उसकी पूर्व सूचना रखने वालों का पता इस बात से लगाया गया कि किन लोगों ने विश्व व्यापार केंद्र के ध्वस्त होने से लाभ-हानि का अनुमान कर अपने शेयरों में बदलाव किए थे। मुख्य रूप से शेयर दलालों की दुनिया में सूचनाओं का बहुत महत्व है उन्हें हर परिस्थिति की पूर्व जानकारी रखनी पड़ती है, निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें धन खर्च करना पड़ता होगा। करोड़ों-अरबों पैसे का खेल सूचना पर निर्भर है। ऐसी दशा में सूचना और संदेश मूल्यवान क्या नहीं होंगे। और तब इसमें उलटफेर की आशा क्यों नहीं की जा सकती।

राजनीतिक क्षेत्र से कहीं अधिक तीव्र गति व्यापार के क्षेत्र में होती है। इसलिए सूचनाओं की रफ्तार इस क्षेत्र में अधिक होगी ही। यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि सूचना तंत्र के घने जाल में आज का विश्व घिरा हुआ है। इस दिशा में जनमानस को जागरुक होना चाहिए और किसी भी कथन, संदेश, खबर या सूचना को विश्लेषण के साथ समझने का प्रयास कर अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। ■

बाजार निर्धारित कीमतों की नीति के चलते इंडोनेशिया, इक्वाडोर और बोलीविया में दंगे हो चुके है मुक्त व्यापार के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दवा जैसे उत्पादों और अन्य सेवाओं की कीमत ऊँची रखकर गरीब देशों की आबादी को लूटने का मौका मिलता है।

मोबाइल फोन से आँख में कैंसर की संभावना

मोबाइल फोन मुनष्यों में कैंसर को बढ़ावा देता है इसकी पुष्टि पहली बार वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से यह प्रमाणित होता है कि मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों में आँख के कैंसर की संभावना मोबाइल फोन का उपयोग न करने वालों की अपेक्षा ३०० प्रतिशत ज्यादा होती है। लम्बे समय से यह माना जाता रहा है कि मोबाइल फोनों से निकलने वाले विकिरण से मस्तिष्क की कोशिकायें प्रभावित होती हैं लेकिन इनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इसका प्रमाण पहली बार मिला है।

यह खोज इपिडिमोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस शोध कार्य को जर्मनी के एसेन विश्वविद्यालय में किया गया है। इसमें आँख के कैंसर के एक स्वरूप ''यूभियल मेलनोमा'' की जाँच की गई। इस शोध कार्य के अग्रणी डॉ. एण्ड्रियास स्टैंग ने कहा कि उन्होंने ११८ लोगों की जाँच की जिन्हें ''यूभियल मेलानोम'' था और उनके मोबाइल फोन उपयोग की विस्तृत पड़ताल की। इसकी तुलना ४७५ लोगों के एक समूह से की गयी जिन्हें यह रोग नहीं था। इन शोधों के विश्लेषण से यह सामने आया कि मोबाइल फोन रखने वाले इस कैंसर से ३ गुना ज्यादा प्रभावित थे। ■

Scanned with OKEN Scanner

स्वदेशी व्यंग्य

चेले टेढ़े हो जायें, तो

■ डॉ० आलोक पुराणिक

अमरीका का कष्ट स्वाभाविक है। पुराने चेले जब टेढ़े हो जाये, तो मामला पेचीदा फंस जाता है। सबूत बताने लगते हैं। पुराने चेलों से उलझने का मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि सिर्फ बम गिराने से काम नहीं चलता, साथ में राशन के पैकेट भी गिराने पड़ते हैं.....

सर आप महापातकी हैं –

एक चेला अपने भूतपूर्व गुरु से संवाद कर रहा है।

दुष्ट, मैं ऐसा नहीं हूँ, गुरु स्पष्टीकरण दे रहा है।

आप हैं, आपने मेरे जरिये ही लुच्चई करवायी है। अपनी ७१ प्रेमिकाओं को प्रेमपत्र आप मेरे जरिये ही भिजवाते थे। मेरे जरिए ही आप फर्जी बिल-रसीद बनवाते थे। मैंने देखा था कि किस तरह से अपने उस सुकन्या के नंबर टाप क्लास कर दिए थे, मैंने ही देखा था कि किस तरह आपने अपने भांजे को टॉप कराया, मैंने देखा था कि किस तरह से अग्रवाल साहब के भतीजे को फेल कराके आपने बनिया लाबी का वर्चस्व ध्वस्त कराया। सर मैंने सब देखा है। चेला अब मय सबूत बोल रहा है। गुरु अब कष्ट में है। पुराने चेले जब इस तरह से टेढ़े हो जायें, तो मामला पेचीदा फंस जाता है। सबूत बताने लगते हैं। पुराने चेलों के पास जोरदार सबूत होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जिसने पीएचडी की है, उसे पता है कि चेले और गुरु के संबंध किस तरह से बनते हैं।

'अमरीका तू लुच्चा है' –तालिबान कह रहे हैं।

नहीं, मैं लुच्चा नहीं हूँ, –अमरीका का बयान आ रहा है। नहीं, तूने लुच्चई हमारे जरिये करवायी है। तूने हमको डॉलर भिजवाये थे। देख ये सबूत हैं। तूने तब हमको मिसाइलें मिसाइलें भिजवायी थीं, देख ये सबूत हैं। तूने तब हमको ट्रेनिंग दिलवायी थी, देख ये सबूत हैं। तूने तब हमसे ये लोग मरवाये थे, देख सबूत है। तालिबान अब मय सबूत बोल रहे हैं।

अमरीका का कष्ट स्वाभाविक है। पुराने चेले जब टेढ़े हो जाये, तो मामला पेचीदा फंस जाता है। सबूत बताने लगते हैं। पुराने चेलों से उलझने का मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि सिर्फ बम गिराने से काम नहीं चलता, साथ में राशन के पैकेट भी गिराने पड़ते हैं कि भई कि अगर मर जायें, तो ठीक है, बच जायें तो खाना खा लेना। अफगानिस्तान वाले हैं, एक बार मरेंगे, तो सच में ही मर जायेंगे। यहाँ तो मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ कि बम से मरने से पहले भी खाने के पैकेट ब्लैक में बेच आयेंगे। ब्लैक करने की इच्छा शक्ति के आगे बम की मार कुछ नहीं है। क्या पता उन राशन के पैकेटों में कुछ हो ही नहीं।

जिस मूर्ति को देखकर तुलसीदास ने कहा होगा कि यह राम है, उनके सहयोगी पंडे ने कहा होगा कि नहीं यह राम नहीं हैं, ये तो नोट खेंचने के इंतजाम हैं....।

भरने वालों ने रकम ले ली, और उनमें कुछ भरा ही न हो – यह भी हो सकता है कि फी पैकेट बीस डॉलर लिये हों और माल सिर्फ दो डॉलर का भरा हो, कौन अफगानिस्तान वाले शिकायत करने आयेंगे – सरकारी से दिखने वाले दो कर्मचारी अफगान-अमरीका युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। मुझे पक्का पता है कि जरूर ये बाढ़ राहत या सूखा राहत विभाग से संबंध रखते होंगे। इधर इस युद्ध पर इतने तरह की प्रतिक्रियाएँ सुनी है कि मैं अब उनकी बात सुनकर ही बता सकता हूँ कि वे किस विभाग से संबंध रखते होंगे।

काबुल में तो मास्टरों की बहुत मौज आ रही होगी, स्कूल-कालेज तो खुलते ही नहीं होंगे, वहाँ पर मास्टरों को दबाकर ट्यूशन पढ़ाने को मिलते होंगे – दो सज्जन बड़ी हसरत से काबुल पर चल रही बमबारी को निहार रहे है। तुलसीदास ने ऐसे ही किसी क्षण में कहा होगा, जाकी रही भावना जैसी......। जिस मूर्ति को देखकर तुलसीदास ने कहा होगा कि यह राम है, उनके सहयोगी पंडे ने कहा होगा कि नहीं यह राम नहीं हैं, ये तो नोट खेंचने के इंतजाम हैं....। मास्टरों को बमबारी में ट्यूशन की जुगाड़ ही दिखायी देगी.... जाकी रही भावना अहसास मुझे इधर बम हमलों के दौरान हो रहा है। पर मुझे असली अहसास यह हो रहा है कि पुराने चेलों से लड़ना आसान काम नहीं है। तालिबान का हिंदी में मतलब चेला ही होता है, और ये चेले तो अब हिंदी विभाग के चेलों की तरह व्यवहार करने लगें हैं। एक तो चेला ऊपर से हिंदी विभाग का, मामला बहुत मारक हो जाता है। हिंदी विभाग के चेले अगर मारक हो उठें, तो गुरु त्राहि-त्राहि कर उठते हैं। दिल्ली में हिंदी विभाग के

Scanned with OKEN Scanner

चेलों को जानता हूँ, न पूछो, फिर भी उठते हैं कि गुरु को आज उस अंडर ट्री के फंक्शन में छोड़कर आया हूँ, वह एक साथ निराला, गालिब शेक्सपियर ने वाले हैं, गुरुजी पोलेंड की यात्रा को ड़ में हैं।

कब किसे क्या बताना है, कब किसे मानना है, गुरु लोग मौका ताड़कर तय ते हैं। अमरीका से गयी रकम से पाकिस्तान तालिबान की मदद करता था, इसी पाकिस्तान अमरीका अपना खासमखास मानता था। आज.... अपने ही चेले टेढ़ें हो जायें, तो अमरीका वाला हो जाता है। गुरु कभी अपने ही खेल में फंस जाते हैं। गुरु फिर भी नहीं मानते। पाकिस्तान का डॉन अखबार देख रहा हूँ, वहाँ के अमरीकी राजदूत वहाँ के गृह मंत्री को बता रहे हैं कि आप हमारे सबसे खास दोस्त हो। यहाँ जसवंत सिंह बता रहे हैं कि अमरीका ने कह दिया है कि आपका ख्याल रखा जायेगा। वो भी खास हैं, ये भी खास हैं। गुरुओं के खेल को समझना आसान नहीं होता है। हिंदी विभाग में भी एक गुरु एक भाषण में बोल देता है कि फलां सबसे खास हैं। दूसरे में बोलते हैं कि नहीं वो नहीं, सबसे खास ये हैं। तीसरे में बोलते हैं, तो पता लगता है कि खासमखास वो नहीं ये हैं। उनके ५७२ भाषणों के विश्लेषण के बाद पता लगा है कि ५७३ इस समय परम खास हो चुके हैं।

गुरुओं को समझना आसान नहीं होता। पर तालिबान जैसे चेले मिल जायें, तो पता लग जाता है कि पुराने चेलों से निपटना भी आसान नहीं होता। अमरीका कह रहा है कि भारतीय हितों का पूरा ख्याल रखा जायेगा – जसवंत सिंह बता रहे हैं। अमरीका कह रहा है कि पाकिस्तानी हितों का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा – मुशर्रफ बता रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के हित एक ही हैं, फिर क्या झगड़ा। चलूँ, फारूक अब्दुल्ला को समझा आऊँ, रोइए मत, श्रीनगर के धमाकों में जरूर हमारे हित छिपे हुए हैं। जरा तसल्ली से देखिए तो। ■

पूरी दुनिया में जैविक आतंकी हमले का भय

अभी तक तो पूरे दुनिया में मुख्य डर आत्मघाती हमलों का ही था। अब पूरी दुनिया जैविक आतंकवाद से थर्रा रही है। संसार के कई देशों में इस जैविक हमले के रूप में एंथ्रैक्स के विषाणु डाक के द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस विषाणु ने अपनी इस विनाशक यात्रा की शुरुआत अमेरिका के फ्लोरिडा से की थी और अब इसका आतंक भारत तक पहुँच चुका है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकता में ऐसे कई लिफाफे मिले हैं जिनमें सफेद पाउडर भरे हैं। इनका फैलाव देखते हुये आम जनता का यह विचार बनता जा रहा है कि इस विषाणु का प्रयोग किसी के विरुद्ध भी किया जा सकता है। भारत में ये लिफाफे विदेशों से आ रहे हैं जिनके कारण डाक विभाग को विदेशी डाक पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। भारत में अभी तक किसी डाक में एंथ्रैक्स के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन अमेरिका में तो इसका आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिकी संसद के कई दफ्तर बंद कर दिये गये हैं और अमेरिकी सरकार ने इसे भेजने वाले आतंकी का सुराग देने के लिये १० लाख डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में इस विषाणु के मिलने के बाद वहाँ के संसद के विभिन्न कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। ■

वैज्ञानिकों ने रासायनिक हमले से बचाव के लिए स्वदेशी उपकरण तैयार किया

विभिन्न प्रकार के रासायनिक हमलों से बचाव के लिये भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का उपकरण तैयार किया है। इस प्रकार का उपकरण विकसित करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है।

रासायनिक हमलों में जल, थल, वायु में जहरीले रसायनों को मिलाकर तबाही मचायी जाती है। इस विपदा से निपटने के लिये सबसे पहले विषैले पदार्थ की उपस्थिति मालूम की जाती है फिर उनका प्रतिरोध किया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किट विषैले पदार्थों की उपस्थिति मालूम करने में अचूक है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए "कैमिकल एजेण्ट मानिटर' का विकास किया है जो बहुत प्रभावी है। इस स्वदेशी तकनीक ने भारत को रासायनिक हथियारों का मुकाबला करने वाले अग्रणी देशों में खड़ा कर दिया है। खतरे की आशंका के कारण इस उपकरण का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जहरीले रासायनों को अप्रभावी बनाने के लिए एक आसानी से ले जाए योग्य डीकन्टा मिनेशन उपकरण बनाया गया है जो अल्प समय में ही वातावरण में छोड़े गये जहरीले रसायनों को निष्प्रभावी कर देता है। रासायनिक हमला कितना भयावह हो सकता है इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। विषैले गैसों का प्रभाव सीधे तंत्रिका तंत्र पर पड़ सकता है साथ ही इनका प्रभाव मस्तिष्क, यकृत, वृक्क एवं फेफड़ों पर भी सीधे पड़ सकता है। जहरीले रसायनों का रक्त कोशिकाओं में मिश्रण जान लेने के लिए पर्याप्त है। इस तरह के हमलों से निपटने के लिये प्रयास सबसे पहले १९६२ के चीनी आक्रमण के समय ही रक्षा वैज्ञानिकों ने प्रारंभ किया था जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के बाद तेजी आयी। इस त्रासदी में निकले मिथाइल आइसो सायनेट नामक जहरीली गैस के प्रभाव को आँकने का काम रक्षा वैज्ञानिकों को सौंपा गया। रक्षा वैज्ञानिकों ने इस पर शोध कर इसके प्रभावों की रूपरेखा तैयार की उसके बाद सैनिकों तथा आम जनता सभी के लिये इस प्रकार के उपकरण (फिल्टर तथा गैस मास्क) बनाने का कार्य शुरु हुआ और अन्ततः सफलता मिली। ■

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रऋषि के सान्निध्य में सम्पन्न हुई काशी की स्वदेशी पंचायत

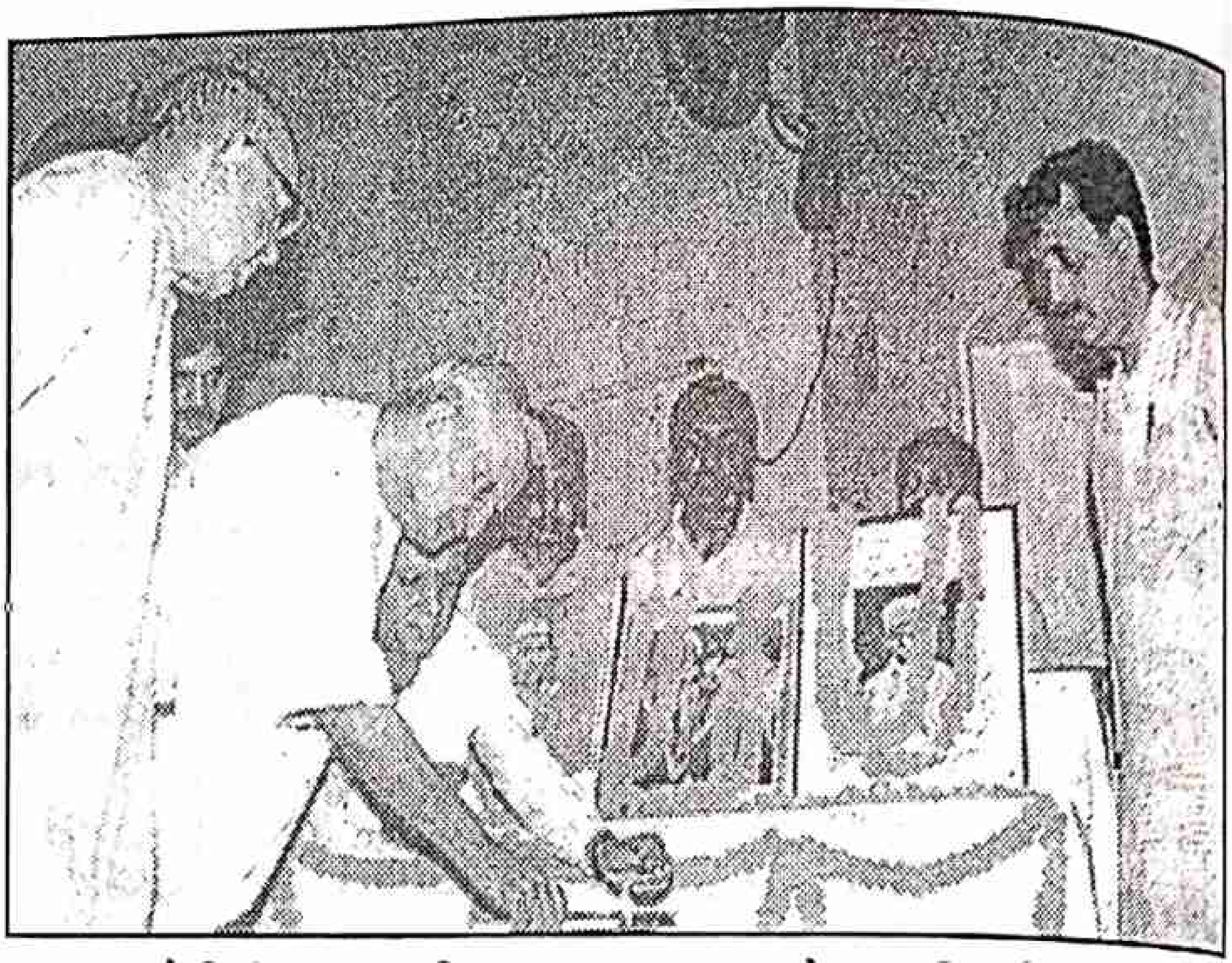

'स्वदेशी पंचायत' का दीप जलाकर शुभारम्भ करते राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी

दिनांक २१ अक्टूबर को वाराणसी में स्वदेशी पंचायत संपन्न हुआ। कई अच्छे संयोग इस स्वदेशी पंचायत से आ जुड़े थे। पहला, यह कि वाराणसी में जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ वह काशी विद्यापीठ स्वदेशी शिक्षा आंदोलन के इतिहास में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों की तरह स्थापित हुए चार स्वदेशी शिक्षा केंद्र में से एक है। यह स्थान राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा चुका स्वतंत्र भारत के नव-निर्माण के निर्धारण में भी यह एक वैचारिक केंद्र रहा है। स्वदेशी जागरण के लिए आज के इस स्थान ने अपनी परंपरा के अनुरूप पुन: अपना परिचय दुहराया।

दूसरा, संयोग यह कि यह पंचायत राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की उपस्थिति में हुई। वर्षों बाद इन्हें सुनने का अवसर काशी की जनता को मिला था। तीसरा संयोग इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए पं० विद्यानिवास मिश्र जैसा सामाजिक दायित्व को प्रमुखता देने वाला विद्वान साहित्यकार आमंत्रित हुआ। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री मुरलीधर राव, उत्तर प्रदेश के सहसंयोजक स्व०जा०मं० मा० वीरेन्द्र सिंह और अन्य वक्ताओं ने सभागार में खचाखच भरे श्रोताओं को देश की दशा और दिशा से अवगत कराकर मंत्र मुग्ध कर दिया।

राष्ट्रऋषि ठेंगड़ी ने विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए समझौते में देश के हित को क्षतिग्रस्त करने वाले किसी भी कदम को अस्वीकार कर देने की बात दुहराई। उन्होंने कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं मजदूर, बेरोजगार हो रहे है ऐसी अवस्था में डब्ल्यू०टी०ओ० का विरोध करना चाहिए। डब्ल्यू०टी०ओ० में हमें जैसा व्यवहार मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला तो उसे छोड़ दें। विकासशील देशों का एक स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए। आवश्यक होने पर अलग विश्व व्यापार संगठन बनाना चाहिए।

उन्होंने अमेरिका के धौंस को व्यर्थ बताया। उन्होंने कश्मीर में वर्षों से चल रहे आतंकवाद के प्रति अमेरिका की उदासीनता को याद दिलाया और कहा अमेरिका को घोषित करना चाहिए कि सम्पूर्ण कश्मीर भारत का है। उन्होंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने पर कहा जाने लगा था कि यह अंतिम विश्व युद्ध था। लेकिन 'श्रीगुरु जी' कहते थे ऐसा नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध भी होगा यह एशिया में होगा। भारत तीसरे विश्व युद्ध का रणक्षेत्र न बने इसके लिए सतर्क रहना होगा। श्री ठेंगड़ी ने याद दिलाया कि हम कहते थे, आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है तो लोग संदेह करते थे। अब लोगों को यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है।

विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यही विचार जनता में जागृत करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई है। अंत में राष्ट्रऋषि ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस आंदोलन का आप पूर्ण शक्ति से समर्थन करेंगे और विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद को हटाने का पवित्र कार्य अवश्य करेंगे।

पं० विद्यानिवास मिश्र ने स्वदेशी की व्यापक अवधारणा को बताते हुए तीन बिन्दुओं की स्थापना की पहली जीवन की विविधताओं की रक्षा, उसकी विशेषताओं को किसी एकाधिकार से विनष्ट होने से बचना। दूसरी, स्वालम्बन, आत्मनिर्भरता – यह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों की सहायता के लिए भी आवश्यक है। तीसरी, स्वदेशी भावना से प्राप्त होने वाला स्वाभिमान, जिस स्वाभिमान में दूसरों के अस्तित्व के प्रति घृणा नहीं हो, दूसरों के प्रति अपने समान आदर की भावना हो। श्री मिश्र ने एक बात इन बिंदुओं के साथ और जोड़ते हुए कहा, स्वदेशी के साथ जो संबंध है वह रुपए-पैसे का नहीं होता। अपनी जमीन के साथ, अपनी जमीन पर रहने वालों के साथ एक भावना जुड़ी हुई होती है। यह भावना जब मिटने लगती है तो लोग उखड़ने लगते हैं और इनके लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोग गहरे संताप में हमेशा फँसे रहते हैं। अभी जिस विद्याधर नायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला है उस व्यक्ति की यही समस्या है। श्री मिश्र प्रसंग की चर्चा करते हुए जिस भावना को स्रोताओं में जगा रहे थे वह थी - राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र-प्रेम की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस भावना को उदाहरण सहित अनुभूतिपरक ढंग से जनमानस तक सहज रूप में पहुँचाया। राष्ट्रीयता, स्वावलम्बन और पारस्परिकता को स्वदेशी के गुण-धर्म के रूप में स्थापित कर श्री मिश्र ने भारत के व्यापक जन-जीवन की एकात्मकता, जीवन की विविधता और परंपरा में

(शेष पृष्ठ ४६ पर)

Scanned with OKEN Scanner

इंदौर में संपन्न हुआ स्वदेशी मेला

भारतीय शहरों में उत्सवों को स्थापित करने का भागीरथी प्रयास

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी विपणन व्यवस्था को चुनौती

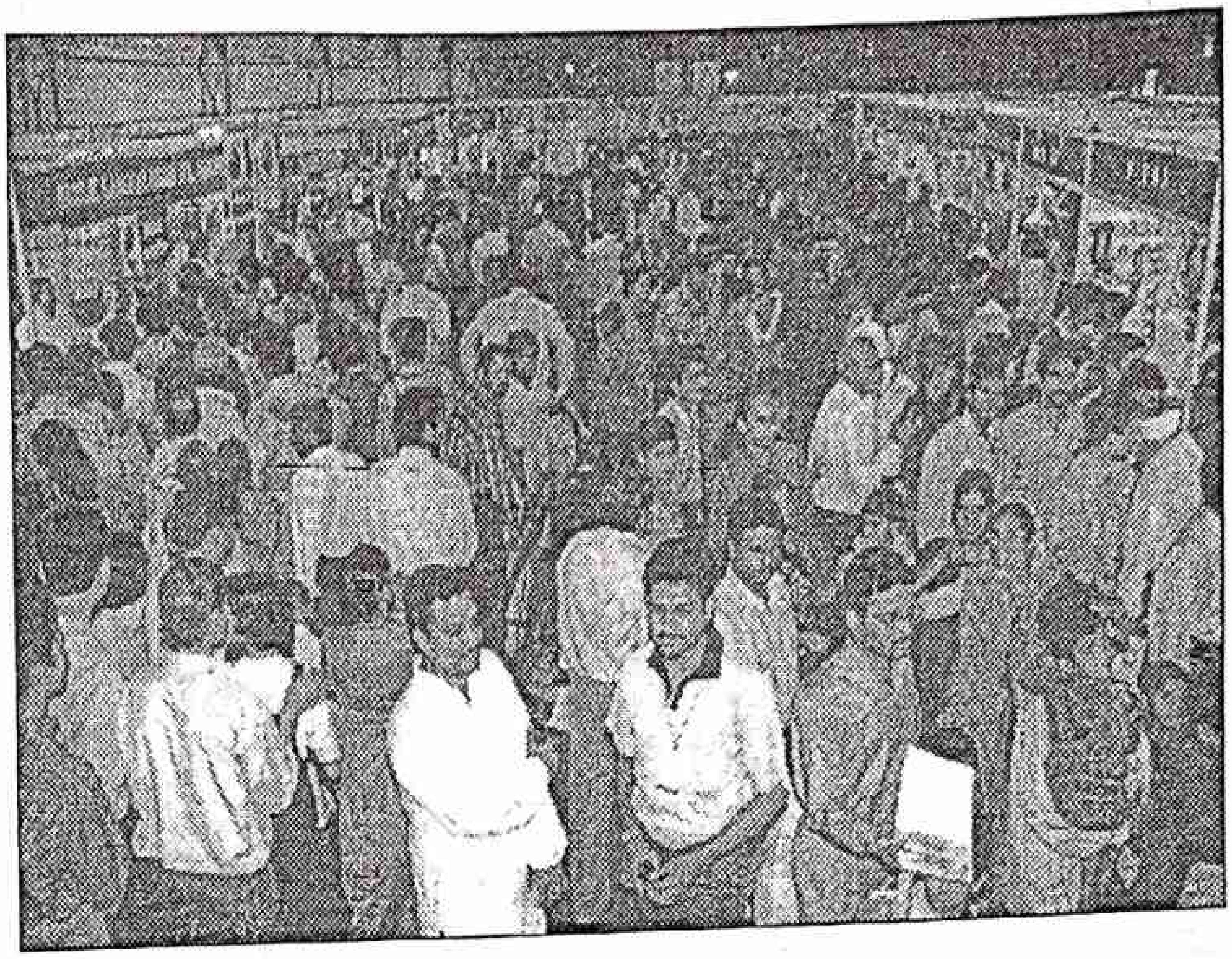

इंदौर में संपन्न हुए स्वदेशी मेले की एक भीड़ का दृश्य

इंदौर में संपन्न स्वदेशी मेला आम मेले से हटकर एवं साथ ही यह मेला आधुनिक बाजार व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय दबावों को चुनौती देने वाला सिद्ध हुआ। इंदौर में २ अक्टूबर से ८ अक्टूबर तक आयोजित इस मेले को लगभग ८ लाख से अधिक लोग देखने आए। लोगों की ऐसी भीड़ से आयोजक काफी उत्साहित हुए। आयोजकों के मुताबिक यह स्वदेशी के प्रति लोगों की रुझान का ही प्रदर्शन है। २ अक्टूबर से मेले की शुरुआत करके स्वदेशी जागरण मंच ने गाँधीजी और उनकी स्वदेशी भावना में आस्था प्रकट करने की कोशिश की।

स्वदेशी मेले का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच (स्व०जा०मं०) की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र ने किया। मध्य प्रदेश में यह पहला आयोजन हुआ। भारतीय विपणन विकास केंद्र के वैभव डांगे बताते हैं हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, विकास एवं उसकी भारतीय आवश्यकता एवं नीतियों की कसौटी पर उन्नयन करना है। निरंतर शोध, नीति-निर्धारण, स्वदेशी मेलों का आयोजन आदि प्रमुख उद्देश्य है।

श्री डांगे के अनुसार अभी तक २३ मेले देश के विभिन्न शहरों में लग चुके हैं। इंदौर में यह पहला और देश का २४वाँ मेला है। पिछले दिनों दिल्ली में ऐसे ही मेले का आयोजन हुआ था। इसमें ४०० सौ भारतीय कंपनियों, शासकीय विभागों-उपक्रमों और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

स्व०जा०मं० के प्रांतीय सह-संयोजक अभय महाजन के अनुसार हम देश की आर्थिक पुनर्रचना के लिए तत्पर हैं। ऐसे प्रयासों से स्वदेशी मार्केटिंग व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं।

स्व०जा०मं० के राष्ट्रीय संगठक प्रो. मुरलीधर राव ने मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि मेले का उद्देश्य सिर्फ खरीदना-बेचना नहीं है। यहाँ मात्र क्रेता-विक्रेता का संबंध नहीं बन रहा। हमारी दृष्टि व्यापक और उद्देश्य पवित्र है। सामान खरीदने वाला सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, बेचने वाला सिर्फ व्यवसायी या विक्रेता नहीं है। दोनों के बीच भावनात्मक संबंध भी है। दोनों देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं।

मेले की खास बातें

- मध्य प्रदेश में प्रथम मेला।
- मेले को देखने आठ लाख से अधिक लोग आए।
- देश का २४वाँ स्वदेशी मेला।
- मेले में २५० से ज्यादा स्टॉल लगे।
- सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संगठनों में काफी उत्साह जागा।
- मेले में अनुशासन की अद्भुत मिशाल देखने को मिली।
- मेले में देश और प्रदेश के जानी-मानी हस्तियों ने भाग लिया।
- मेले में मनोरंजन और प्रतियोगिताएँ भी हुई।

श्री राव ने कहा कि उपभोक्ता को अच्छा सामान मिलना चाहिए। उत्पादक और विक्रेता गुणवत्ता और कीमत का ख्याल रखें तो स्वदेशी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। उपभोक्ता भी देशहित का विचार कर स्वदेशी उत्पाद खरीदें तो देश की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी बन सकेगी। श्री राव ने तीखे अंदाज में यह भी कहा कि स्वदेशी समर्थक किसी कीमत पर गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकता।

मेले में स्टालधारकों ने स्वदेशी उत्पादों के बारे में घटिया उत्पाद और अधिक कीमत के मिथक को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने उपभोक्ताओं को यह संदेश देने का

Scanned with OKEN Scanner

भरसक प्रयास किया कि स्वदेशी उत्पादों के बारे में यह मिथक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने गढ़े हैं। स्वदेशी उत्पादक और स्टालधारक इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं।

मेले के आयोजक मनोज द्विवेदी आयोजक संस्था के बारे में बताते हुए कहते हैं – भारतीय विपणन विकास केंद्र की १६ इकाईयाँ हैं। हम मेले लगाने के अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हम जागरुकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण का काम भी कर रहे हैं। आगामी योजनाओं को बताते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि हम घरेलू उत्पादों के क्षेत्र में अपना ब्रांड विकसित करना चाहते हैं। देशभर में २०० से अधिक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने का विचार भी है।

स्वदेशी मेले में कई मंत्रालयों के स्टाल भी लगे। इसके अलावा मेले में इंडियन ऑयल, बीएसएनएल, महिला एवं बाल विकास, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग भारती, दीनदयाल शोध संस्थान, सर्वोदय और स्थानीय लघु उत्पादकों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

मेले में आयी दीपाली भार्गव मेले की व्यस्था से काफी प्रसन्न थीं। उनके मुताबिक मेले में और अधिक स्वदेशी सामान होने चाहिए थे। लेकिन इस पहले मेले की व्यवस्था से वे संतुष्ट दिख रही थीं।

मेले में सेमीनार, प्रतियोगताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि लोगों के मन में स्वदेशी की भावना को उत्पन्न किया जा सके। इसके अलावा मेले में मालवा का परिधान प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। इसे जानी मानी फैशन डिजाइनर संस्थान की कर्ताधर्ता सुश्री रचना ऋषि ने आयोजित किया। मेले में शुभा मुद्‌गल ने शास्त्रीय गायन और जानी-मानी १२वर्षीय गायिका पलक-मुछाल की संगीत से मेले में आए श्रोतागण ने शास्त्रीय गायन का आनन्द उठाया। रपट : अनिल सौमित्र

उड़ीसा में हुआ लघु उद्योग सम्मेलन

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से लघु और मझले उद्योग मालिकों का एक समावेश सितम्बर २२ तारिख सायं में कटक खपुरिआ स्थित उड़िसा क्षुद्रओ मध्यम शिल्पोद्योगी सभा (ओमसे) परिसर में संपन्न हुआ। इसमें प्रमुख वक्ता भारत सरकार के योजना आयोग (लघु उद्योग) सदस्य डॉ० एस०पी० गुप्ता ने कहा कि जबसे भारत उदारीकरण आर्थिक नीति अपनाया है और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य हुआ तब से देश का लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके समाधान के लिए सभी का सहयोग चाहिए। ओमसे अध्यक्ष श्री वृंदावन कलस इस सभा के अध्यक्ष बनें।

मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक श्री सर्बेश्वर बेहेश ने कहा कि देश के लघु उद्योगों के उत्थान के लिए मंच ने नया योजना तैयार किया है, इस उद्देश्य के लिए एक जन आयोग (Fact finding People's Commission on Small Scale Industries) गठन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो० रुद्रदत्त इसके अध्यक्ष हैं। आयोग देश के सभी राज्य और शिल्पोद्योगों और लघु उद्योगों की समस्या के बारे में वाजपेयी सरकार को एक रिपोर्ट देने वाला है। भारतीय विपणन विकास केंद्र के प्रकल्प संयोजक श्री सानन्द पाणिग्राही, ओमसे के उपाध्यक्ष श्री रवीन्द्रनाथ सरकार, उड़ीसा उत्पादकता परिषद् के अध्यक्ष श्री अजित महापात्र, ओमसे के मयूरभंज जिला के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र आदि ने सभा को संबोधित किया। ■

नगर में स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम

स्वदेशी जागरण मंच की नगर शाखा के तत्वावधान में माननीय लाल जी भाई पटेल अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख का कार्यक्रम हुआ।

इस कार्यक्रम में नगर शहर के बुद्धिजीवी एवं व्यापारियों ने इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्त्ताओं का अभ्यास वर्ग भी संपन्न हुआ। लाल जी भाई ने इस कार्यक्रम में कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन किया।

इस कार्यक्रम में मा० माणिकराव जी पाटील, पश्चिमांचल क्षेत्र संघचालक (महाराष्ट्र) और मा० शांतिभाई चंद, नगर तालुका संघचालक उपस्थित थे।

यह कार्यक्रम १२ सितम्बर २००१ को संपन्न हुआ। इसमें लालजी भाई ने स्वदेशी विचार धारा को कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया।

विभिन्न देशों में निजीकरण के नाम पर नेताओं और अधिकारियों ने १०% कमीशन की लालच में अरबों की राष्ट्रीय परिसम्पति निजी हाथों में सौंप दी।

अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टिग्लिट्स

Scanned with OKEN Scanner

अमेरिकी प्रतिबंधों के हटने से अमेरिका को ही फायदा

पिछले दिनों अमेरिका ने भारत एवं पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए आर्थिक एवं सैन्य प्रतिबंधों को उठा लिया। ये प्रतिबंध भारत द्वारा ११ मई १९९८ में परमाणु परीक्षण करने के बाद लगाए गए थे। भारत पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव अमेरिकी उद्यमियों पर ही ज्यादा पड़ा और उनके दबाव के कारण इन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्लिंटन प्रशासन ने ही प्रारंभ कर दिया था। कई तरह के प्रतिबंध उसी समय हटा लिए गए थे। जो बाकी थे उन्हें जार्ज बुश प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों हटा लिया गया। लेकिन फिर भी यह प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटे हैं। अभी भी भारत के १५ संस्थानों पर ये प्रतिबंध लागू हैं। ये संस्थान अंतरिक्ष, आण्विक ऊर्जा तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित हैं। इनके विरुद्ध भी लगे प्रतिबंधों की अलग-अलग समीक्षा अमेरिकी सरकार द्वारा की जा रही है। इनमें डी०आर०डी०ओ० की ४ सहायक ईकाईयाँ, आण्विक ऊर्जा विभाग के ४ संस्था तथा इसरो के ६ सहयोगी संस्थान हैं।

लेकिन इन प्रतिबंधों का एक महत्वपूर्ण लाभ भी भारत को मिला है, इससे विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने की हमारी आदत को करारी चोट पहुँची और हमारे वैज्ञानिकों को विपरित परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा और उन्होंने प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भर होने के राह पर तेजी से कदम बढ़ाए। इसके साथ ही उनमें आत्मबल भी आया। देश की आत्मनिर्भरता उसके निवासियों के आत्मबल पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं ए०डी०ए० के निदेशक कोटा हरिनारायण का यह कहना कि "अमेरिकी प्रतिबंधों के हटने का कोई खास असर हम पर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है।" बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आण्विक ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष आर० चिदम्बरम् ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "अमेरिकी प्रतिबंध पूर्णत: अप्रभावी थे।" बेंगलूर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (एन०आई०ए०एस०) के निदेशक रोड्डम नरसिम्हा के अनुसार इन प्रतिबंधों के हटने से अमेरिकी कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर से विमानन एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों की अमेरिकी कंपनियों को प्रतिबंध हटने से काफी फायदा होने की संभावना है। इसी सिलसिले में यह ध्यान देने योग्य बात है इन प्रतिबंधों के कारण बहुत से द्विपक्षीय शोध कार्य स्थगित हो गए थे जो पुन: शुरु होंगे और अमेरिका को भारतीय बुद्धिजीवी मिलने में आसानी होगी। साथ ही अमेरिकी उत्पादकों को भारत का बड़ा बाजार बिना रोक-टोक उपलब्ध होगा जिसका प्रभाव वहाँ के उद्योगों के निर्यात पर भी पड़ने की संभावना है। एस०जी०आई० इंडिया के प्रबंध निदेशक के अनुसार बिना किसी संदेह के प्रतिबंध हटाये जाने से भारत में अमेरिकी कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण एस०जी०आई० को प्रतिवर्ष औसत रूप में २५ करोड़ का नुकसान हो रहा था।

इन प्रतिबंधों को हटाते हुए राष्ट्रपति बुश ने कहा भी कि ये प्रतिबंध अमेरिकी हितों को परिपोषित नहीं कर रहे थे। अर्थात् इन्हें उठाने का मुख्य लक्ष्य अमेरिकी हितों का परिपोषण है। ■

'सांख्यवाहिनी' परियोजना रद्द

भारत एवं अमेरिका के बीच सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बहुप्रचारित तथा बहुप्रसारित 'सांख्यवाहिनी' परियोजना रद्द हो गयी है। इसके लिये भारत तथा अमेरिका ने एक संयुक्त उपक्रम बनाया था। इस परियोजना के महत्वपूर्ण घटक कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी (सीएनयू) के प्रो० वी०एस० अरुणाचलम के अनुसार यह परियोजना रद्द होना एक तगड़ा झटका है। उनके अनुसार भारतीय दूरसंचार क्षेत्र सांख्यवाहिनी परियोजना के लिए 'वाटर लू' साबित हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि सांख्यवाहिनी परियोजना के तहत एक राष्ट्रव्यापी डाटा नेटवर्क तैयार किया जाना था। राष्ट्रीय हितों के विपरित मानते हुये स्वदेशी जागरण मंच ने इस परियोजना का विरोध किया था।

सुपर बाजार श्रृंखला को बंद किया गया

केन्द्र सरकार ने दिल्ली के सर्वप्रथम खुदरा दुकान श्रृंखला सुपर बाजार को बंद कर देने का फैसला किया है। पहले इसमें भी विनिवेश की बात की गई थी लेकिन अंतत: इसे बंद किए जाने का फैसला ले लिया गया। इसके पीछे कारण वित्तीय अनियमितताओं के कारण होने वाली हानि बताया गया है। इसकी शुरुआत १९६६ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गाँधी के पहल पर दिल्ली के उपभोक्ताओं को स्तरीय वस्तुए कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए की गयी थी। इसका मुख्य कारा १९६५ भारत-पाक युद्ध माना गया। इस सहकारी संस्था पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यद्यपि इस संस्था ने १९७२-७३ से १९९५-९६ के बीच लाभ कमाया लेकिन उसके बाद इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ने इसकी कमर तोड़ दी। १९९६-९७ में ६० लाख रुपए की हानि के बाद यह हानि २०००-०१ में बढ़कर १६ करोड़ हो गयी। फिर भी इसका बंद किया जाना अप्रत्याशित था। ■

Scanned with OKEN Scanner

(पृष्ठ ४२ का शेष)

राष्ट्रऋषि के सान्निध्य में सम्पन्न हुई काशी.........

प्रवाहित धर्म को रेखांकित कर दिया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक ने अमेरिका पर किसी भी निर्भरता को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक विषय तक सीमित नहीं है समूचे राजनैतिक और सांस्कृतिक विषयों को समाविष्ट करते हुए देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए यह दूसरा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है। आज विश्वभर में इस प्रकार आंदोलन चल रहा है। अनेक देशों मे आर्थिक साम्राज्यवाद को विस्तार देने में लगे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक आदि की बैठकों के विरोध में जनता एकत्रित हो रही है। दस वर्ष पहले की स्थिति आज नहीं है, आज देश के लोग जान रहे है वैश्विकरण का नतीजा इस देश के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार का जागरण हर तीसरे विश्व के देशों में हो रहा है, इसलिए इस वैश्विक लड़ाई में आप सभी काशी के नागरिकों के सहयोग से हम अपनी लड़ाई में सफल होंगे। स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश के सहसंयोजक श्री वीरेन्द्र सिंह ने इस सभा के प्रारंभ में स्वागत भाषण करते हुए पं० विद्यानिवास मिश्र को देश के जानमाने विद्वान और लोक संस्कृति के ज्ञाता के रूप में केवल परिचय ही नहीं दिया अपितु स्वदेशी के लिए उनकी चिंताओं को भी व्यक्त किया मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का स्वागत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दत्तोपंत जी राष्ट्रऋषि है। भारत ऋषि और कृषि का देश है हमारे समाज का भरण पोषण कृषि करती है और इसके वैचारिकता निर्माण ऋषि करता है। जिस तरह मोहन दास करमचंद गाँधी को महात्मा बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य, मदन मोहन मालवीय को महमना, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया इसी परंपरा में काशी की धरती पर आज हम श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को राष्ट्रऋषि सम्बोधित करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। एक ऋषि की तरह दत्तोपंत जी भारत को विनाश से बचाने के लिए जन-जागरण में लगे हुए हैं। इस तरह का कोई दूसरा व्यक्तित्व अभी देश में नहीं दिख रहा। सभागार में उपस्थित लोगों ने जोरदार करतल ध्वनि स श्रीसिंह के इस कथन का स्वागत किया। श्री सिंह ने अपना स्वागत भाषण पूरा करते हुए राँची में सम्पन्न हुई भारतीय मजदूर संघ की सभा के दौरान राष्ट्रऋषि के एक सूत्र वाक्य को उधृत किया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जानता हूँ कि कितने राजनैतिक दल भारत में हैं, वे कितना ठीक हो सकते है, ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक ही बात मैं जानता हूँ, भारत की समस्याएँ ठीक होगी, अवश्य ठीक होगी और इसे मुझे देखना है। स्वदेशी पंचायत में उपस्थित काशीवासियों में व्याप्त स्वदेशी जागरण का उत्साह देखते बन रही थी। यह पवित्र भूमि पर देश के प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक आर्थिक स्तर के भारतवासी रहते हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी देश के सभी क्षेत्रों से आते है जिनकी वैचारिक जागृति का लाभ पूरे देश को सदा से मिलता रहा है। काशी जागती है तो पूरा देश जा उठता है इस दृष्टि से स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक महत्व का था। ■

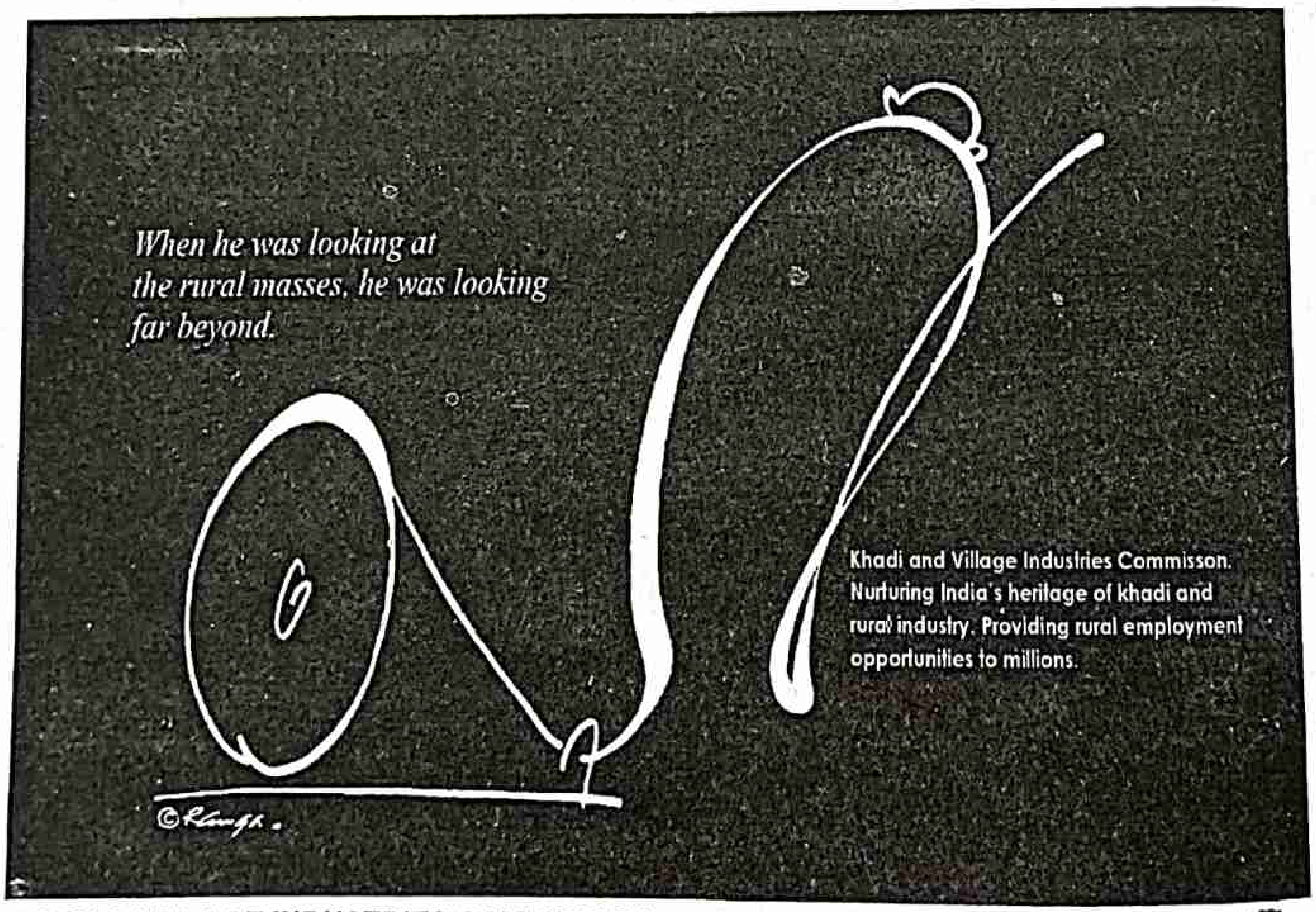

KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION

Gramodaya 3 Irla Road Vile Parle (W) Mumbai-400 056.
Phone : 022- 6716323 6714320 Fax : 91-22-6711003
e-mail : mktkvic@bom5.vsnl.net.in kvichq@bom3.vsnl.net.in Website : www.kvic.org.in

Scanned with OKEN Scanner

स्वदेशी जागरण मंच नगर जिला (महाराष्ट्र) में हुई संगोष्ठी मे मार्गदर्शन कर रहे मा० लालजी भाई पटेल
मंच पर मा० श्री माणिक राव जी पाटील, पश्चिमांचल क्षेत्रीय संघचालक और मा० श्री शांतिभाई चंदे, सुप्रसिद्ध व्यवसायी और संघचालक

स्वदेशी सहयोग

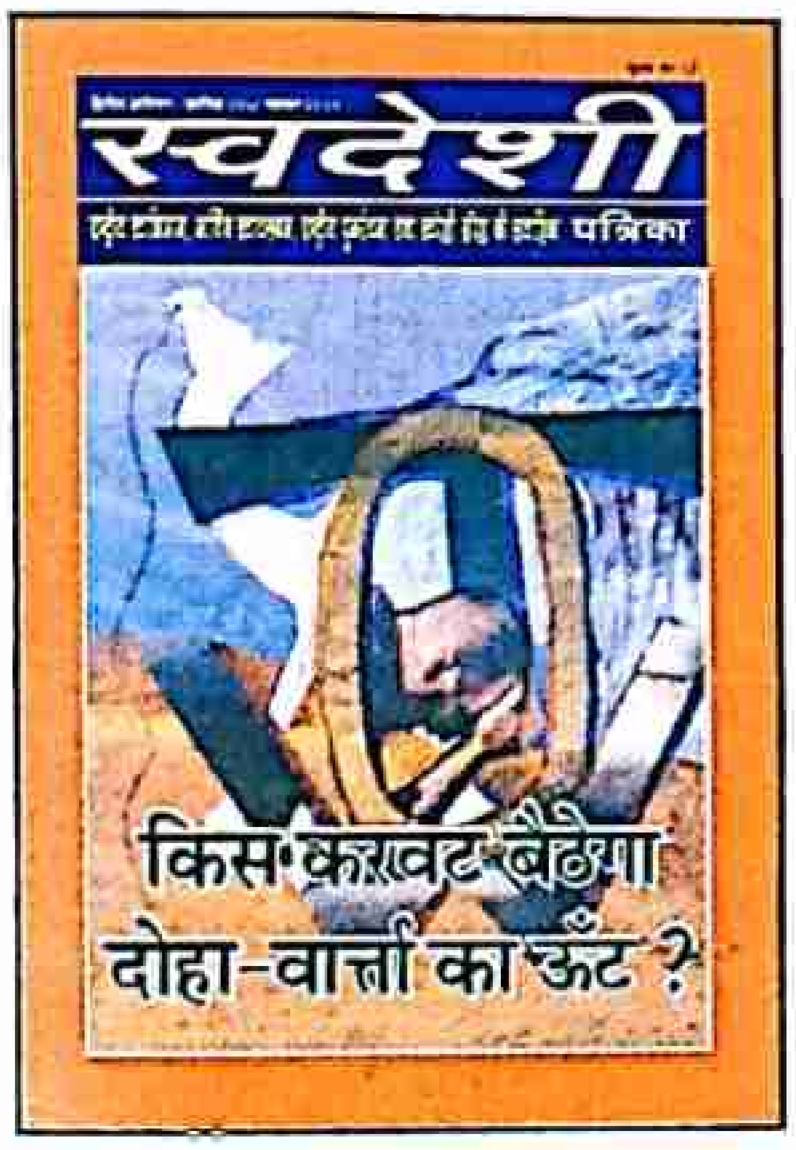

हजारों नियमित ग्राहकों और दस लाख से अधिक समर्पित पाठकों की प्रिय स्वदेशी पत्रिका में अपने उत्पादनों, सेवाओं और व्यवसायिक सूचनाओं का विज्ञापन देकर स्वदेशी आन्दोलन को सफल बनाए।
आशा है, आप पुनीत राष्ट्रीय लक्ष्य को सफल बनाने में अवश्य सहयोगी होंगे।

भवदीय

प्रबंधक
स्वदेशी जागरण प्रकाशन

संपर्क

६०, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली—११०००१, दूरभाष : ०११—३०१८१७५

इंदौर में स्वदेशी मेला (२-८ अक्टूबर, २००१)

इंदौर स्वदेशी मेले में मालवा के उत्सव परिषद् के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री दिलीप सिंह भूरिया, डॉ॰ इब्राहिम वर्गीस (निदेशक सी॰बी॰एम॰डी॰), श्री मनोज द्विवेदी एवं श्री गीतेश भिसे।

इंदौर स्वदेशी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करती प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल।

ईश्वर दास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से प्रकाशि

Scanned with OKEN Scanner